मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन वाद संं0– 451/2022 आनन्द कुमार ध्यानी बनाम लोक निर्माण विभाग एवं अन्य

प्रकरण में सम्बन्धित वाद संं0– 451/2022 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के प्राविधानों के तहत दायर किया गया। जिसके अन्तर्गत मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18.03.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये।

Application has been filed under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010.

ORDER

1. In the present case Mr. Anand Kumar Dhyani filed application alleging that PWD Najibabad constructed a road from Shankarpur Farm to Kotdwar-Nagina road. Mr. Anup Kumar, Contractor's supervisor and two other unknown persons mined soil and uprooted 11 teak/ Sagwan trees.

2. Forest Crime Case no. 13/Kaudia/2021-22 dated 25.10.2021 was registered against them and amount of Rs. 55,000/- was recovered as compounding fees.

3. In the course of hearing DFO, Bijnor Forest Division, Najibabad was directed to make an assessment of value of the trees and the District Mining Officer was directed to make an assessment of the value of soil illegally mined. DFO, Bijnor Forest Division, Najibabad submitted report submitting value of the trees as Rs. 22,800/-. The District Mining Officer, Bijnor did not submit his report.

4. The Executive Engineer raised the dispute that the land in question did not belong to the applicant and a case is pending in the court of Commissioner, Moradabad Division, Moradabad.

5. The District Magistrate, Bijnor was directed to look into the matter to verify the factual position and submit his report.

6. The District Magistrate, Bijnor submitted report vide email dated 30.09.2023 that a complaint was made by Shri Girish Chandra, Member of Parliament and Kishan Chand son of Pani resident of Kaisaband, Bijnor regarding manipulation in the revenue record on which State Level and District Level Committees were constituted and the case was pending before Commissioner, Moradabad Division, Moradabad. Vide order dated 20.12.2023 respondents no. 1 and 2 were directed to file copies of the proceedings which were pending before the Divisional Commissioner, Moradabad and orders passed in the same with relevant revenue documents. A Copy of order dated 27.08.2022 passed by Sub Divisional Magistrate, Nagina in case no. 2958 of 2022 titled as State of Uttar Pradesh Vs. Indrijeet Singh and Ors., application for stay filed before Commissioner, Moradabad Division, Moradabad and order dated 29.09.2022 passed by the Divisional Commissioner, Moradabad Division, Moradabad have been filed vide email dated 16.04.2024 at 12.29 P.M. However, copies of complaint made by Sh. Girish Chandra, Member of Parliament and Mr. Krishan Chand, proceedings before Sub Divisional Magistrate, Nagina and appeal filed before the Commissioner, Moradabad Division, Moradabad and orders passed have not been filed.

7. The case is pending before this Tribunal since 2022 and despite pendency of the matter for a very long period respondents no. 1 and 2 have not taken appropriate steps for apprising this Tribunal about the factual position. Such non-compliance has caused unnecessary adjournments and delay in disposal of the application. In these circumstances default on the part of the respondents no. 1 and 2 in filing copies of the relevant documents within time permitted warrants imposition of exemplary costs. Accordingly, respondents no. 1 and 2 are directed to pay amount of Rs.1,00,000/- as costs which amount be deposited with the NGT Bar Association, Principal Bench within 15 days. The NGT Bar Association, Principal Bench shall be entitled to utilize the same for extending legal aid and other facilities to other litigants coming to National Green Tribunal.

8. In the interest of justice respondents no. 1 and 2 are given last opportunity for completing their pleadings and submitting all relevant documents by way of an email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF
at least one week before the date of hearing hereby fixed.

9. List for further consideration on 22.04.2024.

10. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the District Magistrate, Bijnor and Executive Engineer, PWD, Bijnor **(physically)** before this Tribunal on that date to be essential for assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case and they are accordingly directed to remain present before this Tribunal on that date.

11. A copy of this order be forwarded to the District Magistrate, Bijnor, Chief Engineer, PWD and Executive Engineer, PWD, Bijnor by e-mail for requisite compliance.

मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के कम में विभागीय आख्या/उत्तर

1. उपरोक्त सम्बन्धित प्रकरण के अन्तर्गत श्री आनन्द कुमार ध्यानी ने आवेदन दायर कर आरोप लगाया है कि लोक निर्माण विभाग, नजीबाबाद ने शंकरपुर फार्म से कोटद्वार नगीना रोड़ तक नवनिर्माण का कार्य किया गया। ठेकेदार के सुपरवाईजर श्री अनूप कुमार एवं दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने मिट्टी का खनन किया एवं 11 सागौन के पेड़ उखाड़ दिये, के सम्बन्ध में कहना है कि श्री आनन्द कुमार ध्यानी निवासी शिवलोक–2, चन्द्रमणी रोड, शिमला बाईपास, देहरादून द्वारा कि गयी शिकायत के क्रम में दिनांक 25.10.2021 को मौ0 इरफान हुसैन, कौड़िया वन रेंज, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद द्वारा शंकरपुर फार्म से ढकिया रोड तक सड़क निर्माण स्थल का अपने हमराह श्री प्रदीप कुमार, वन दरोगा के साथ निरीक्षण किया गया था जिसमें पाया गया कि शंकरपुर फार्म से ढकिया मेन रोड तक लोक निर्माण विभाग, नजीबाबाद द्वारा सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा था तथा निर्माणाधीन सड़क के किनारे खड़े सागौन के 11 वृक्षों को ठेकेदार के सुपरवाईजर श्री अनूप कुमार सिंह पुत्र श्री भूप सिंह, निवासी ग्राम खबड़िया घाट, मुरादाबाद द्वारा सड़क निर्माण के दौरान जे0सी0बी0 से जड़ से उखाड़ दिया गया था। इस सम्बन्ध में कथन यह है कि अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान कार्यस्थल पर यदि किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति ठेकेदार द्वारा की जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार को होता है। (संलग्नक–1)

(अनुबन्ध की शर्त : Clause 12.1 all risk of loss of or Dammage to physical property and of personal ingury and death which arise during and in consequence of the contract other then expected risk refurd to in clause no. 11.1 are the responsibility of the contractor)

AE

BE

2. पैरा सं0 2 के सापेक्ष कहना है कि अपराध प्रसूचना सं0 13/कौडिया/2021–22 के अन्तर्गत धारा–4/10 उत्तर प्रदेश वन संरक्षण अधिनियम 1976 अनूप कुमार सिंह पुत्र भूप सिंह निवासी खबड़िया घाट, मुरादाबाद के विरूद्ध नामजद तथा दो अन्य अज्ञात के विरूद्ध 25.10.2021 को दर्ज की गयी थी उक्त दर्ज केस की जांच श्री अखिलेश चन्दोल वन दरोगा कोडिया वन रेंज बिजनौर, वन प्रभाग, नजीबाबाद द्वारा की गयी थी तथा नामजद मुल्जिम अनूप कुमार सिंह का बयान दर्ज किया गया था बयान में अनूप कुमार सिंह (मुल्जिम) द्वारा यह स्वीकार किया गया कि शंकरपुर से ढकिया मेन रोड तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के दौरान जे0सी0बी0 मशीन से मिट्टी खुदान में कुछ वृक्षों की जड़ों से मिट्टी निकाली गयी थी तथा वृक्ष मौके पर गिर गये थे। उक्त प्रकरण के अन्तर्गत अनूप कुमार द्वारा अपना अपराध स्वीकार भी किया गया था। केस के जांच अधिकारी की अन्तिम जांच के दौरान श्री अनूप कुमार सिंह से प्रशमन की धनराशि रू0 55,000.00 प्राप्त कर रशीद सं0–65/364 दिनांक 16.03.2022 को निर्गत की गयी तथा केस की अन्तिम जांच रिपोर्ट पर क्षेत्रीय वन अधिकारी, कौडिया तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद की संस्तुति के आधार पर संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद के पत्रांक 152/22 दिनांक 20.07.2022 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद द्वारा उक्त केस प्रशमित कर दिया गया था।

3. पैरा सं0 3 के सम्बन्ध में कहना है कि खान अधिकारी, बिजनौर द्वारा दिनांक 25.05.2023 को किये गये निरीक्षण के दौरान ग्राम मुर्तजाबाद तहसील नगीना जिला बिजनौर के खाता सं0–74 गाटा सं0 1/11 क्षे0 1.620 है0 भूमि आस–पास के खेतों के बराबर समतल पायी गयी तथा उक्त भूमि सड़क से ऊंची होनी पायी गयी। मौके पर कोई ऐसा तथ्य नहीं पाया गया जिससे उक्त भूमि से मिट्टी की निकासी की गयी है। साक्ष्य के तौर संयुक्त जांच आख्या जिसमें खान अधिकारी (माइनिंग ऑफिसर) जिला बिजनौर के हस्ताक्षर क्रम सं0 3 पर अंकित है। (संलग्नक–2)

4. पैरा सं0 4 के सम्बन्ध में कहना है कि ग्राम मुर्तजाबाद तहसील नगीना जिला बिजनौर के खाता सं0–74 गाटा सं0 1/11 क्षे0 1.620 है0 के अन्तर्गत मा0 सांसद गिरीशचन्द्र व शिकायतकर्ता किशनचन्द पुत्र ख्वानी निवासी मौ0 कस्साबान, जिला बिजनौर के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में बताया गया कि भूमि अभिलेख में हेरा–फेरी की गयी है के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था जिसमें जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ग्राम मुर्तजाबाद के अभिलेखों का परीक्षण कर आख्या राज्य स्तरीय कमेटी को दी गयी थी। राज्य स्तरीय कमेटी के अनुमोदन के पश्चात उपजिलाधिकारी नगीना के न्यायालय में वाद सं0–टी202213160402958 धारा 38(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजीव कुमार आदि में दिनांक 27.08.2022 को खातेदारों का नाम निरस्त कर भूमि 1360 फसली के अनुसार पूर्व की भांति मूल श्रेणी जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध मा0 न्यायालय, आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद सं0–390/पेशकार में दिनांक 06.10.2022 के क्रम में दिनांक 27.08.2022 का क्रियान्वयन दिनांक 05.12.2022 तक स्थगित किया गया है। श्री आनन्द कुमार ध्यानी शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 27.08.2022 के विरूद्ध कोई अपील मा0 न्यायालय आयुक्त, मुरादाबाद में नहीं की गयी। यह भी अवगत कराना है कि भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल में उपरोक्त लम्बित वाद में लोक निर्माण विभाग याची अथवा वादी नहीं है। चूंकि वर्तमान में वाद उपरोक्त न्यायालय में विचाराधीन है। भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त ही सम्बन्धित को मुआवजा दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

5. पैरा सं0 5 के सम्बन्ध में कहना है कि जिलाधिकारी, बिजनौर को मामले की जांच कर तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि करने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा दिनांक 29.08.2023 को आख्या प्रस्तुत कर दी गयी थी। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त कथन यह है कि सम्बन्धित आख्या के बिन्दु संख्या 1 में उल्लिखित है कि **दिनांक 25.05.2023 को किये गये निरीक्षण के दौरान ग्राम मुर्तजाबाद तहसील नगीना जिला बिजनौर के खाता सं0 74 गाटा सं0 1/11 मि क्षे0 1.620 है0 भूमि आस–पास के खेतों के बराबर समतल पायी गयी तथा उक्त भूमि सड़क से ऊंची होनी पायी गयी। प्रथम दृष्टयता मौके पर ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त भूमि से मिट्टी की निकासी की गयी है। जिससे बिन्दु संख्या 3 भी सम्पुष्ट होता है।** (आख्या संलग्न)

AE

EE

6. पैरा सं0 6 के सम्बन्ध में कहना है कि ग्राम मुर्तजाबाद तहसील नगीना जिला बिजनौर के खाता सं0–74 गाटा सं0 1/11 क्षे0 1.620 है0 के अन्तर्गत मा0 सांसद गिरीशचन्द्र व शिकायतकर्ता किशनचन्द पुत्र ख्वानी निवासी मौ0 कस्साबान, जिला बिजनौर के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में बताया गया कि भूमि अभिलेख में हेरा–फेरी की गयी है के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था जिसमें जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ग्राम मुर्तजाबाद के अभिलेखों का परीक्षण कर आख्या राज्य स्तरीय कमेटी को दी गयी थी। राज्य स्तरीय कमेटी के अनुमोदन के पश्चात उपजिलाधिकारी नगीना के न्यायालय में वाद सं0–टी202213160402958 धारा 38(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजीव कुमार आदि में दिनांक 27.08.2022 को खातेदारों का नाम निरस्त कर भूमि 1360 फसली के अनुसार पूर्व की भांति मूल श्रेणी जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील सं0 सी0202213000001788 जोगेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में मा0 न्यायालय, आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश सं0–390/पेशकार में दिनांक 06.10.2022 के द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी नगीना के आदेश दिनांक 27.08.2022 का क्रियान्वयन दिनांक 05.12.2022 तक स्थगित किया गया है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि श्री आनन्द कुमार ध्यानी याचिकाकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 27.08.2022 के विरूद्ध कोई अपील मा0 न्यायालय आयुक्त, मुरादाबाद में नहीं की गयी। यह भी अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता मा0 सांसद श्री गिरीशचन्द्र एवं श्री किशनचन्द द्वारा मा0 न्यायालय उपजिलाधिकारी नगीना के आदेश दिनांक 27.08.2022 के विरूद्ध मा0 आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल के समक्ष कोई अपील/प्रत्यावदेन नहीं दिया गया है। वर्तमान में अपील सं0 सी0202213000001788 जोगेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि मा0 न्यायालय, आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद में विचाराधीन है, जिसमें लो0नि0वि0/पैरोकारी खण्ड पक्षकार नहीं है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) मुरादाबाद को पत्रांक 24/N-45/जनरल दिनांक 04.04.2024 द्वारा शीघ्र सुनवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। (संलग्नक–3) भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त ही सम्बन्धित को मुआवजा दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

7. पैरा सं0 7 के सम्बन्ध में कहना है कि मा0 न्यायालय हरित प्राधिकरण में विभागीय पक्ष द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया गया था कि भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण मा0 न्यायालय, आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद में वाद सं0–सी0202213000001794 विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार दिनांक 29.09.2022 को दाखिल किया गया था जिसके अन्तर्गत मा0 न्यायालय द्वारा निरन्तर सुनवाई की जा रही है।

आदेश दिनांकित 20–12–2023, 18–03–2024 के अनुपालन में माननीय अधिकरण के समक्ष श्री गिरीशचन्द्र द्वारा एस0डी0एम0 नगीना के समक्ष प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्नक–4 प्रस्तुत है।

शिकायती प्रार्थना पत्र संलग्नक–5 पर पारित एस०डी०एम० नगीना के आदेश दिनांकित 27–08–2022 की प्रति संलग्नक–6 प्रस्तुत है।

एस0डी0एम0 नगीना के उक्त आदेश संलग्नक–5 के विरूद्ध माननीय आयुक्त महोदय के समक्ष योजित की गयी अपील के आधार की प्रति संलग्नक–7 है।

माननीय आयुक्त महोदय के समक्ष लम्बित अपील की सम्पूर्ण आदेश पंजीका की प्रति संलग्नक–8, वाद सारांश की प्रति संलग्नक–9 प्रस्तुत है। वाद सारांश के अनुसार, अपील में दिनांक 01–05–2024 बहस हेतु नियत है। स्थगन आदेश माननीय आयुक्त महोदय दिनांकित 29–09–2022 की प्रति संलग्नक–10 है जो कि पूर्व में भी माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है।

अपील में प्रभावी पैरवी हेतु जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व मुरादाबाद को पत्र संख्या 24/एन–45/जनरल दिनांकित 04–04–2024 निर्गत किया गया है।

8. पैरा सं0 8 के सम्बन्ध में कहना है कि पैरोकारी खण्ड द्वारा दिनांक 16.03.2024 को पूर्व में ही judicial-ngt@gov.in पर इ–मेल द्वारा पी0डी0एफ0/ओ0सी0आर0 के रूप में दस्तावेज प्रेषित कर दिये गये थे। वर्तमान में मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18.03.2024 के अनुपालन में सम्बन्धित दस्तावेज उपरोक्त क्रमांक 7 के अनुसार मा0 न्यायालय की ई–मेल पर पुनः प्रेषित कर दिये जायेंगे।

9. पैरा सं0 9 व 10 के सम्बन्ध में कहना है कि मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि 22.04.2024 नियत की गयी है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा चुनाव में व्यस्तता होने के कारण सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि निर्धारित करने का आग्रह किया है। उक्त तिथि में अद्योहस्ताक्षरी मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

11. तथ्यात्मक प्रकृति का है।

महोदय उपरोक्त वाद के सम्बन्ध में पैरोकारी खण्ड द्वारा मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में निरन्तर नियत तिथियों पर दिये गये आदेशों के अनुपालन में ससमय कार्यवाही की जा रही जिसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

(शैलेन्द्र कुमार सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–2, लो0नि0वि0, बिजनौर
(मुख्यालय नजीबाबाद)

अधीक्षण अभियन्ता
रामपुर वृत्त लो0नि0वि0
रामपुर

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0
मुरादाबाद

Annexure-1

_____/Najibabad/Bijnor/Rampur/Moradabad

PWD – T –2

Public Works Department

Uttar Pradesh

MODEL BIDDING DOCUMENT

(FOR WORK COSTING ABOVE ₹.40 LACS)

TECHNICAL BID

S.No. 5

Name of Work: **New Construction at Lalwala Kotdwar road in Km 5 to Murtzapur road via Shankarpur**

CONSTRUCTION DIVISION-2, BIJNOR (HQ-NAJIBABAD)

6. Communications

6.1 All Certificate, notices or instructions to be given to the contractor by Employer / Engineer shall be sent on the address or contact details given by the contractor in Section 6- Form of Bid. The address and contact details for communication with the Employer/ Engineer shall be as per the details given Contract Data to GCC. Communications between parties that are referred to in the conditions shall be in writing. The Notice sent by Facsimile (fax) or other electronic means shall be effective on confirmation of the transmission. The Notice sent by Registered post or Speed post shall be effective on delivery or at the expiry of the normal delivery period as undertaken by the postal service.

7 Subcontracting

7.1 The contractor may subcontract part of the construction work with the approval of the Employer in writing, upto 25% of the contract price but will not assign the Contract. Subcontracting shall not alter the contractor's obligations.

7.2 Beyond what has been stated in clauses 7.1, if the contractor proposes sub contracting any part of the work during execution of the works, because of some unforeseen circumstances to enable him to complete the work as per terms of the contract, the Employer will consider the following before according approval:

a. The Contractor shall not sub-contract the whole of the works.

b. The Contractor shall not sub-contract any part of the work without prior consent of the Employer. Any such consent shall not relieve the contractor from any liability or obligation under the contract and he shall be responsible for the acts, defaults and neglects of any his sub-contractor, his agents or workmen as fully as if they were the acts, defaults or neglects of the Contractor, his agents and workmen.

7.3 The Engineer should satisfy himself before recommending to the Employer whether

a. The circumstances warrant such sub-contracting: and

b. The sub-contractor so proposed for the work possess the experience, qualification and equipment necessary for the job proposed to be entrusted to him in proportion o the Quantum of works to be sub-contracted.

7. Other Contractors

7.1 The contractor shall co-operate and share the site with other contractors. Public authorities utilities, and the employer between the dates given in the schedule of other contractors, as refereed to in the contract data. The contractor shall also provide facilities and services for them as described in the schedule. The employer may modify the schedule of other contractor, and shall notify the contractor of any such modification.

7.2 The contractor should take up the work in convenient reaches as decided by the Engineer to ensure there is least hindrance to the smooth flow of traffic including movement of vehicles and equipment of other contractors till the completion of the works.

8. Personnel

9.1 The Contractor shall employ for the construction work and routine maintenance the technical personnel named in the Contract Data or other technical persons approved by the Engineer. The Engineer will approve any proposed replacement of technical personnel only if their relevant qualifications and abilities are substantially equal to or better than those of the personnel stated in the Contract Data.

9.2 If the Engineer asks the Contractor to remove a person who is a member of the Contractor's staff or work force, stating the reasons, the Contractor shall ensure that the person leaves the Site within seven days and has no further connection with the Works in the Contract.

8.2 The Contractor shall not employ any retired Gazetted officer who has worked in the Engineering Department of the State Government and has either not completed two years after the date of retirement or has not obtained State Government's permission to employment with the Contractor.

9. Employer's and Contractor's Risks

10.1 The Employer carries the risks which this Contract states are Employer's risks, and the Contractor carries the risks that this Contract states are Contractor's risks.

10. Employer's Risks

11.1 The Employer is responsible for the excepted risks which are (a) in so far as they directly affect the execution of the Works in the Employer's country, the risks of war, invasion, act of foreign enemies, rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power, civil war, riot commotion or disorder (unless restricted to the Contractor's employees), natural calamities and contamination from any nuclear fuel or nuclear waste or radioactive toxic explosive, or (b) a cause due solely to the design of the Works, other than the Contractor's design.

12. Contractor's Risks

12.1 All risks of loss of or damage to physical property and of personal injury and death which arise during and in consequence of the performance of the Contract other than the excepted risks, referred to in clause 11.1, are the responsibility of the Contractor.

13. Insurance

13.1 The Contractor at his cost shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the date of completion, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for the following events which are due to the Contractor's risks:

a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials;
b) loss of or damage to Equipment;
c) loss of or damage to property (except the Works, Plant, Materials, and Equipment) in connection with the Contract; and
d) Personal injury or death.

13. Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer's approval before the completion date/ Start Date. All such insurance shall provide for compensation to be payable in Indian Rupees to rectify the loss or damage incurred.

13.3 (a) The Contractor at his cost shall also provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the date of completion to the end of defect liability period, in the amounts and deductibles stated in the Contract Data for the following events which are due to the Contractor's risks:

(a) Personal injury or death.

13.4 (b) Insurance policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer's approval before the completion date/ start date. All such insurance shall provide for compensation to be payable in Indian Rupees.

13.5 Alterations to the terms of insurance shall not be made without the approval of the Engineer.

13.6 Both parties shall comply with any conditions of the insurance policies.

14. Site Investigation Reports

14.1 The Contractor, in preparing the Bid, may rely on any Site Investigation Reports referred to in the Contract Data, supplemented by any other information available to him, before submitting the bid.

15. Queries about the Contract Data

15.1 The Engineer will clarify queries on the Contract Data.

16. Contractor to Construct the Works

16.1 The Contractor shall construct, and install and maintain the Works in accordance with the Specifications and Drawings.

16.2 The contractor shall construct the works with intermediate technology, i.e., by manual means with medium input of machinery required to ensure the quality of works as per specifications. The contactor shall deploy the equipment and machinery as given in Contract Data.

17. The Works to Be Completed by the Intended Completion Date

17.1 The Contractor may commence execution of the Works on the Start Date and shall carry out the Works in accordance with the Programme submitted by the Contractor, as updated with the approval of the Engineer, and complete them by the Intended Completion Date.

18. Approval by the Engineer

18.1 The Contractor shall submit Specifications and Drawings showing the proposed Temporary Works to the Engineer, who is to approve them.

Annexure-2

प्रेषक,

जिलाधिकारी
बिजनौर।

सेवा मे,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण
कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली।
e-mail judicial-ngt@gov.in

पत्रांक: 2039 / खनिज अनुभाग–23 दिनांक: 30 सितम्बर, 2023

विषय O.A. No 451/2022 Anand kumar Dhyani Vs. Public Works Department में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2023 के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पृष्ठाकिंत O.A. No 451/2022 Anand kumar Dhyani Vs. Public Works Department में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2023 के अनुपालन में मा0 अधिकरण द्वारा वाछिंत रिर्पोट सादर संलग्न कर ई0मेल के माध्यम से प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोक्त।

P. B...
जिलाधिकारी, बिजनौर

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

ओ0ए0 451 / 2022

आनन्द कुमार ध्यानी

बनाम

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक

29.08.2023 के अनुपालन में

जिलाधिकारी बिजनौर

की ओर से आख्या

P. Borah
जिलाधिकारी
बिजनौर

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर O.A No. 451/2022 Anand kumar Dhyani Vs. Public Works Department में पारित आदेश दिनांक 29.08.2023 के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है–

1– **मिटटी खनन के सम्बन्ध में** :– दिनांक 25.05.2023 को किये गये निरीक्षण के दौरान ग्राम मुर्तजाबाद तहसील नगीना जिला बिजनौर के खाता सं0 74 गाटा सं0 1/11मि क्षे0 1.620 हे0 भूमि आस पास के खेतो के बराबर समतल पायी गयी तथा उक्त भूमि सडक से ऊंची होनी पायी गयी। प्रथम दृष्टतया मौके पर ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया, जिससे प्रतीत होता हो कि उक्त भूमि से मिटटी की निकासी की गयी है।

2– **वृक्षो की क्षति के सम्बन्ध में** :– श्री आनन्द कुमार ध्यानी निवासी शिव लोक–2 चन्दमणी रोड, शिमला बाईपास, देहरादून द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में दिनांक 25.10.2021 को मौ0 इरफान हुसैन, वन रक्षक, कौडिया वन रेंज, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद द्वारा शंकरपुर फार्म से ढकिया रोड तक सडक निर्माण स्थल का अपने हमराह श्री प्रदीप कुमार वन दरोगा के साथ निरीक्षण किया गया था जिसमें पाया गया कि शंकरपुर फार्म से ढकिया मेन रोड तक लोक निर्माण विभाग जिला बिजनौर द्वारा सडक निर्माण का कार्य कराया जा रहा था तथा निर्माणाधीन सडक किनारे खडे सागौन के 11 हरे वृक्षो को ठेकेदार के सुपरवाइजर श्री अनूप कुमार सिहं पुत्र श्री भूप सिहं निवासी ग्राम खबडिया घाट, जिला मुरादाबाद द्वारा जे0सी0बी0मशीन से जड से उखाड दिया गया था। उखाडे गये वृक्षो की आवक्ष ऊँचाई पर गोलाई निम्न पायी गयी थी :–

क्रम सं0	वृक्ष की प्रजाति	वृक्ष की आवक्ष ऊंचाई पर गोलाई (से0मी0 में)
1	2	3
1	सागौन	102
2		78
3		65
4		81
5		60
6		68
7		73
8		93
9		70
10		60
11		77

उखाडे गये उक्त 11 वृक्ष सागौन अधिसूचित वन भूमि पर स्थित नहीं थे तथा उनका स्वामित्व वन विभाग, उत्तर प्रदेश का नही था। उपर्युक्त वृक्षों को हटाने/काटने हेतु उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 5 के अंतर्गत राक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी थी। अतः 11 वृक्ष सागौन को जड से उखाडकर नष्ट करने के अपराध में कौडिया वन रेंज बिजनौर, वन प्रभाग नजीबाबाद के अन्तर्गत वन अपराध प्रसूचना संख्या 3/कौडिया/2021–22 अन्तर्गत धारा 4/10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 अनूप कुमार सिहं पुत्र श्री भूप सिहं निवासी ग्राम खाबडिया घाट जिला मुरादाबाद के विरूद्ध नामजद तथा दो अन्य अज्ञात के विरूद्ध दिनांक 25.10.2021 को दर्ज की गयी थी। उक्त दर्ज केस की जॉच श्री अखिलेश चन्दौला वन दरोगा, कौडिया वन रेंज, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद द्वारा की गयी थी तथा नामजद मुल्जिम अनूप कुमार सिहं पुत्र श्री भूप सिह निवासी ग्राम खाबडिया घाट जिला मुरादाबाद का बयान दर्ज किया गया। बयान में अनूप कुमार सिहं (मुल्जिम) द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि शंकरपुर से ढकिया मेन रोड तक सडक निर्माण कार्य कराये जाने के दौरान जे0सी0बी मशीन से मिटटी खुदान में कुछ वृक्षों की जडो से मिटटी निकल गयी थी तथा वृक्ष मौके पर गिर गये थे। उक्त मुल्जिम ने दर्ज कराये गये बयान में अपना अपराध स्वीकार करते हुए केस का वन विभाग के स्तर से फैसला करने का अनुरोध किया गया था। अनूप कुमार सिहं के बयान की प्रति संलग्न है। यह अपराध उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 15 के अन्तर्गत वन विभाग के स्तर से प्रशमनीय था तथा केस के जॉच अधिकारी की अंतिम जॉच रिपोर्ट के अनुसार अनूप कुमार सिहं (मुल्जिम) से प्रशमन की धनराशि रू0 55,000.00 (रू0 पचपन हजार मात्र) प्राप्त कर उसे रसीद संख्या 65/364 दि0 16.03.2022 निर्गत की गयी तथा केस की अंतिम जॉच रिपोर्ट पर क्षेत्रीय वनाधिकारी, कौडिया तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वन प्रभाग नजीवावाद की संस्तुति के आधार पर वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद के पत्रांक 152/22–2 दिनांक 20.07.2022 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद द्वारा उक्त केस प्रशमित कर दिया गया था। विषयगत प्रकरण में उखाड कर नष्ट किये गये 11 हरे वृक्ष सागौन वन भूमि पर विद्यमान नहीं थे तथा उनका स्वामित्व वन विभाग उत्तर प्रदेश का नही था अतः उक्त गिरे वृक्षों या उनकी काष्ठ को वन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जब्त नहीं किया गया था। केस में प्राप्त हुई प्रशमन की धनराशि रू0 55,000.00 (रू0पचपन हजार मात्र) में उक्त 11 वृक्ष सागौन का मूल्य या उनकी काष्ठ का मूल्य सम्मिलित नहीं है। उखाडकर नष्ट हुए 11 वृक्ष सागौन मौके पर पडे रहे थे। विषयगत केस के अन्तर्गत नष्ट 11 हरे वृक्ष सागौन का मूल्याकंन करने हेतु माननीय राष्ट्रीय

निरन्तर.....

हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 03.04.2023 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 13/25–14 दिनांक 01.07.2023 द्वारा उक्त 11 हरे वृक्ष सागौन का मूल्याकंन रू0 22,800 (रू0 बाईस हजार आठ सौ मात्र) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को ई–मेल द्वारा सूचित किया गया था। उक्त वित्तीय मूल्याकंन मुरादाबाद वृत्त अन्तर्गत सम्मिलित सभी जनपदो जिसमें बिजनौर भी शामिल है, हेतु वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित अनुसूचित दरो के आधार पर किया गया था **(छायाप्रति संलग्नक)**। अतः 11 हरे वृक्ष सागौन को सडक निर्माण कार्य के दौरान जे0सी0बी0 मशीन से गिरा कर नष्ट कर देने के विषयगत प्रकरण में बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद के स्तर से उपर्युक्तानुसार विधिक कार्यवाही की जा चुकी है। चूंकि केस में दर्ज अपराध प्रशमनीय था अतः केस में नामजद मुल्जिम से प्रशमन धनराशि रू0 55,000.00 (रू0 पचपन हजार मात्र) प्राप्त कर राजकोष (राजस्व) में जमा कराई जा चुकी है तथा केस का वन विभाग के स्तर से अंतिम निस्तारण किया जा चुका है।

3– <u>सडक निर्माण के समय क्षतिग्रस्त वृक्षो के सम्बन्ध में</u> :– प्रश्नगत खेत के बराबर में कच्ची सडक को पक्की सडक किये जाने के समय सडक के समतलीकरण कार्य के दौरान सडक के किनारे से सटे वृक्ष क्षतिग्रस्त हुए। क्षतिग्रस्त वृक्षो के सम्बन्ध में कार्यवाही बिन्दु सं0 02 में की जा चुकी है।

4– <u>प्रश्नगत खेत के भू–स्वामित्व के सम्बन्ध में</u> :– ग्राम मुर्तजाबाद तहसील नगीना जिला बिजनौर के खाता सं0 74 गाटा सं0 1/11मि क्षे0 1.620 हे0 भूमि के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 सांसद श्री गिरीशचन्द्र व शिकायतकर्ता किशनचन्द पुत्र ख्वानी निवासी मौ0 कस्साबान बिजनौर के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में बताया गया कि भूमि अभिलेख में हेरा–फेरी की गयी है, के सम्बन्ध में शासन द्वारा राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया था, जिसमें जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ग्राम मुर्तजाबाद के अभिलेखो का परीक्षण कर आख्या राज्य स्तरीय कमेटी को दी गयी। राज्य स्तरीय कमेटी के अनुमोदन के पश्चात् उपजिलाधिकारी नगीना के न्यायालय में वाद सं0 टी202213160402958 धारा 38(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता उ0प्र0 सरकार बनाम राजीव कुमार आदि में दिनांक 27.08.2022 को खातेदारो के नाम निरस्त कर भूमि 1360 फसली के अनुसार पूर्व की भांति मूल श्रेणी जंगल के रूप में दर्ज कर दिया गया है, जो अभिलेखो में अंकित है **(छायाप्रति संलग्नक)**। उक्त आदेश के विरूद्ध मा0 न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद सं0 390/पेशकार में

निरन्तर.....

दिनांक 06.10.2022 के क्रम में दिनांक 27.08.2022 का क्रियान्वयन दिनांक 05.12.2022 तक स्थगित किया गया है। वर्तमान में भी वाद उपरोक्त न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन है। स्वामित्व के निर्णय के उपरान्त ही सम्बन्धित को मुआवजा दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

क्रम सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री आशुतोष पाण्डेय	प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद	22.9.23
2	श्री शैलेन्द्र कुमार	उपजिलाधिकारी, नगीना	29.9.23
3	श्री शिव दयाल सिहं	खान अधिकारी, बिजनौर	22/09/2023
4	श्री योगेन्द्र सिहं	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग नजीबाबाद	
5	श्री विजय	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बिजनौर	

Annexure-3

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर

प्रेषक,

जिलाधिकारी
बिजनौर।

सेवा में,

जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व),
मुरादाबाद।

पत्रांक– 24/N-45/जनरल

दिनांक– 04-04-2024

विषय–मण्डल मुरादाबाद न्यायालय आयुक्त में योजित वाद सं0–1794/2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मण्डल मुरादाबाद न्यायालय आयुक्त में योजित वाद सं0–1794/2022 (विरेन्द्र सिंह आदि हल्लोवाली, तहसील–नगीना बनाम उ0प्र0 सरकार आदि, मुर्तजाबाद, तहसील–नगीना, जिला–बिजनौर) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त वाद उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006, अधिनियम की धारा–38(4) के अन्तर्गत दिनांक–29.09.2022 को योजित किया गया है, जिसमें अगली सुनवाई दिनांक–01.05.2024 नियत है।

अग्रेतर अवगत हो कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–451/2022 (आनन्द कुमार ध्यानी बनाम लोक निर्माण विभाग व अन्य) विचाराधीन है, जिसमें मण्डल मुरादाबाद न्यायालय आयुक्त में योजित वाद सं0–1794/2022 के निर्णय से मा0 एन0जी0टी0 को अवगत कराया जाना है। मा0 एन0जी0टी0 में अगली सुनवाई दिनांक–22.04.2024 नियत है।

अतः प्रकरण की महत्वता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत मण्डल मुरादाबाद न्यायालय आयुक्त में योजित वाद सं0–1794/2022 में प्रभावी पैरवी अपने स्तर से कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी
बिजनौर

प्रतिलिपि–आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

04/4/24.
जिलाधिकारी
बिजनौर

(2536 2108)

(1627)

(940)

ACIA

सेवा में

माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली।

माननीय गृहमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली

माननीय मंत्री महोदय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार नई दिल्ली।

माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय और अधिकार भारत सरकार नई दिल्ली।

माननीय केबिनेट सचिव महोदय भारत सरकार नई दिल्ली।

माननीय सचिव महोदय, गृह भारत सरकार नई दिल्ली।

माननीय सचिव महोदय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार नई दिल्ली।

माननीय सचिव महोदय सामाजिक न्याय और अधिकार भारत सरकार नई दिल्ली।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ

माननीय गृह मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ

माननीय मंत्री महोदय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ

माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय और अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ

माननीय मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ

माननीय सचिव गृह महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ

माननीय सचिव महोदय वन ,पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ

माननीय सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकार , उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ

अपर आयुक्त (प्रशासन)
रामपुर मण्डल, मुरादाबाद
21-7-22

विषयः – ग्राम शंकरपुर, गुर्सजाबाद, हल्लोवाली, राजपुर कोट, कायरगंज, रामपुरी , सम्पतपुर धकला, सुलेमान शिकोहपुर व जहानाबाद , रोलीपाडा , बावन सराय, औरंगजेबपुर शाहली, औरंगाबाद , साबूवाला, सुन्दरवाली आदि ग्रामों की जंगलात व नदियों की बारह हजार एकड़, अरबों खरबों रूपये की सार्वजनिक भूमियों को वर्षों पहले रेवेन्यू रिकार्ड में अवैधानिक एवं छलसाधित व फर्जीवाड़ा करके कारपोरेट व अन्य प्राईवेट लोगों के नाम श्रेणी–01 में दर्ज किये जाने की जांच सी0बी0आई अथवा अन्य किसी स्वतंत्र जांच एजेन्सी से जांच कराये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र ।

आदरणीय महोदय,

सादर निवेदन करते हुए अवगत कराना है कि प्रार्थी किशन चन्द पुत्र श्री भवानी सिंह मो0 कस्साबान निकट मेरठ की चुंगी बिजनौर थाना व जिला बिजनौर का निवासी है। प्रार्थी रेवेन्यू आफिस में दिनांक 31–1–2022 तक आशुलिपिक उप जिलाधिकारी नगीना के पद पर कार्यरत रहा है। प्रार्थी ने 30 वर्षो से अधिक

आशुलिपिक के पद की सेवा करने के बाद स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति दिनांक 31–01–2022 को प्राप्त की है। इस लिये प्रार्थी को उपरोक्त पूर्ण तथ्यों की जानकारी है। प्रार्थी के द्वारा जिला बिजनौर की तहसील नगीना के ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली, राजपुर कोट, कादरगंज, मदपुरी , चम्पतपुर चकला, सुलेमान शिकोहपुर व जहानाबाद , तेलीपाडा , बाघन सराय, औरंगजेबपुर शाहली, औरगंगाबाद , साबूवाला, सुन्दरवाली आदि ग्रामों की जंगलात व नदियों की बारह हजार एकड़, अरबों खरबों रूप्ये की सार्वजनिक भूमियों को वर्षो पहलें रेवेन्यू रिकार्ड में अवैधानिक एवं छलसाधित व फर्जीवाड़ा करके कारपोरेट व अन्य प्राईवेट लोंगों के नाम श्रेणी–01 में दर्ज किये किये गये। सार्वजनिक सरकारी भूमियों नदियों के संबंध में प्रार्थी ने प्रमावी कार्यवाही करने हेतु कई प्रार्थना पत्र वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय नगीना, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बिजनौर आयुक्त महोदय मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद एवं उत्तर प्रदेश शासन स्तर एवं भारत सरकार स्तर के उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये। प्रार्थी के प्रार्थना पत्रों पर सावजनिक सरकारी भूमियों के संबंध में कोई प्रमावी कार्यवाही नहीं हुई । प्रार्थना पत्रों में मुख्यतः उल्लेख किया गया कि "सादर निवेदन करते हुए अवगत कराना है कि प्रार्थी किशन चन्द पुत्र श्री खवानी सिंह मौहल्ला कस्साबान बिजनौर जिला बिजनौर का निवासी है । प्रार्थी लोक सेवक के पद आशुलिपिक उप जिलाधिकारी नगीना के पद पर कार्यरत है। तहसील नगीना के परगना बढ़ापुर के विभिन्न ग्रामों में जालसाजी /फ्रॉड करके सरकारी भूमि को भूमिधरी में दर्ज हुई हैं, जिसके संबंध में प्रार्थी ने एक लोक सेवक होने के नाते एक शिकायत दिनांक 2–10–2019 उच्चाधिकारियों की गई। ग्राम तेलीपाड़ा की 1334–07–00 बीघा भूमि घोटाले के संबंध में मेरा विश्वास कीजिये, मै यह सब गंम्भीरता से अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर कह रहा हूँ । शिकायत पर पत्र सं0 634 दिनांकित 19–12–2019 से घोटाले को छिपाने /दबाने वाली आख्या प्रेषित की गई है। जिसमें ग्राम तेलीपाड़ा के संबंध में यह आख्या प्रेषित की गई कि " ग्राम तेलीपाड़ा समस्त वर्तमान राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें जंगल रास्ता नदी किसी भी खसरा नंबर में अंकित नहीं है। सभी खसरा नं0 कृषकों के नाम वर्तमान में दर्ज है, तथा क्षेत्रीय लेखपाल ने भू–अभिलेखागार बिजनौर से सरकारी कार्य हेतु राजसव अभिलेख प्राप्त किये। ग्राम तेलीपाड़ा परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर की खेवट चौसाला 1356 से 1359 फसली में थोक –पटटी का नम्बरदार" राजकुवर चन्दमान सिंह अंकित है। जैसा कि स्तम्भ 2 में अंश (1) एक दर्शाया गया है, तथा स्तम्भ "9"में स्वामी का नाम –पिता का नाम व निवासी स्थान " राजकुमार चन्द्रमान सिंह पुत्र राजा उदैराज सिंह राजपूत निवासी काशीपुर नैनीताल खेवट में अंकित है। खेवट की छाया प्रति संलग्न है। ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर तहसील नगीना की खतौनी 1359 फसली में खेवट नं0 1 चन्दरमान सिंह साहब का नाम अंकित है। जिसमें खसरा नं0 10 (कुल) जंगल झाड़ी व 7(कुल) नदी व 5 (कुल)रास्ता में दर्ज है। ग्राम में कुल खसरा नं0 22 है, जो खेवट नं0 1 में दर्ज है। ग्राम तेलीपाड़ा की 1360 फसली की खतौनी में कुल खसरा 22 पर कुल रकबा पर आदेश अंकित है कि हुक्म श्री हाकिम परगना साहब नगीना 29–9–1953 आराजी नम्बरी जैल पर तेलीपाड़ा श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री

(128)

राजा उदेराज सिंह जाति राजपूत निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागज पटवारी किया जावे। " नकल खतौनी संलग्न है। खतौनी 1362 फसली में जगन–1 में कुवंर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदैराज सिंह हाल निवासी बिजनौर का नाम ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी में अंकित है तथा सम्पूर्ण खसरा नं0 1 लगायत 22 पर नाम दर्ज हैं वर्तमान में जंगल झाड़ी रास्ता नदी का कोई खसरा नंबर राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है।" महोदय वास्तविकता यह है कि ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी वर्ष 1360 में खाता सं0 01 में भूमि गाटा संख्या 2 रकबई 23–12–00, गाटा संख्या 4 रकबई 23–10–00, गाटा संख्या 8 रकबई 07–12–00, गाटा संख्या 10 रकबई 08–12–00, गाटा संख्या 12 रकबई 00–06–00 गाटा संख्या 14 रकबई 175–13–00 , गाटा संख्या 16 रकबई 00–15–00 , गाटा संख्या 18 रकबई 520–03–00 , गाटा संख्या 20 रकबई 15–14–00, गाटा संख्या 22 रकबई 458–00–00 कुल 10 गाटे कुल रकबा 1234–07–00 बीघा पक्का यानि 3702 बीघा 05 बीस्वा भूमि जंगल झाड़ीदार दर्ज/ प्रदर्शित है। ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी वर्ष 1360 में खाता सं0 02 में भूमि गाटा संख्या 03 रकबई 06–09–00 गाटा संख्या 06 रकबई 10–19–00 गाटा संख्या 9 रकबई 07–03 –00, गाटा सं0 11 रकबई 35–15–00 गाटा संख्या 13 रकबई 01–14–00 गाटा संख्या 19 रकबई 32–04–00 गाटा संख्या 21 रकबई 02–13–00 कुल गाटा संख्या 7 कुल रकबा 96–17–00 पक्का बीघा यानि 289 बीघा 01 बिस्वा नदी दर्ज /प्रदर्शित है। ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी वर्ष 1360 में खाता सं0 03 में भूमि गाटा सं0 1 रकबई 00–04–00, गाटा संख्या 5 रकबई 00–09–00 गाटासंख्या 7 रकबई 00–14–00 गाटा संख्या 15 रकबई 00–02–00 गाटा संख्या 17 रकबई 02–03–00 कुल गाटा संख्या 05 कुल रकबा 03–12–00 बीघा पक्का यानि 09 बीघा 06 बिस्वा रास्ता /प्रदर्शित है। श्री हामिद हुसैन तहसीलदार नगीना व श्री अशोक मार्य उप जिलाधिकारी नगीना के द्वारा जानबूझकर अनुचित कारणों से प्रभावित होकर उच्चाधिकारियों तथ्यों के विपरीत लेखपाल की भ्रामक आख्या [illegible] की गई है। तहसीलदार नगीना अथवा उप जिलाधिकारी नगीना के द्वारा स्वयं कोई जांच या अभिलेखों का [illegible] नहीं किया गया । जिसके संबंध में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है– महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना [illegible] की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 1334–16–00 (एक हजार [illegible] बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि दर्ज थी। [illegible] एक जालसाजी/फ्रॉड एण्ट्री "बहुक्म श्री हाकिम परगना साहब नगीना 29–9–1953 आराजी ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , [illegible] 16–00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार [illegible] बिस्वा भूमि)पर तेलीपाड़ा श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री राजा उदेराज सिंह निवासी हाल [illegible] भूमिधर दर्ज कागज पटवारी किया जावे।" की गई है। इस तथ्य को छिपाया गया है। महोदय [illegible] अधिनियम 1952 और नदी अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927 दृष्टिगत ग्राम तेलीपाड़ा [illegible] सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 1334–16–00 (एक हजार तीन सौ बीघा

सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि हाकिम परगना द्वारा नहीं दिया जा सकता था । इस तथ्य को छिपाया गया है। महोदय जमीदारी विनाश अधिनियम 1952, नदी अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927 के दृष्टिगत ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर की सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 4004—08—00 (चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा)कच्चा बीघा भूमि किसी व्यक्ति / विशेष के नाम हाकिम परगना द्वारा नहीं दिया जा सकता है ?इस तथ्य को भी छिपाया गया है। महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 1334—16—00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि जालसाजी व फ्रॉड एण्ट्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री राजा उदेराज सिंह के नाम करके सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 1334—16—00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि को बाद में विभिन्न व्यक्तियों के नाम स्थानांतरित हो रही है, इस तथ्य को छिपाया गया है। महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल .1334—16—00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि को फ्रॉड एण्ट्री के कारणों से भिन्न — भिन्न खाता संख्या व भिन्न गाटा सख्यांओं में दर्ज किये जाने के तथ्य को छिपाया गया है महोदय सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार वन से संबंधित किसी भी भूमि को पर्यावरण सरंक्षण व वन सरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग नहीं किया जा सकता है। ग्राम तेलीपाड़ा की सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार वन गाटा सं0 18 रकबई 520—13—00 में से 11.128 है0 भूमि को पर्यावरण सरंक्षण वन सरंक्षण अधिनियम के विपरीत दिनांक 3—2—2019,15—7—2019 को आबादी घोषित किये जाने के तथ्यों को भी छिपाया गया है। महोदय माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में नदी जल श्रोतों को कोई बाधा नहीं पहुँचाई जा सकती है। यदि पहुँचाई गई है तो उसको पूर्व की भांति सस्थापित किया जाये। फ्रॉड एण्ट्री से नदी भूमि को क्षति पहुँचाने संबंधी तथ्यों को छिपाया गया है। महोदय श्री हामिद हुसैन तहसीलदार नगीना व श्री अशोक मौर्य उप जिलाधिकारी नगीना के द्वारा पूजिपतियोंय, भूमाफियों, राजनीतिक दबाव में जांच करके कोई कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई है और 1334—16—00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि घोटाले को छिपाने/दबाने हेतु कुत्सित प्रयास किया गया है। इनकी कार्यशैली की जांच की जाये। महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 1334—16—00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि जालसाजी व फ्रॉड एण्ट्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री राजा उदेराज सिंह के नाम करके सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 1334—16—00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि को पर्यावरण अधिनियम, वन सरंक्षण

*

(136)

अधिनियम व प्राकृतिक श्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिये दोषियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।महोदय की अति कृपा होगी। विषयः– ग्राम शंकरपुर , तेलीपाड़ा, राजपुर कोट, मुर्तजाबाद , हल्लूवाली , बावन सराय , औरंगजेबपुर शाहली , कादरगंज , जहानाबाद , औरगांबाद , साबूवाला , सुन्दरवाली व अन्य ग्रामों की"जंगल", "नदी" भूमि की जालसाजी व फर्जीवाडा में योजनाबद्ध षडयंत्र करके संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते हुए कई प्रकार के अपराध जैसे धन शोधन अधिनियम उल्लघंन (मनी लॉड्रिग) , सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार , भारतीय न्यास अधिनियम– 1882, भारतीय वन अधिनियम –1927 का उल्लघंन, जल अधिनियम– 1974 का उल्लंघन, सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम–1984 का उल्लंघन, पर्यावरण अधिनियम– 1986 का उल्लंघन करते हुए प्राकृतिक सम्पदाओं को योजनाबद्ध षडयंत्र करके क्षति पहुँचाने संबंधी अपराधों की जांच किये जाने के संबंध में । महोदय सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी किशन चन्द पुत्र श्री खवानी सिंह मौ0 कस्साबान बिजनौर जिला बिजनौर के रहने वाला है और कार्यालय उप जिलाधिकारी नगीना में आशुलिपिक के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी ने शासकीय एवं जनहित का महत्वपूर्ण प्रकरण स्थानीय अधिकारियों के समक्ष लिखित रूप में रखा गया, किन्तु अक्तूबर –2019 से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। स्थानीय अधिकारियों के द्वारा शासकीय एवं जनहित के महत्वपूर्ण प्रकरण मेंमात्र खानापूर्ति के लिये एक दूसरे को पत्राचार किया जा रहा है। शासकीय एवं जनहित के महत्वपूर्ण प्रकरण के उल्लेखनीय तथ्य यह है कि श्री गजेन्द्र कुमार तत्कालीन उप जिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा प्रार्थी को कुछ ग्रामों की "नदी" "जंगल" की भूमि के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रार्थी ने कुछ लेखपालों के क्षेत्र के ग्रामों के रेवेन्यू नक्शा आदि से स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया कि ग्राम जहानाबाद तेलीपाड़ आदि ग्रामों की भूमि "नदी" "जंगल" की है। श्री गजेन्द्र कुमार उप जिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा श्री हामिद हुसैन तहसीलदार नगीना को निर्देश दिये गये, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। श्री गजेन्द्र कुमार उप जिलाधिकारी महोदय नगीना का स्थानांतरण होने पर तुरंत प्रार्थी ने लोक सेवक होने के नाते अपने पदेन दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए श्री अशोक मौर्य तत्कालीन उप जिलाधिकारी नगीना की सेवा में दिनांक 2–10–2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और जिलाधिकारी महोदय की सेवा में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिलाधिकारी महोदय बिजनौर द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को पत्र संख्या 1200/ओ0एस0डी0 –2019 दिनांक 9–10–2019 से उप जिलाधिकारी महोदय नगीना से रिपोर्ट तलब की गई, जिसके क्रम में पत्र सं0 170/एस0टी0–19 दिनांक 19–12–2019 प्रेषित किया गया, इस पत्र में अन्य तथ्य के साथ यह भी स्वीकार किया कि सुलेमान शिकोहपुर, राजपुर कोट, औरंगजेबपुर शाहली, ढकिया बावन सराय आदि ग्रामों के संबंध में पृथक से जांच की जा रही है, इस पत्र की प्रतिलिपि प्रार्थी को भी प्राप्त कराई गई। प्रार्थी ने पुनः जिलाधिकारी महोदय बिजनौर , प्रभागीय निदेशक महोदय नजीबाबाद वन प्रभाग बिजनौर, उप संचालक चकबंदी महोदय बिजनौर को प्रार्थना पत्र दिनांक 29–12–2019 प्रेषित किया । श्री कुवंर वीरेन्द्र मौर्य उप जिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा तहसीलदार नगीना को पत्र सं0 675/एसम0टी0–उ0जि0अ0–20120 दिनांक

07-02-2020 से आख्या तलब की गई, इस पत्र की प्रति श्री भगवत प्रसाद निवासी तेलीपाड़ा को भी प्रेषित की गई है। सन्दर्भित पत्र सं0 675/एस0डी0-उ0जि0अ0-20120 दिनांक 07-02-2020 के अनुक्रम में श्री हामिद हुसैन तहसीलदार नगीना के द्वारा पत्र सं0 349/3/रा0लि0-2020 दिनांक 12-2-2020 पत्र प्रेषित किया गया, इस पत्र में अन्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रार्थी के इस कथन को स्वीकारा कि "वर्तमान में राजस्व अभिलेखों के अनुसार कोई जंगल, नदी, आदि की भूमि अभिलिखित नहीं है। अभिलेखों में कूट रचित एण्ट्री है। अतः प्रश्नगत खसरा नंबरान को विभिन्न काश्तकारों के नाम से खारिज कर वर्ष खतौनी 1359 के आधार पर कुल गाटा सं0 22 को उसके मूल रूप जंगल, नदी, दर्ज की जाना उचित है।" तहसीलदार नगीना का सन्दर्भित पत्र सं0 349/3/रा0लि0-2020 दिनांक 12-2-2020 उप जिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा पत्र सं0 680(2)/एस0डी0-उ0जि0अ0-नगीना-2020 दिनांक 19-2-2020 से वापस किया गया, इस पत्र में भी तेलीपाड़ा की ओर से साक्ष्य लिये जाने के निर्देश दिये गये। तदोपरांत उप जिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा अपने पत्र सं0 712(3)/एस0डी0-उ0जि0अ0-2020 दिनांक 19-3-2019 से तहसीलदार नगीना का सन्दर्भित पत्र सं0 349/3/रा0लि0-2020 दिनांक 12-2-2020 को एक महीने से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय बिजनौर को प्रेषित किया गया। प्रार्थी के द्वारा श्री कुंवर वीरेन्द्र मौर्य उप जिलाधिकारी नगीना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17-6-2020 जिलाधिकारी महोदय बिजनौर की सेवा में प्रेषित किया गया। जिसे अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय बिजनौर द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय नगीना को प्रेषित कर दिया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 20-12-2019 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी महोदय बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय बिजनौर की सेवा में पत्र सं0 4491/26-14 दिनांक 29-5-2020 प्रेषित करते हुए अनुरोध करते हुए जंगल की भूमि के संबंध में धारा-04 घोषित करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकरण में उप जिलाधिकारी महोदय नगीना द्वारा एक पत्र सं0 39/एस0टी0-2020 दिनांक 10-6-2020 प्रभारी अधिकारी (शिकायत प्रकोष्ठ) महोदय कलेक्ट्रेट बिजनौर को प्रेषित किया गया, इस पत्र में भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर श्री भगवत प्रसाद पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद प्रबन्धक दिवाकर सहकारी कृषि समिति ग्राम तेलीपाड़ा को सुनवाई का अवसर दिये जाना स्वीकारा गया है। इस पत्र की प्रति प्रार्थी को भी प्राप्त कराई गई है। इस पत्र में उप जिलाधिकारी महोदय नगीना ने कार्यवाही "रेस्टजूडिकेटा" से प्रभावित होने का भी उल्लेख किया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महोदय बिजनौर द्वारा पत्र सं0 445/शि0प्र0-2019 दिनांक 01-07-2020 उप जिलाधिकारी महोदय नगीना को लिखा गया है, जिसमें स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में निर्देश दिये गये है। महोदय उल्लिखित सभी पत्रों व प्रार्थना पत्रों की छाया प्रतियां प्रस्तुत है। महोदय श्रीमान तहसीलदार नगीना, श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय नगीना, श्रीमान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महोदय बिजनौर के पत्रों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर वास्तविकता यह है कि ग्राम गुर्ताजाबाद, परगना बढ़ापुर, तहसील नगीना, जनपद बिजनौर की हजारों एकड़ भूमि खतौनी फसली वर्ष 1359 में खाता संख्या 01 के गाटा

संख्या 01, 03, 07, 09, 11 क्रमशः रकबा 517–10–00 , 150–10–00 ,05–02–00 04–10–00 , 26–05–00 कुल रकबा 709–11–00 बीघा पुख्ता "जंगल" भूमि व खाता संख्या 02 , 04, 06, 08, 08, 10 क्रमशः रकबा 01–10–00 ,06–00–00, 04–03–00, 08–12–00, 36–09–00, 13–16–00 कुल रकबा 140–10–00 बीघा पुख्ता "नदी" भूमिया हैं और ग्राम शंकरपुर परगना बढ़ापुर तहसील नगीना जनपद बिजनौर की हजारो एकड़ भूमि खतौनी फसली वर्ष 1359 में खाता संख्या 01 के गाटा संख्या 01, 03, 05, 06, 08, 10 क्रमशः रकबा 01–06–04, 36–13–00, 05–02–00, 32–15–00, 03–15–00, 390–08–00 कुल रकबा 470–02–00 बीघा पुख्ता "जगल " भूमि और खाता सं0 02 के गाटा सं0 02, 04, 07, 09, 11 क्रमशः रकबा 00–05–00 , 40–02–00, 01–10–00, 26–01–00, 31–04–00 कुल रकबा 99–02–00 बीघा पुख्ता "नदी" भूमियां है तथा एवं ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर तहसील नगीना जनपद बिजनौर की हजारो एकड़ भूमि खतौनी फसली वर्ष 1359 में खाता संख्या 01 के गाटा संख्या 02, 04, 08, 10; 12, 14, 16, 18, 20, 22 क्रमशः रकबा 23–12–00, 23–10–00, 07–12–00, 08–12–00 , 00–06–00 , 175–13–00, 00–15–00, 520–03–00, 16–14–00, 458–00–00 कुल रकबा 1234–07–00 "जंगल" भूमि व खाता संख्या 02 के गाटा संख्या 03, 06, 09, 11, 13, 19, 21 क्रमशः रकबा 06–09–00 , 10–19–00 , 07–03–00 , 36–15–00, 1–14–00, 32–04–00 , 02–13–00 बीघा पुख्ता "नदी" भूमियां है एवं ग्राम राजपुर कोट परगना बढ़ापुर तहसील नगीना जनपद बिजनौर की हजारो एकड़ भूमि खतौनी फसली वर्ष 1359 में खाता संख्या 01 के गाटा संख्या 02, 08 क्रमशः रकबा 814–08–00, 00–03–00 कुल रकबा 814–11–00 बीघा पुख्ता "जंगल" भूमियां है । श्रीमान तहसीलदार नगीना , श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय नगीना, श्रीमान अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय बिजनौर के पत्रों श्री भगवत प्रसाद पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद तेलीपाड़ा का बार बार जिक्र किया गया है, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का जिक्र नहीं किया गया, इन सभी बातों से तथा अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर ग्राम मुर्तजाबाद, शंकरपुर , तेलीपाड़ा , राजपुर कोट ग्रामों का समस्त क्षेत्रफल व इन ग्रामों की भाँति हल्लूवाली , बावन सराय , औरंगजेबपुर शाहली , कादरगंज , जहानाबाद , औरंगाबाद , साबूवाला , सुन्दरवाली व अन्य ग्रामों की समस्त व आंशिक "जंगल", "नदी" की हजारों एकड़ भूमियों को भगवत प्रसाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद के द्वारा सरकारी तंत्र की मिली भगत से जालसाजी , धोखाधड़ी आदि करके व कराकर "जगंल, नदी" की भूमियों को एग्रीकल्चर बनाकर सरकारी भूमियों की एग्रीकल्चर स्मगलिंग की गई है और "जगंल, नदी" आबादी में तथा भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिये जालसाजी, धोखाधड़ी करके दिल्ली, हरियाणा, कलकत्ता, गोहाटी, पंजाब , उत्तराखण्ड के हाईप्रोफाईल व्यक्तियों व उत्तर प्रदेश के अन्य व्यक्तियों के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज कराकर "जंगल", "नदी" भूमियों को रेवेन्यू रिकार्ड से गायब करा दिया है तथा अधिकांश "जंगल", "नदी" भूमियों को जालसाजी धोखाधड़ी करके हजारों करोड़ों में विक्रय कर हजारों करोड़ धनराशि को देश विदेश में लगाया गया। इन भूमियों की अनेकों रजिस्ट्री सब रजिस्ट्री नगीना थाना नगीना में भगवत प्रसाद ने की है। यह भी ज्ञात हुआ कि ग्राम तेलीपाड़ा में

स्थित खाता सं0 11 गाटा सं0 22 मि0 रकबा 80.170 हैक्टेअर (एक हजार बीघा से अधिक) जंगल भूमि व खाता सं0 10 गाटा सं0 18/7 रकबा 70.100 हैक्टेअर (नौ सौ बीघा से अधिक) जंगल भूमि एवं खाता सं0 09 गाटा सं0 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 कुल रकबा 29.466 है0 (चार सौ बीघा से अधिक) नदी भूमि है , इस इन हजारो बीघा जंगल, नदी की भूमि अवैध कारणों से एन0सी0जिन्दल चैरिटेबिल ट्रस्ट/जरिये देवी सहाय जिन्दल पुत्र नेतराम सिंह निवासी हाल ग्राम के नाम दर्जहै। इन जंगल, नदी की भूमियों को बहैसियत कथित मुख्तारनामा भगवत प्रसाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद द्वारा विक्रय भी किया जा रहा है। अवैध रूप से जंगल नदी की भूमि पर स्थापित ट्रस्ट की सत्यापन रिपोर्ट श्री गजेन्द्र कुमार उप जिलाधिकारी महोदय नगीना ने एवं श्री हामिद हुसैन तहसीलदार नगीना द्वारा किन्ही लोग लालच में माह सितंबर में तैयार करके श्री भगवत प्रसाद को प्राप्त कराई गई है। जालसाजी व धोखाधड़ी किये जाने के कारणों से ये "जंगल", "नदी" की भूमियां रेवेन्यू रिकार्ड से गायब होकर वर्तमान में भगवत प्रसाद व उसके परिवार व अन्य विभिन्न नामों पर व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है। स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा इन "जंगल", "नदी" भूमि को भ्रष्ट आचरण के कारणों से लंबी अवधि से मूल श्रेणी में दर्ज किये जाने हेतु कार्यवाही नहीं की है। जबकि इन ग्रामों की भूमियों की "जंगल", "नदी" भूमि की जालसाजी व फर्जीवाडा में योजनाबद्ध षडयंत्र करके संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते हुए कई प्रकार के अपराध जैसे धन शोधन अधिनियम उल्लघंन (मनी लॉड्रिंग) , सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार , भारतीय न्यास अधिनियम –1882 ,भारतीय वन अधिनियम –1927 का उल्लघंन, जल अधिनियम –1974 का उल्लंघन, सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम–1984 का उल्लंघन, पर्यावरण अधिनियम– 1986 का उल्लंघन करते हुए प्राकृतिक सम्पदाओं को योजनावद्व षडयंत्र करके क्षति पहुँचाने संबंधी अपराध घटित हुए है। महोदय कृपया शासकीय व जनहित में कार्यवाही करने की कृपा करें। 1– पत्र सं0 170/एस0टी0–2019 दिनांक 19–12–2019 कुल वर्क तीन 2– प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 29–12–2019 कुल वर्क दो 3– पत्र सं0 675/एस0टी0–उ0जि0अ0–नगीना–2020 दिनांक 07–02–2020 वर्क एक 4– पत्र सं0 689(2)/एस0टी0–उ0जि0अ0–नगीना–2020 दिनांक 19–02–2020 वर्क एक 5– पत्र सं0 712(3)/एस0टी0उ0जि0अ0–2020 दिनांक 18–3–2020 वर्क एक 6– पत्र सं0 349(3)/रा0लि0–2020 दिनांक 12–2–2020 कुल वर्क दो 7– प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 17–5–2020 कुल वर्क पांच 8– पत्र सं0 4491/25–14 वन प्रमाग दिनांक 29–5–2020 वर्क एक 9– पत्र सं0 39/एस0टी0–2020 दिनांक 18–6–2020 कुल वर्क दो 10– पत्र सं0 445/शि0प्र0–2019 दिनांक 01–07–2020 वर्क एक

11– पत्र सं0 543/एस0टी0–2019 दिनांक 3–10–2019 वर्क एक 12– फर्द खैतौनी ग्राम तेलीपाड़ा वर्क 06। संलग्नकः– प्रार्थना पत्र वर्क 06 एवं अन्य 26 वर्क कुल 32 वर्क। दिनांकः– 01–08–2020 प्राथी किशन चन्द पुत्र श्री खवानी सिह निवासी मौ0 कस्साबान बिजनौर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश मो0नं0–8218813872। सेवा में, श्रीमान केबिनेट सचिव महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली। श्रीमान गृह सचिव, भारत सरकार नई दिल्ली। श्रीमान

मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ । श्रीमान गृह सचिव , महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर। विषयः— प्रार्थना पत्र दिनांक 01—08—2020 के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी किशन चन्द पुत्र श्री खवानी सिंह मौ0 कस्सावान बिजनौर जिला बिजनौर के रहने वाला है और कार्यालय उप जिलाधिकारी नगीना में आशुलिपिक के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी ने शासकीय एवं जनहित का महत्वपूर्ण प्रकरण स्थानीय अधिकारियों के समक्ष लिखित रूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, किन्तु अक्तूबर —2019 से कार्यवाही नहीं हुई है। शासकीय एवं जनहित में व्हीसल ब्लोवर एक्ट के तहत जालसाजी आदि अपराधों के संबंध में अभिलेखीय साक्ष्यों सहित प्रार्थना पत्र दिनांक 01—08—2019 महोदय की सेवा में प्रेषित किये गया । उपर्युक्त राजस्व ग्रामों के पुराने रैवेन्यू रिकार्ड में अंकित जंगल (पुराने वनों) की भूमियों को अधिकारियों कर्मचारियों ने भूमाफियाओं से दुरभि सन्धि करके व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित है तथा कई सौ वर्षो से शिवालिक पहाड़ियों से कोटद्वार सिद्धबली मन्दिर के पास से बारह मास बहने वाली प्रसिद्ध व पवित्र नदी खोह व उसकी सहायक नदी जो पुराने रैवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है, इस पवित्र नदी की भूमियों को भी अधिकारियों कर्मचारियों ने भूमाफियाओं से दुरभि सन्धि करके व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में रैवेन्यू रिकार्ड में दर्ज कर दिया है । बरसात के दिनों में पवित्र नदी से जनपद बिजनौर के मैदानी इलाकों में कभी कभी भयंकर बाढ़ की स्थिति में बनती है। महोदय जंगल(पुराने वन) व पवित्र खोह नदी व उसकी सहायक नदी की भूमियों को भूमाफियाओं के द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों से दुरभि सन्धि करके विक्रय करने के अपराध किये गये है। महोदय नियमतः जंगल (पुराने वन) तथा पवित्र नदियां का लैण्ड यूज बदला नहीं सकता है। महोदय अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से जंगल (पुराने वन) तथा पवित्र खोह नदी व उसकी सहायक नदियों की भूमिया रेवेन्यू रिकार्ड में व्यक्तिगत सम्पत्ति दर्ज होने से प्रसिद्ध व पवित्र नदियों का अस्तित्व भी खतरे में है। महोदय कृपया समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें।संलग्नः— 1— पवित्र खो नदी व उसकी सहायक नदी का गूगल मैप ।2— प्रार्थना पत्र दिनांक 01—08—2020 की प्रति।दिनांक 15—09—2020 प्रार्थी किशन चन्द पुत्र श्री खवानी सिंह, निवासी मौहल्ला कस्सावान बिजनौर तहसील व थाना बिजनौर उत्तर प्रदेश " सादर निवेदन यह है कि मै किशन चन्द पुत्र श्री खवानी सिंह निवासी मौ0 कस्साबान का निवासी हूँ। एक लोक सेवक के पद पर तैनात हूँ। महोदय मेरे द्वारा तहसील नगीना जिला बिजनौर की वन, नदी, तालाब की हजारों हेक्टेएअर भूमियों व परिसम्पत्तियों को फर्जीवाड़ा करके असंवैधानिक तरीके से हाईप्रोफाईल व्यक्तियों के नाम किये जाने व उनके असंवैधानिक कब्जे के संबंध में तहसील स्तारीय व जिला स्तरीय उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये गये , अभी तक नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं हुई है। महोदय राष्ट्रहित व जनहित में उच्च स्तर पर महोदय की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है— महोदय खतौनी फसली वर्ष 1359 में ग्राम राजपुर कोट परगना बढ़ापुर भूमि भारत सरकार के खेतो की सख्या 8 है। खेत/खसरा संख्या 01 क्षेत्रफल 01—12—00 तालाब , ख0 सं0 02 क्षेत्रफल 814—08—00 जंगल झाड़ीदार, ख0सं0 03, 04, 05, 06, 07 क्षेत्रफल क्रमशः 13—16—00, 00—09—00,

00–07–00, 00–18–00, 00–02–00 सड़क , ख0सं0 08 क्षेत्रफल 00–03–00 जंगल झाड़ीदार है, जिसका कुल क्षेत्रफल 831–15–00 बीघा खाम यानि दो हजार पांच सौ बीघा से अधिक भारत सरकार वन भूमि है । महोदय आज भी उपरोक्त सरकारी भूमि खतौनी फसली वर्ष 1359 ग्राम राजपुर कोट परगना बढ़ापुर कागजात सरकारी में जंगल झाड़ीदार भारत वन भूमि दर्ज है। इस भूमि के संबंध में " जंगलात ऑफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नमबरान पर काश्त करने की इजाजत दी । " यह पृष्ठांकन 20–6–1952 का दिखाया गया है। खेत नं0 02, 08 कुल दो हजार चार सौ सैंतालीस बीघा से अधिक भूमि कुंवर चन्दर भान सिंह के नाम श्रेणी – 1 में दर्ज की गई। ग्राम राजपुर कोट तहसील नगीना जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रफल यानि ग्राम की समस्त सरकारी भूमि दो हजार चार सौ बीघा से अधिक भूमि का फर्जीवाड़ा हुआ है। सरकारी वन भूमि पर निवासीगण मुम्बई, कलकत्ता , दिल्ली आदि के प्राईवेट व्यक्तियों व अन्य व्यक्तियों का नाम संक्रमणीय भूमिधर कर दिया है। नियमानुसार वन, तालाब की भूमि पर किसी को संक्रमणीय अधिकार नहीं दिये जा सकते है। यह असंवैधानिक है। महोदय ग्राम राजपुर कोट की भाँति, ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी वर्ष 1360 में भारत सरकार के खेतो की संख्या 22 है! भूमि गाटा संख्या 2 रकबई 23–12–00, गाटा संख्या 4 रकबई 23–10–00, गाटा संख्या 8 रकबई 07–12–00, गाटा संख्या 10 रकबई 08–12–00, गाटा संख्या 12 रकबई 00–06–00 गाटा संख्या 14 रकबई 175–13–00 , गाटा संख्या 16 रकबई 00–15–00 , गाटा संख्या 18 रकबई 520–03–00 , गाटा संख्या 20 रकबई 15–14–00, गाटा संख्या 22 रकबई 458–00–00 कुल 10 गाटे कुल रकबा 1234–07–00 बीघा पक्का यानि 3702 बीघा 05 बीस्वा भूमि जंगल झाड़ीदार भारत सरकार वन भूमि है। महोदय भूमि गाटा संख्या 03 रकबई 06–09–00 गाटा संख्या 06 रकबई 10–19–00 गाटा संख्या 9 रकबई 07–03 –00, गाटा सं0 11 रकबई 35–15–00 गाटा संख्या 13 रकबई 01–14–00 गाटा संख्या 19 रकबई 32–04–00 गाटा संख्या 21 रकबई 02–13–00 कुल गाटा संख्या 7 कुल रकबा 96–17–00 पक्का बीघा यानि 289 बीघा 01 बिस्वा भारत सरकार नदी है। भूमि गाटा सं0 1 रकबई 00–04–00, गाटा संख्या 5 रकबई 00–09–00 गाटासंख्या 7 रकबई 00–14–00 गाटा संख्या 15 रकबई 00–02–00 गाटा संख्या 17 रकबई 02–03–00 कुल गाटा संख्या 05 कुल रकबा 03–12–00 बीघा पक्का यानि 09 बीघा 06 बिस्वा भारत सरकार रास्ता दर्ज है। महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 1334–16–00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि दर्ज है। महोदय खतौनी 1360 में "बहुक्म श्री हाकिम परगना साहब नगीना 29–9–1953 आराजी नम्बरी जैल (ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 1334–16–00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि)पर तेलीपाड़ा श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री राजा उदेराज सिंह निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागज पटवारी किया जावे।" ग्राम तेलीपाड़ा के समस्त

क्षेत्रफल चार हजार बीघा से अधिक भारत सरकार वन भूमि, नदी भूमि पर निवासीगण दिल्ली आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधर कर दिया है। नियमानुसार वन, नदी भूमि पर किसी को संक्रमणीय अधिकार नहीं दिये जा सकते है। यह असंवैधानिक है। महोदय ग्राम राजपुर कोट, राजपुर, तेलीपाड़ा की भाँति असंवैधनिक ढंग से ग्राम जहानाबाद, सुलेमाशिकोहपुर, बावन सराय, हल्लोवाली आदि ग्रामों की कई हजारों बीघा भारत के वन , वन भूमियों नदी की भूमियों को फर्जीवाड़ा करके हाईप्रोफाइल व्यक्तियों के नाम व अन्य फर्जी नामों पर चढ़ाई और हाईप्रोफाइल व्यक्तियों के कब्जे करा दिये गये । महोदय ग्राम राजपुर कोट, राजपुर, तेलीपाड़ा वन भूमियों के संबंध में राजस्व न्यायालय के द्वारा हाईप्रोफाइल व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिये असंवैधानिक रूप से धारा—80 आदि में आदेश निर्गत कर रहें है और जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। महोदय प्राकृतिक स्रोतों से संबंधित भारत सरकार की भूमि हिमालय की तलहटी की वन भूमि है। इस बेशकीमती वन, वन भूमियों, नदी की भूमियों, परिसम्पत्तियों को असंवैधानिक तरीके से हाईप्रोफाइल व्यक्तियों के द्वारा कालोनी काटी जा रही हैं और अरबों/खरबों में कय — विकय कर खुर्द—बुर्द किया जा रहा है। यदि सरकारी भूमियों के मूल्यों का आंकलन किया जाये तो लगभग तीस हजार करोड़ से अधिक आयेगा। वन, वन भूमि, नदी से संबंधित जहानाबाद, राजपुर,राजपुर कोट तेलीपाड़ा आदि ग्रामों की कई हजारों एकड़ भूमियों के घोटालों के मामलों के षडयंत्र में तहसील स्तरीय अधिकारी एस0डी0एम0, तहसीलदार, चकबन्दी अधिकारी व अन्य कर्मचारीगण ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय सेवा के आई0ए0एस0, वरिष्ठ आई0ए0एस0, वरिष्ठ आई0एफ0एस0, आई0एफ0एस0 अधिकारियों के द्वारा पदेन दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन इमानदारी से नहीं किया गया। हाईप्रोफाईल व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिये वन विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई । हाईप्रोफाईल व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिये राजस्व विभाग की ओर से जंगल, नदी, तालाब की भूमियों को श्रेणी —1 संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही नही की गई। हाईप्रोफाईल व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिये चकबन्दी विभाग ने वन, नदी, तालाब के ग्राम जहानाबाद, राजपुर आदि व ग्रामों में चकबन्दी प्रकिया करने के लिये गजट कर दिया गया। महोदय जनहित में जिला बिजनौर की तहसील नगीना में स्थित ग्राम राजपुर कोट, तेलीपाड़ा, जहानाबाद, हल्लोवाली, बावन सराय, आदि में राष्ट्रीय सम्पत्ति वन , वन भूमियों, नदी भूमियों परिसम्पत्तियों के संबंध में जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की कृपा करें, ताकि पर्यावरण के जैविक संघटकों सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े —मकौड़े, सभी जीव—जन्तु और पेड़—पौधे तथा पर्यावरण के अजैविक संघटक पर्वत, चटटाने, नदी, हवा इत्यादि सुरक्षित व संरक्षित रह सके।महोदय की अति कृपा होगी।

वर्ष 1359 फसली में बहुत से ग्रामों की जंगल झाडीदार भूमियां वर्तमान में वन विभाग के नाम, व नदियों की भूमिया नदी वन विभाग के नाम से दर्ज है। यह कहना निष्पक्ष नहीं है कि ग्राम शकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली ग्राम की जगंल झाड़ीदार भूमियां वन विभाग की नहीं है । जबकि डी0एफ0ओ0 नजीबाबाद वन प्रभाग बिजनौर के द्वारा जिलाधिकारी बिजनौर, उप जिलाधिकारी नगीना से जंगल झाड़ीदार भूमियों पर फर्जी प्रविष्टियों

को निरस्त कर भूमियों की फर्द उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा कई बार की जा चुकी है। ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली आदि 12 ग्राम के रेवेन्यू रिकार्ड 1952, 1953, 1954 के थे इसी कारण से अनौपचारिक रूप से फर्जी अगलदरामद भी 1952, 1953, 1954 की तिथि का दिखाया गया। यदि फर्जी अमलदरामद 1952, 1953, 1954 के अनुक्रम में कोई बैनाम किया गया तो 1952, 1953, 1954 या उसके बाद के वर्षो में किये गये बैनामों की छाया प्रतिया अभिलेखीय साक्ष्यों के रूप में अवश्यक एकत्र होती । दूसरे वर्ष 1952, 1953, 1954 में इन बारह ग्रामों की कुल क्षेत्रफल की भूमियां जंगल झाडीदार, नदी , तालाब की रेवेन्यू मुक्त रही है। फर्जी प्रविष्टियों को वर्ष 1952, 1953, 1954 की एक साथ एक ही लेख व एक ही तिथि में मात्र लिख कर लगानी दिखाई गयी है। यदि इन बारह ग्रामों की प्रविष्टियां वर्ष 1952, 1953, 1954 वर्ष की दिखाई गई है। इन फर्जी प्रविष्टयों की सत्यता को जानने के लिये यह जांच करना आवश्यक है कि इन 12 ग्रामों की भूमिया कब तक बिना लगानी रही है और कब से लगान की वसूली की शुरूवात की गई है । इसकी पुष्टि किसी पुष्ट राजस्व लगान रसीद अथवा अन्य पुष्ट राजस्व अभिलेखीय साक्ष्य से ही निर्धारित की जा सकती है। वर्ष 1952, 1953, 1954 के राजस्व रिकार्ड में जंगलात ऑफिसर अथवा परगनाधिकारी नगीना के तरफ से वर्ष 1952, 1953, 1954 में नहीं उतारा गया है बल्कि यह फर्जी प्रविष्टियां है । वर्ष 1952, 1953, 1954 के कई वर्ष बाद की है अर्थात जंगलात आफिसर अथवा परगनाधिकारी के हवाले से 1952, 1953, 1954 की प्रविष्टियां कूट रचित है। तहसील नगीना के नक्शा में इन बारह ग्रामों की सीमायें एक दूसरे से मिलती है, इनके सीमा स्तम्भ भी मौके पर नहीं लगे है। इन ग्रामों की भूमियों में अभी भी जंगलात जैसा आलम है । ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली, राजपुर कोट, कादरगंज, मदपुरी , चम्पतपुर चकला, सुलेमान शिकोहपुर व जहानाबाद , तेलीपाडा व अन्य ग्रामों के भौमिक अभिलेखों में दिनांक 28/05/1952 तथा दिनांक 29/08/1953 की अवैधनिक तथा छलसाधित अमलदरामदों के अनुक्रम में जो भी बैनामा पक्षों के बीच वर्ष 1968 के बाद हितबद्ध पक्षों के मध्य एक सोची समझी साजिश व मिली भगत से किये गये है। चकबन्दी विभाग द्वारा जहानाबाद आदि ग्रामो की वन विभाग की भूमियों की चकबन्दी की गई है। चकबन्दी विभाग ने रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज जंगल झाड़ी वन विभाग की भूमियों के चक अवैधानिक रूप काट दिये गये है। चकबन्दी विभाग ने भी जहानाबाद आदि ग्रामों की चकबन्दी करते हुए रेवेन्यू रिकार्ड में किये गये छल कपट को छुपाया गया है। पुराने भू चित्र में चक बनाकर चकबन्दी कार्य समाप्त दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग 1 संख्या 1165/एक 1 2020 रा0 1 लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर 2020 के अनुक्रम व माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जिला वन अधिकारी बिजनौर सदस्य, संयुक्त सचांलक चकबन्दी, चकबन्दी विभाग उ0प्र0 लखनऊ सदस्य ,जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी सदस्य , चकबन्दी आयुक्त , उ0प्र0 लखनऊ अध्यक्ष की संयुक्त हस्ताक्षित जांच आख्या तीन ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली से संबंधित दिनांक 08/10/2021 चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश/अध्यक्ष जांच समिति ने अपने पत्र सं0 11/कैम्प/डिस्पैच अनुभाग /2021 दिनांक : 08 अक्टूबर 2021 से अपर मुख्य सचिव,

13

राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्रेषित की गई है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के द्वारा अपने पत्र सं0 ई 541 /एक 1 2021 रा0 1 राजस्व अनुभाग 1 लखनऊ दिनांक 06 दिसंबर 2021 के द्वारा शासन स्तरीय जांच कमेटी की जांच आख्या दिनांक 08/10/2021 जिलाधिकारी बिजनौर को संलग्न करते हुए इस निर्देश केसाथ पुंषित की गई कि जनपद बिजनौर की तहसील नगीना के उक्त उल्लिखित गांवों में नियम विरूद्ध ढंग से भूमि को अभिलेखें में खुर्द बुंर्द करके सरकार को हानि पहुँचाई गई है। सुसंगत प्राविधानों एवं नियमों के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करते हुए समेकित शासन एवं राजस्व परिषद को एक माह के भीतर प्रेषित किया जाये। जिलाधिकारी बिजनौर के द्वारा अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन से प्राप्त पत्र सं0 ई 541 /एक 1 2021 रा0 1 राजस्व अनुभाग 1 लखनऊ दिनांक 06 दिसंबर 2021 जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा अपने पत्र सं0 1099 /1 /ओ0एस0डी0 दिनांक 08 /12/201 को अपर जिलाधिकारी प्रशासन बिजनौर को प्रेषित किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन बिजनौर के द्वारा पत्र प्रभारी अधिकारी मूलेख बिजनौर को पत्र सं03044/आलि0 प्रशा0दिनांक 12 दिसंबर 2021 एवं रिमाईण्डर दिनांक 10/01/2022 को प्रेषित किया गया तथा रिमाईण्डर सं0 3170/आलि0प्रशा0/2022 दिनांक 18/01/2022 को प्रभारी अधिकारी मूलेख बिजनौर. को प्रेषित किये गये है। किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है . शासन स्तरीय जांच कमेटी की जांच आख्या दिनांक 08/10/2021 के अंतिम पृष्ठ के पहला पैरा में जांच कमेटी के द्वारा यह बात में जांच आख्या में स्वीकार की है कि यह गंभीर प्रकरण जिला प्रशासन के संज्ञान में पर्याप्त समय पहले आ गया था, किन्तु राज्य सरकार की भूमि की सुरक्षा हेतु प्रयत्न नहीं किये गये । दूसरे पैरा में ग्राम शंकरपुर , मुर्तजाबाद एवं हल्लोवाली 2327 – 10 – 00 बीघा भूमि से अनाधिकृत कब्जेधारियों को हटाये जाने तथा ग्राम शंकरपुर , मुर्तजाबाद एवं हल्लोवाली के भौमिक अभिलेखों में दिनांक 28/05/1952 तथा दिनांक 29/09/1953 की अवैधानिक तथा छलसाधित कूट रचित अमलदरामदों से राज्य सरकार की भूमि को क्षति पहुँचाने तथा लामान्वित होने के लिये हितबद्ध पक्षों के विरूद्ध विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। महोदय शासन स्तरीय चार सदस्यीय जांच कमेटी की जांच आख्या में लिये गये निष्कर्ष के अनुसार जनाहित व न्यायहित में ग्राम शंकरपुर , मुर्तजाबाद एवं हल्लोवाली 2327 – 10 – 00 बीघा भूमि के संबंध में भौमिक अभिलेखों में दिनांक 28/05/1952 तथा दिनांक 29/09/1953 की अवैधानिक तथा छलसाधित अमलदरामदों के संबंध में **Criminal proceedings** आरंभ किया जाना अति आवश्यक है। महोदय अभीब तक **Criminal proceedings** आरंभ नहीं की गई । महोदय से सानुरोध प्रार्थना है कि न्यायहित, शासकीय हित ,जनहित में ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली, राजपुर कोट, कादरगंज, मदपुरी , चम्पतपुर चकला, सुलेमान शिकोहपुर व जहानाबाद , तेलीपाडा व अन्य ग्रामो के भौमिक अभिलेखों में दिनांक 28/05/1952 तथा दिनांक 29/08/1953

(127)

14

की तिथि की दिखाई गई अवैधानिक तथा हस्तान्तरित, फर्जी रचित आवासहीन/भूमिहीनों से राज्य सरकार की हजारों एकड़ भूमि को क्षति पहुँचाने तथा लाभान्वित होने वाले हितबद्ध पक्षों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें महोदय की अति कृपा होगी दिनांक 28/02/2022 । प्रार्थी किशन चन्द पुत्र श्री स्वामी सिंह निवासी मौ0 कल्याणपुर निकट गेस्ट की चुंगी। बिजनौर जिला बिजनौर।

महोदय प्रकरण स्थानीय प्रशासन के संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की जानकारी में प्रकरण वर्ष 2019 में आ गया था। स्थानीय प्रशासन के संबंधित अधिकारियों के द्वारा सार्वजनिक सरकारी भूमियों ,नदियों के संबंध में धरातल पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थी एक जनहित याचिका सं0 824/2021 , किशन चन्द बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य योजित की थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने दि024-08-2021 का आदेश दिया कि संबंधित ग्रामों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित भूमि को फर्जी तरीके से प्राईवेट लोगोंके नाम दर्ज कर खुर्द बुर्द करने के संबंध में एक जांच कमेटी बनाई जाये और तीन महीनों में जांच की जाये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शासन / प्रशासन स्तरीय जांच कमेटी आयुक्त महोदय चकबन्दी , लखनऊ उप संचालक चकबन्दी लखनऊ जिलाधिकारी महोदय बिजनौर के द्वारा नामित सदस्य अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बिजनौर , जिला वन अधिकारी बिजनौर की कमेटी के संबंधित अधिकारियों के द्वारा मात्र पत्राचार करके एक प्रकार से खानापूर्ति की गई । माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के दिनांक 24-08-2019 आदेशों के कम में शासन/प्रशासन स्तरीय गठित जांच कमेटी ने समस्त संबंधित ग्रामों की जांच करनी थी , कमेटी ने मात्र तीन गांवों शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली के संबंध में जांच रिपोर्ट आधी अधूरी की गई है। कमेटी की जांच रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। इस जांच कमेटी के अधिकारियों ने जानबूझकर उन व्यक्तियों को छुपाया है, जिन्होंने सरकारी सम्पत्ति को खुर्द बुर्द करने का अपराध किया है और अवैधानिक रूप से काबिज है। जांच आख्या में यह भी स्पष्ट है कि जांच कमेटी के सदस्यों ने जांच आख्या की अशुद्ध रचना की है, वन (जंगल)भूमियों को ग्राम सभा की भूमियां दर्ज लिखे बताई गई ताकि किसी सम्पत्ति को सम्प्रहरण से बचाया जा सके और एक विधि की प्रतिकूल रिपोर्ट भ्रष्टाचार पूर्वक तैयार की है ताकि सरकारी भूमि पर काबिज लोगों को बचाया जा सके और सरकारी सम्पत्ति का अवैध रूप से अवैध व्यक्तियों को प्रयोग करने का रास्ता प्रशस्त किया जा सके । चकबन्दी आयुक्त महोदय लखनऊ के द्वारा जिलाधिकारी महोदय बिजनौर को पत्र सं0 02/कैम्प/डिस्पैच अनुभाग/2021 दिनांक 10 अगस्त 2021 इस आशय का प्रेषित किया गया कि ग्राम सेलीपाड़ा , राजपुर कोट एवं अन्य ग्रामोंकी आख्या उपलब्ध हुई है। किन्तु ग्राम जहानाबाद की जांच आख्या अभी भी अपेक्षित है। जहानाबाद की जांच आख्या प्राप्त होने के बाद ही जांच सम्पन्न करके शासन को जांच आख्या प्रेषित की जायेगी।जिसमें 03 माह का समय लगना सम्भावित है। अपर महाधिवक्ता माननीयउच्च न्यायालय को

अवगत कराने का कष्ट करें। सम्बन्धी आयुक्त महोदय के द्वारा ग्राम रोलीपाड़ा, रामपुर कोल, जहानाबाद के संबंध में जांच आख्या नहीं दी गई। क्योंकि सम्बन्धी आयुक्त महोदय के द्वारा ग्राम जहानाबाद आदि ग्रामों जंगल नदी भूमियों की सम्बन्धी की गई है। सम्बन्धी आयुक्त महोदय ने आनन-फानन में अपूर्ण रिपोर्ट प्रेषित की जाती की है। बल्कि अपर महाधिवक्ता महोदय की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये। ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली की जांच रिपोर्ट 19 अगस्त को आयुक्त सम्बन्धी महोदय के द्वारा की, उन्हीं की अपूर्ण रिपोर्ट प्रेषित की है, उसमें भी अवैध कब्जेदारों के नामों को उजागर नहीं किया गया। महोदय इन ग्रामों में ग्राम कावरगंज आदि ग्राम की भूमियों को महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश प्रकाशित गजट वर्ष 1952 में वन भूमि घोषित किया जा चुका है। जांच कमेटी के सदस्यों ने तथा प्रशासन/शासन स्तर के संबंधित अधिकारियों ने इस गंभीर प्रकरण में कानून की व्यवस्था को नहीं माना है। इस मामले में लम्बी अवधि तक सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अवैध व्यक्तियों का अवैध कब्जा बनाकर अपने पदेन दायित्वों व पदेन कर्तव्यों' के विपरीत कार्य किया गया गया है। स्थानीय प्रशासन /शासन के संबंधित अधिकारियों का इस प्रकरण में जान बूझ कर कोई कार्यवाही नहीं करना यह भी दर्शाता है कि किन्ही कारणों से सरकारी भूमियों पर अवैध व्यक्तियों का अवैध कब्जा बनाये रखना, किसी उत्तरदायी अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा हित बद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध किसी प्रकार प्रशासनिक/अनुशासनिक व विधिक कार्यवाही न करना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।

महोदय से मेरा विनम्र अनुरोध है कि ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली, रामपुर कोल, कावरगंज, गदपुरी, चम्पतपुर सकरा, सुल्तान शिकोहपुर व जहानाबाद, रोलीपाड़ा, भालन सराय, औरंगजेबपुर शाहदी, औरंगाबाद, शाहूवाला, सुन्दरवाली आदि ग्रामों की जंगलात व नदियों की बारह हजार एकड़, अरबों खरबों रूपये की सार्वजनिक भूमियों को वर्षों पहले रेवेन्यू रिकार्ड में अवैधानिक एवं छलसाजिश व फर्जीवाड़ा करके कारपोरेट व अन्य प्राईवेट लोगों के नाम श्रेणी-01 में दर्ज किये जाने के संबंध में स्थानीय प्रशासन व शासन के संबंधित अधिकारीगण केवल पत्राचार करके यह दिखाना चाहते है कि कार्यवाही हो रही है किन्तु वे अवैध व्यक्तियों के अवैध कब्जों का बनाये रखने में ज्यादा उत्सुक है। इसी लिये इनके द्वारा धरातल पर कोई कार्यवाही भ्रष्टाचार कारणों से अथवा अन्य प्रलोभन से वशीभूत होकर वर्षो से जानबूझ कर नहीं की जा रही है। इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन एवं शासन के संबंधित अधिकारीगण का अवैध कब्जेदारों से आपसी गठजोड़ है। इस गंभीर प्रकरण के संबंध में सी0बी0आई0 अथवा अन्य किसी स्वतंत्र जांच एजेन्सी से एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर जांच कराये जाने की कृपा करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें, जिसको देखकर ऐसी गलती कोई दोबारा न कर सके और हजारों एकड़,वन, नदियो की भूमियों को जल्द जल्द से जल्द खाली कराकर वृक्षारोपण कराये जाये ताकि आस पास के जिलो के निवासियों को स्वच्छ हवा और स्वच्छ वातावरण मिल सके। आशा है कि आप मेरी इस शिकायत को गंभीरता से लेंगे और जनहित में इस समस्या का निवारण करेंगे।

महोदय की अति कृपा होगी।

संलग्न :-

श्री मनोज कुमार, जिला पंचायत अधिकारी, बिजनौर सदस्य, श्रीमती [illegible] अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी बिजनौर बिजनौर सदस्य, श्री [illegible] कुमार शुक्ला संयुक्त [illegible] [illegible] मुख्यालय लखनऊ सदस्य, श्री [illegible] शास्त्री [illegible] आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा [illegible] जांच रिपोर्ट की छाया प्रति।

दिनांक:- [illegible]-04-2022

प्रार्थी किशन चन्द

पुत्र श्री [illegible] सिंह निवासी मौ० [illegible]

मकान नं० 47 बिजनौर कस्बा व तहसील व जिला बिजनौर

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि :—

श्रीमान आयुक्त महोदय मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद को सेवा में सूचनार्थ।

नगीना सांसद ने अपने क्षेत्र में सोनभद्र जैसी घटना की आंशका जताई

गिरीश चंद्र ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र, भूमाफिया पोर्टल पर भी दर्ज कराई शिकायत

विधान केसरी समाचार

बिजनौर। उत्तर प्रदेश की नवीन सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के सांसद गिरीश चंद्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में सोनभद्र जैसी हत्याओं वाली घटना की आशंका जताई है और भू माफिया पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा कर करीब 60,000 बीघा सरकारी भूमि माफियाओं से मुक्त कराने की मांग की है। सांसद गिरीश चंद्र ने अपने द्वारा भेजी गई शिकायत में कहा है कि विगत वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की रिपोर्ट तलब की थी, उपलब्ध उत्तर प्रदेश के जिलों से आई रिपोर्ट में न जाने कितने भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा होना पाया गया था। जिनमें से कुछ सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त भी कराया जा चुका है परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र नगीना तहसील क्षेत्र में अभी भी बहुत बड़े स्तर पर भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि पूर्व समय से ही कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इन माफियाओं ने फर्जी तरीके से सरकारी जमीनों को अपने नाम भी करा लिया है। इन जमीनों पर कब्जे की शिकायतें लोगों द्वारा बहुत समय से उच्च अधिकारियों से की जाती रही है परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

बसपा सांसद गिरीश चंद्र ने कहा है कि बिजनौर जिले की तहसील नगीना के गांव तेलीपाड़ा जहानाबाद राजपुर कोट आदि दर्जन भर ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाड़ी, नदी नाले, तालाब व रास्तों की करीब साठ हजार बीघा जमीन पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा है जिसकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए है स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें होने पर जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा जांच में जमीनों के अभिलेखों में कूट रचना भी पाई गई है मगर दबंग भू माफियाओं के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि यह खेल जंगल झाड़ी, तालाब, नदी रास्तों से होता हुआ असंक्रमणीय से संक्रमणीय होकर कई बार खरीद-फरोख्त करते हुए खेती, ठेका खेती व अवैध प्लाटिंग तक जा पहुंचा है। ऐसा ना हो कि जुलाई 2019 में प्रदेश के सोनभद्र जिले में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर माफियाओं द्वारा जिस तरह दर्जनभर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था कहीं ऐसा मेरे क्षेत्र में भी ना हो जाए, क्योंकि आए दिन भूमाफियाओं द्वारा यहां भी जमीनों के कब्जों के लिए खींचतान होती रहती है। उन्होंने भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की गई जमीनों की किसी स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है ताकि लाखों करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति कब्जा मुक्त हो जाए और सरकार के राजस्व में वरदान बने।

स्वामी मंजेश कुमार के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक विनेश ठाकुर द्वारा विधान केसरी प्रिंटिंग प्रेस जी-126, फेस-2, ट्रांसपोर्ट नगर

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
बिजनौर।

प्रभागीय निदेशक महोदय,
नजीबाबाद वन प्रभाग बिजनौर।

उप संचालक चकबन्दी महोदय,
बिजनौर।

महोदय,

सादर निवेदन करते हुए अवगत कराना है कि प्रार्थी किशन चन्द पुत्र श्री खयानी सिंह मोहल्ला काजीवाडा, ... बिजनौर का निवासी है । प्रार्थी लोक सेवक के पद आशुलिपिक उप जिलाधिकारी नगीना के पद पर कार्यरत है। तहसील नगीना के परगना बढ़ापुर के विभिन्न ग्रामों में जालसाजी /फ्रॉड करके सरकारी भूमि को भूमिधरी मे दर्ज किये जाने के संबंध में प्रार्थी ने एक लोक सेवक होने के नाते एक शिकायत दिनांक 2-10-2019 उच्चाधिकारियों को की गई। ग्राम तेलीपाड़ा की जंगली भूमि, नदी भूमि, रास्ता भूमि 1334-07-00 के घोटाले के संबंध में अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर कह रहा हूँ । बड़ी साजिश के तहत घोटाला किया गया है। शिकायत पर प्रेषित जांच आख्या सं0 634 दिनांकित 19-12-2019 प्राप्त कराई गई है, वह अभिलेखीय साक्ष्यों से भिन्न है।

ग्राम तेलीपाड़ा के संबंध में यह आख्या प्रेषित की गई कि " ग्राम तेलीपाड़ा समस्त वर्तमान राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें जंगल रास्ता नदी किसी भी खसरा नंबर में अंकित नहीं है। सभी खसरा नं0 कृषकों के नाम वर्तमान में दर्ज हैं, तथा क्षेत्रीय लेखपाल ने भू-अभिलेखागार बिजनौर से सरकारी कार्य हेतु राजसव अभिलेख प्राप्त किये। ग्राम तेलीपाड़ा परगना व तहसील नगीना जिला बिजनौर की खेवट चौसाला 1356 से 1359 फसली में थोक -पटटी का नम्बरदार" राजकुवर चन्द्रभान सिंह अंकित है। जैसा कि स्तम्भ 2 में अंश (1) एक दर्शाया गया है, तथा स्तम्भ "9"में स्वामी का नाम -पिता का नाम व निवासी स्थान " राजकुमार चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदैराज सिंह राजपूत निवासी काशीपुर नैनीताल खेवट में अंकित है। खेवट की छाया प्रति संलग्न है। ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर तहसील नगीना की खतौनी 1359 फसली में खेवट न0 1 चन्दरभान सिंह साहब का नाम अंकित है। जिसमें खसरा नं0 10 (कुल) जंगल झाड़ी व 7(कुल) नदी व 5 (कुल)रास्ता में दर्ज है। ग्राम में कुल खसरा नं0 22 है, जो खेवट नं0 1 में दर्ज है। ग्राम तेलीपाड़ा की 1360 फसली की खतौनी में कुल खसरा 22 पर कुल रकवा पर आदेश अंकित है कि श्री हाकिम परगना साहब नगीना 29-9-1953 आराजी नम्बरी जैल पर तेलीपाड़ा श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री राजा उदैराज सिंह जाति राजपूत निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागज पटवारी किया जावे। " नकल खतौनी संलग्न है, खतौनी 1362 फसली में जमन-1 में कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदैराज सिंह हाल निवासी विजनौर का नाम ग्राम तेलीपाडा की खतौनी में अंकित है तथा सम्पूर्ण खसरा नं0 1 लगायत 22 पर नाम दर्ज हैं वर्तमान में जंगल झाडी रास्ता नदी का कोई खसरा नंबर राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है।"

महोदय वास्तविकता यह है कि -

तहसीलदार नगीना व उप जिलाधिकारी नगीना के द्वारा उच्चाधिकारियों को अभिलेखों के आधार पर तथ्यात्मक आख्या प्रेषित नहीं की गई । ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तहसीलदार नगीना व उप जिलाधिकारी नगीना के द्वारा लेखपाल द्वारा टंकित कराई गई आख्या ही प्रेषित की गई है।

ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी वर्ष 1360 में खाता सं0 01 में भूमि गाटा संख्या 2 रकबई 23-12-00, गाटा संख्या 4 रकबई 23-10-00, गाटा संख्या 8 रकबई 07-12-00, गाटा संख्या 10 रकबई 08-12-00, गाटा संख्या 12 रकबई 00-06-00 गाटा संख्या 14 रकबई 175-13-00 , गाटा संख्या 16 रकबई 00-15-00 , गाटा संख्या 18 रकबई 520-03-00 , गाटा संख्या 20 रकबई 15-14-00, गाटा संख्या 22 रकबई 458-00-00 कुल 10 गाटे कुल रकवा 1234-07-00 बीघा पक्का यानि 3702 बीघा 05 बीस्वा भूमि जंगल झाडीदार दर्ज/ प्रदर्शित है।

ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी वर्ष 1360 में खाता सं0 02 में भूमि गाटा संख्या 03 रकबई 06-09-00 गाटा संख्या 06 रकबई 10-19-00 गाटा संख्या 9 रकबई 07-03 -00, गाटा सं0 11 रकबई 35-15-00 गाटा संख्या 13 रकबई 01-14-00 गाटा संख्या 19 रकबई 12-04-00 गाटा संख्या 21 रकबई 02-13-00 कुल गाटा संख्या 7 कुल रकबा 96-17-00 पक्का बीघा यानि 289 बीघा 01 विस्वा नदी दर्ज /प्रदर्शित है।

ग्राम तेलीपाड़ा की खतौनी वर्ष 1360 मे खाता सं0 03 में भूमि गाटा सं0 1 रकबई 00-04-00, गाटा संख्या 5 रकबई 00-09-00 गाटासंख्या 7 रकबई 00-14-00 गाटा संख्या 15 रकबई 00-02-00 गाटा संख्या 17 रकबई 02-03-00 कुल गाटा संख्या 05 कुल रकबा 03-12-00 बीघा पक्का यानि 09 बीघा 06 बिस्वा रास्ता /प्रदर्शित है।

तहसीलदार नगीना अथवा उप जिलाधिकारी नगीना के द्वारा स्वयं कोई जांच या अभिलेखों का परीक्षण नही किया गया । जिसके संबंध में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है:-

1- महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर की खतौनी फसली 1360 मे सरकारी भूमि जगल झाडीदार, नदी , रास्ता कुल 1334-16-00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि

दर्ज थी। खतौनी 1360 में एक जालसाजी/फ्रॉड एण्ट्री "बहुक्म श्री हाकिम परगना साहब नगीना 29–9–1953 आराजी नम्बरी जैल (ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 1334–16–00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि)पर तेलीपाड़ा श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री राजा उदेराज सिंह निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागज पटवारी किया जावे।" की गई है। इस तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया है।

2– महोदय जमीदारी विनाश अधिनियम 1952 और नदी अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927 दृष्टिगत ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर की सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 1334–16–00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि हाकिम परगना द्वारा नहीं दिया जा सकता था। इस तथ्य को छिपाया गया है।

3– महोदय जमीदारी विनाश अधिनियम 1952, नदी अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1927 के दृष्टिगत ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर की सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 4004–08–00 (चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा)कच्चा बीघा भूमि किसी व्यक्ति / विशेष के नाम हाकिम परगना द्वारा नहीं दिया जा सकता है ? इस तथ्य को जांच में छिपाया गया है।

4– महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 1334–16–00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि जालसाजी व फ्रॉड एण्ट्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री राजा उदेराज सिंह के नाम करके सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 1334–16–00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि को बाद में विभिन्न व्यक्तियों के नाम स्थानांतरित हो रही है, इस तथ्य को जांच छिपाया गया है।

5– महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 1334–16–00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि को फ्रॉड एण्ट्री के कारणों से भिन्न – भिन्न खाता संख्या व भिन्न गाटा सख्यांओं में दर्ज किये जाने के तथ्य को छिपाया गया है।

6– महोदय माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में नदी जल श्रोतों को कोई बाधा नहीं पहुँचाई जा सकती है। यदि पहुँचाई गई है तो उसको पूर्व की भांति सरथापित किया जाये। फ्रॉड एण्ट्री से नदी भूमि को क्षति पहुँचाने संबंधी तथ्यों को जांच में छिपाया गया है।

महोदय ग्राम तेलीपाड़ा परगना बढ़ापुर की खतौनी फसली 1360 में सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 1334–16–00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि जालसाजी व फ्रॉड एण्ट्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री राजा उदेराज सिंह के नाम दर्ज की गई। प्रकरण में संबंधित के विरूद्ध प्रथम दृष्टया एफ0आई0आई0 का मामला बनता है। अभिलेखीय तथ्यों के आधार पर एफ0आई0आर0दर्ज करवाकर सरकारी भूमि जंगल झाड़ीदार, नदी , रास्ता कुल 1334–16–00 (एक हजार तीन सौ बीघा सोलह बिस्वा)बीघा पुख्ता भूमि कच्चे बीघा भूमि चार हजार चार बीघा आठ बिस्वा भूमि को पर्यावरण अधिनियम, वन सरंक्षण अधिनियम व प्राकृतिक श्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिये दोषियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें।

इसी प्रकार का राजपुर , कुआ खेड़ा आदि ग्रामों में जंगली जंगल झाड़ी भूमि, नदी भूमि के संबंध में घोटाला हुआ है। जंगली जंगल झाड़ी भूमि, नदी भूमि हजारों बीघा भूमिया एक ही व्यक्ति विशेष के नाम अंकित फ्रॉड करके अंकित की गई। राजस्व विभाग, वन विभाग व चकन्दी विभाग वहमसाजगी इन ग्रामों की चकवन्दी की जा रही है। इन ग्रामों की जंगली जंगल झाड़ी भूमि, नदी भूमियों को सुरक्षित करने हेतु चकबंदी प्रकियाओं को रूकवाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

महोदय की अति कृपा होगी।

दिनांकः– 29–12–2019

प्रार्थी

किशन चन्द्र पुत्र श्री खवानी सिंह
निवासी मो0 क़स्सावान बिजनौर जिला बिजनौर
आशुलिपिक, उप जिलाधिकारी, नगीना।

कार्यालय-आदेश

मा0 सांसद श्री गिरीश चंद्र, लोकसभा नगीना द्वारा मा0 मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित पत्र, जिसमें उनके द्वारा उनके क्षेत्र में सोनभद्र जैसी हत्याओं वाली घटना की आशंका जताने एवं भूमाफिया पोर्टल पर, तहसील नगीना के ग्राम तेलीपाड़ा, जाहनाबाद, राजपुर कोट आदि दर्जन भर ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाड़ी, नदी नाले, तालाब व रास्तों आदि की करीब 60000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराये जाने सम्बन्धी समाचार जनपद में प्रकाशित होने वाले विधान केसरी समाचार-पत्र में, विस्तार से प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त अन्य समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाना संज्ञानित हुआ है। इसी सम्बन्ध में एक अन्य शिकायतकर्ता श्री किशनचन्द पुत्र श्री खवानी सिंह, निवासी मोहल्ला कस्सावान, नगर व तहसील बिजनौर द्वारा भी समविषयक शिकायती प्रार्थनापत्र अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की गहन जाँच कराकर कार्यवाही किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः तहसील नगीना के ग्राम तेलीपाड़ा, जहानाबाद, राजपुर कोट एवं प्रकरण से सम्बन्धित अन्य ग्रामों में, ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाड़ी, नदी नाले, तालाब व रास्तों आदि की सरकारी/सीलिंग आदि की भूमियों के वर्तमान अभिलेखों का मूल अभिलेखों से मिलानकर, स्थलीय एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच करते हुये, तथ्यात्मक जांच आख्या संगत अभिलेखों सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्रकार जांच समिति का गठन किया जाता है :-

1.	अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) बिजनौर	– अध्यक्ष
2.	उपजिलाधिकारी, नगीना	– सदस्य
3.	उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, प्रथम बिजनौर	– सदस्य
4.	बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बिजनौर	– सदस्य
5.	तहसीलदार, नगीना	– सदस्य

उपरोक्त जांच समिति अतिशीघ्र अपनी जांच रिपोर्ट तैयारकर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगी।

(रमाकान्त पाण्डेय)
जिलाधिकारी, बिजनौर।

कार्यालय जिलाधिकारी (भूलेख-अनुभाग), बिजनौर।

पत्रांक 454 /सात-भूलेख,डी.एल.आर.सी., दिनांक 11 जून, 2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) बिजनौर।
2. उपजिलाधिकारी, नगीना।
3. उपजिलाधिकारी (न्यायिक)/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, प्रथम बिजनौर।
4. बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, बिजनौर।
5. तहसीलदार, नगीना।

11.6.20

[illegible] भूमि [illegible]- 1 [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह [illegible] का नाम दर्ज है तथा इसी [illegible] पर कुंवर चन्द्रभान सिंह द्वारा अन्य व्यक्तियों की भूमि अपहरण किये जाने सम्बन्धी [illegible]

Tch(9) SOC

नकल आदेश ता० मि० 27-8-22

Annexure-6

न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट नगीना (बिजनौर)

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय उपजिलाधिकारी नगीना।

वाद सं0–टी202213160402958/22 धारा–38(1) उ0प्र0राजस्व संहिता

मौजा–मुर्तजाबाद परगना–बढापुर।

उ0 प्र0 सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही किशनचन्द पुत्र ख्वानी सिंह निवासी मौ0 कस्सावान नगर व तहसील बिजनौर व मा0 सांसद श्री गिरीशचन्द, लोकसभा नगीना के द्वारा मा0 मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र की जॉच आख्या के अनुपालन मे अन्तर्गत धारा 38(1) उ0प्र0राजस्व संहिता के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। जो वाद तामिल शामिल मिसल है।

मा0 सांसद श्री गिरीश चन्द, लोकसभा द्वारा, मा0 मुख्यमन्त्री महोदय को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत, उनके द्वारा तहसील– नगीना के ग्राम– तेलीपाडा, मुर्तजाबाद जहानाबाद, राजपुर कोट आदि ग्रामीण क्षेत्रों के जंगल झाडी, नदी–नाले, तालाब व रास्तों आदि की करीब 60,000 बीघा सरकारी भूमि, माफियाओं से मुक्त कराने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराने का समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर एंव एक अन्य शिकायतकर्ता श्री किशनचन्द पुत्र खवानी सिंह नि0 मौ0 कस्सावान, नगर व तहसील– बिजनौर का शिकायती प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा उक्त प्रकरण में जांच हेतु आदेश दिनांक– 11 जून, 2020 के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में पांच सदस्य जांच समिति का गठन कर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। जॉच समिति मे उपजिलाधिकारी नगीना,अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम व तहसीलदार नगीना सदस्य है। तत्क्रम में जांच समिति द्वारा उक्त प्रकरण से आच्छादित राजस्व ग्रामों में गहन जांच की जा रही है।

समिति द्वारा ग्राम– मुर्तजाबाद के राजस्व अभिलेखों व मूल अभिलेखों का मिलान वर्तमान अभिलेखों से किया गया। अभिलेखीय जांच के उपरान्त यह पाया गया कि ग्राम– मुर्तजाबाद की 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे है, जिनमें से 5 गाटे जंगल तथा 06 गाटे नदी के रूप में दर्ज है, जिनका कुल क्षेत्रफल 859बीघा 10 बिस्वा है। जिनका पृथक–पृथक विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत
1	1	जंगल	6	2	नदी
2	3	जंगल	7	4	नदी
3	7	जंगल	8	5	नदी
4	9	जंगल	9	6	नदी
5	11	जंगल	10	8	नदी
			11	10	नदी

कुल गाटे :– 11
कुल क्षेत्रफल :– 859 बीघा 10 बिस्वा

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

312

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख़्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम– मुर्तजाबाद की 1359 फसली की खतौनी में अंकित जंगल के 5 गाटो, जिनका क्षेत्रफल 709 बीघा 11 बिस्वा पर अमलदरामद अंकित है कि *"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।'* हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी। 1359 फसली के नदी के 6 गाटो पर यह आदेश अंकित नही है। इसके उपरान्त आगामी खतौनी 1360 फसली का अवलोकन किया गया। 1360 फसली में खतौनी के जिमन–5 व 6 के समस्त गाटाओं पर अमलदरामद अंकित है कि *"बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे"* तथा उक्त अमलदरामद के नीचे 1 लगायत 11 उपरोक्त समस्त खसरा नम्बरान अंकित है, जो कि उपरोक्त तालिका के अनुसार जंगल, व नदी के रूप में अभिलिखित थे, जिनका कुल क्षेत्रफल 859 बीघा 10 बिस्वा अंकित है। इस खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1359 फसली के जिमन–14 और जिमन–15 की भूमियों को 1360 फसली में जिमन–5 और जिमन–6 में दर्ज किया गया, जिससे स्पष्ट है कि 1360 फसली में उ0प्र0 जमी0वि0 एंव भू0व्य0अधि0 का कियान्वयन उक्त ग्राम मे किया जा चुका था। इसके उपरान्त आगामी उपलब्ध खतौनी 1362 फसली में प्रश्नगत समस्त 11 गाटाओं के सापेक्ष समस्त भूमि जमन– 1क आसामियान जेरे काश्त भूमिदार मद 1 जिन्होने दस मुनाह जमा कर दिया हो के अन्तर्गत श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह सा0 हाल बिजनौर का नाम दर्ज है। इसके उपरान्त से ही यह भूमि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा समय–समय पर कय विकय के कारण उक्त गाटा अलग–अलग खातों में वर्तमान खतौनी के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों के नाम भूमिधर के रूप में दर्ज है।

सन् फसली– 1359 फसली पर अंकित आदेश *"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।'* के सम्बन्ध में प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर को पत्र संख्या– 425/एफ0एस0ओ0–2020 दिनांक– 18 अगस्त, 2020 प्रेषित कर इस प्रकार का आदेश सम्बन्धी पत्रावली की आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, तत्क्रम में सम्बन्धित प्रभागीय वन अधिकारी, बिजनौर, वनप्रभाग नजीबाबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 419/25–14 दिनांक– 18.08.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि *"उक्त आदेश के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान शासनादेशों के अनुसार कोई भी वनाधिकारी वन भूमि के सम्बन्ध में इस तरह का आदेश निर्गत करने के लिये सक्षम नहीं है।"*

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

सन् फसली 1360 फसली की खतौनी पर अंकित आदेश *"बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे"* की प्रमाणिकता की जांच के लिये राजस्व अभिलेखागार तहसील– नगीना के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। कुवंर चन्द्रभान सिह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह को भूमिधर दर्ज किये जाने सम्बन्धी वाद का उल्लेख, न तो, प्रश्नगत 1359 फसली की खतौनी पर ही अंकित पाया गया तथा न ही इस प्रकार की कोई पत्रावली राजस्व अभिलेखागार, तहसील–नगीना में संचित पायी गयी है। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि तत्समय उ0प्र0 जमीदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम–मुर्तजाबाद की सन् फसली 1360 की खतौनी तैयार की गयी। जंगल ,नदी, की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमि है, इन पर नियमानुसार भौमिक अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। उपरोक्त

पृष्ठ संख्या :

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

से स्पष्ट है कि हाकिम परगना साहब नगीना द्वारा इस प्रकार का कोई प्रशासनिक आदेश पारित भी किया गया है, तो उसे विधिक नहीं माना जा सकता। यह आदेश प्रथम दृष्टया संदेहास्पद पाया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम– मुर्तजाबाद के प्रकरण में दो आदेश *"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"* तथा *"बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा– मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदैराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधार दर्ज कागजात पटवारी किया जावे"* की विधिमान्यता का प्रश्न अन्तर्निहित है।

ग्राम मुर्तजाबाद की खतौनी सन फसली 1358 के अनुसार
भाग अव्वल
नाम मालिकान
कुंवर चन्दर भान सिंह साहब खेवट नम्बर 1
जमन 1 सीर मालीकान लगायत जमन 13–इलाके, जाती–नदारद
जमन 14 आरजी काबिल जराअत
1–प्रती जदीद, नदारद
2–प्रती कदीम नदारद
3–जंगल हस्बा कानून जंगलात
4–इमारती लकडी जंगल नदारद
5–दिगर दरख्तान झाडी वगैरह– नीचे दर्ज है।
6–दिगर बंजर काबिल जरायत– नदारद।
के अन्तर्गत गाटा संख्या 1,3,7,9,11,कुल 5 गाटा रकबा 709 बीघा 10 बिस्वा खाता संख्या 1 के अन्तर्गत जंगल दर्ज अभिलेख है।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

1358 फसली की खतौनी ग्राम मुर्तजाबाद मे जमन 15 के अन्तर्गत 1–आराजी जिस पर पानी है नदी गाटा संख्या 2,4,5,6,8,10 कुल मीजान 6 कुल रकबा 149 बीघा 19 बिस्वा दर्ज अभिलेख है तथा खतौनी मे कुल मीजान कुल देह 11 कुल रकबा 859 बीघा 10 बिस्वा दर्ज अभिलेख है तथा हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी अंकित है।

ग्राम मुर्तजाबाद की खतौनी सन फसली 1359 के अनुसार भाग अव्वल 1 नाम मालिकान कुंवर चन्द्रभान सिंह खेवट नम्बर 01 अंकन सहित 1358 फसली में वर्णित जिमन 1 से 15 तक के अनुसार अंकन है। पूर्व की भॉति जिमन 14 के अन्तर्गत जंगल के 5 गाटे तथा जिमन 15 के अन्तर्गत नदी के 6 गाटे दर्ज है। जंगलझाडीदार के खाता संख्या 1 के सम्मुख विवरण कॉलम संख्या 9,10,11 मे आदेश अंकित है कि *"बाहुकम 28.05.52 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्दर भान सिंह को जंगल के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी।"* हस्ताक्षर मूलचन्द पटवारी अंकित है तथा नदी के खाता संख्या 2 के सापेक्ष कोई आदेश अभिलिखित नही है। आगामी खतौनी 1360 फसली में जिमन 5 के अन्तर्गत जंगलझाडीदार के 5 गाटा रकबा 709 बीघा 11 बिस्वा दर्ज है तथा आदेश अंकित है कि *"बाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.9.53 आराजी नम्बरी जैल, मौजा–*

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मुर्तजाबाद पर नाम श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत, निवासी हाल बिजनौर का बतौर भूमिधार दर्ज कागजात पटवारी किया जावे"

इसी 1360फसली की खतौनी के अन्तर्गत जिमन–6 मद 1 के अन्तर्गत खाता संख्या 2 नदी अंकित है जिसमे गाटा संख्या 4,5,6,8,10 कुल गाटा 6 तथा कुल रकबा 149 बीघा 19 बिस्वा दर्ज अभिलेख है।

यहॉ निम्न बिन्दुओ पर समिति ने मुख्य रूप से विचार किया कि –

(1) क्या लेखपाल किसी जंगलात आफिसर का कथित आदेश 1359 फसली के विशेष विवरण के कॉलम मे प्रशासनिक आधार पर दर्ज कर सकता है।

(2)जंगल झाडी भूमि पर क्या जगंलात आफिसर का अधिकार विधिक रूप से हे कि वह जगल झाडी के स्थान पर किसी व्यक्ति को काश्त करने की इजाजत दे सकते है।

(3)1359 फसली वर्ष की खतौनी मे दर्ज आदेश की प्रकृति क्या है। समिति इस आदेश को क्या मानती है मानने का क्या आधार है

बिन्दु संख्या 1– ·

परीक्षण उपरान्त पाया गया कि 1359फ0 तक के अभिलेखो से स्पष्ट है कि श्रेणी 14 की जंगल झाडी अंकित भूमि पर जगल झाडीदार ही अकित है कि यानी इस समय तक किसी भी व्यक्ति ने इस भूमि की जुताई बुआई काश्त करके नही की थी। । इसकी पुष्टि 1360 फ0 की खतैनी पर उपलब्ध फार्म प–15 पर (लैण्ड रिकार्ड मैनुअल के परिच्छेद 66 के अनुसार) तत्कालीन पटवारी समद खॉ द्वारा तैयार कर रखा गया से होती है। उसके द्वारा तैयार प–15 में ग्राम की जोत भूमिकर एवं लगान का ब्यौरा है। इससे स्पष्ट कि 1360फ0 मे ग्राम मे काश्त से सम्बंधित सभी एक से पैंतीस तक के कॉलम नदारद है। यानी 1359फ0 मे श्रेणी 14 की जंगल झाडी भूमि पर जंगल झाडी मौके पर थी। किसी भी काश्तकार का काश्त भूमि पर वैद्य या अवैद्य काश्तकारी नही थी। उ0प्र0 भू0राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33(3) मे स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया जा चुका था कि वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) मे कोई भी अंकन परिवर्तन या संव्यवहार बिना कलेक्टर के आदेश के अभिलिखित नही किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

उक्त के सम्बन्ध मे वन विभाग से आख्या दिनांक 18.08.2020 मंगायी गयी उससे भी स्पष्ट है कि जंगलात आफिसर को कोई ऐसे अधिकर प्राप्त नही है। क्षेत्रीय लेखपाल को किसी भी विधि व्यवस्था मे उक्त प्रकार के प्रशासनिक आदेश को खतौनी (लोक अभिलेखो) मे अंकित करने का कोइ अधिकार नही है। जैसा कि उ0प्र0भू0राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 27 स्पष्ट करती है कि खतौनी व लोक अभिलेख एवं राज्य सरकार की सम्पत्ति स्वरूप है। इस पर बगैर नियमो की व्यवस्था के लेखपाल का अंकित प्रशासनिक प्रकृति का अमलदरामद एवं जंगल विभाग के अधिकारी का आदेश अवैध एवं फर्जी प्रकृति का समिति जॉच मे पाती है। कोई भी अधिकारी लेखपाल को बगैर सक्षम न्यायालय या अधिकारी के आदेश का अंकन उक्त तत्कालीन प्रचलित विधि व्यवस्था में नही दिया गया था। उक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि लेखपाल अथवा वन विभाग के जंगलात आफिसर को ऐसा आदेश अंकन/पारित करने का अधिकार नही रहा है।

315

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

बिन्दु संख्या 2–
परीक्षण उपरान्त पाया गया कि 1359 फसली खतौनी मे दर्ज जिमन 14 की जगंल झाडी के स्वत्व की भूमि पर जंगलात आफिसर को किसी न्यायालय या अधिकारी ने कोई अधिकार हक हित मालिकाना या अन्यथा के रूप मे नही दिया था जिससे वह जिमन–14 की जंगलझाडी भूमि को काश्त करने के लिये अनुमति प्रदान कर सके। किसी भी विधि व्यवस्था मे नही है कि अवैद्यानिक आदेश को लेखपाल राजस्व अभिलेख मे खतौनी मे काश्तकरने के लिये दर्ज करे। उक्त के कारण समिति का मन्तव्य है कि 1359फसली की उक्त भूमि पर अंकित आदेश कूटरचित, अवैद्यानिक, अनियमित एंव फर्जी प्रकृति का है। इस कूटरचित आदेश के बाद भी मौके पर काश्त किसी ने नही की जैसा कि 1360 फसली खतैनी मे रक्षित प्रपत्र प –15 से स्पष्ट है। तत्कालीन लेखपाल द्वारा अंकित इस आदेश का जिमन–14 की जंगलझाडी की भूमि की प्रकृति पर कोई प्रभाव नही पडा जैसा कि जोत विवरण प्रपत्र पर 1360फ0 प–15 मे जोत नदारद अंकन से स्पष्ट है। सार्वजनिक या सरकारी किसी भी प्रकार की भूमि पर जंगलात आफिसर को कोई अधिकार नही है कि वह काश्त करने के लिये व्यक्ति विशेष को दे सकें। समिति का मानना है कि यह एक कूट रचित अधिकार विहीन ,फर्जी प्रकृति का शून्य आदेश है।

बिन्दु संख्या 3–.
परीक्षण उपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि 1359 फसली की खतौनी मे जिमन 14 की जंगलझाडीदार नाम से दर्ज भूमि के विशेष विवरण में तत्कालीन लेखपाल द्वारा जंगलात आफिसर के काश्त करने से सम्बंधित व्यक्ति विशेष के नाम का आदेश कूटरचित एवं फर्जी निम्न कारणो से है उ0प्र0 भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 4 (8) एवं 4 (9) मे दी गयी परिभाषा के क्रम मे जंगलात आफिसर न तो न्यायालय है और नही राजस्व अधिकारी है। जंगलात आफिसर का अगर कोई आदेश हो तो उससे खतौनी मे स्वत्व पंरिवर्तन के तौर पर अंकित नही किया जा सकता है। उ0प्र0 भू0 राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 32 के तहत निर्मित अधिकार अभिलेख खतौनी मे जिमन–14 से जंगलझाडीदार के नाम से एंव जिमन–15 मे नदी के नाम से ही अधिकार अभिलेख बना है। इस ग्राम की भूमि पर ऐसा एक भी काश्तकार नही था जो खेती करता हो या अन्यथा भूमि पर काबिज हो।उ0प्र0 भू0रा0 अधिनियम 1901 की धारा 33 मे स्पष्ट लिखा है कि कलैक्टर अधिकार अभिलेख को अनुरक्षण परिवर्तन या अन्य संव्यवहार कर सकता है जंगलात के अधिकारी ऐसे को अधिकार नही दिये गये हैं। लेखपाल द्वारा अकित काश्त करने के आदेश के बाद 1360 फ0 की खतौनी मे उपलबध प्रपत्र–15 से स्पष्ट है कि कोई काश्त नही हुयी जैसा कि प्रपत्र 15 मे काश्त नदारद अंकित है।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

जंगलात अधिकारी की हैसियत जिमन–14 जंगलझाडीदार की भूमि का भू स्वामी स्थायी या अस्थायी पटटेदार ठकेदार या अन्य किसी भी प्रकार के तत्कालीन काश्तकारी अधिकार देने की भी नही थी। उ0प्र0 काश्तकारी अधिनियम 1939 मे दी गयी व्यवस्था के तहत इन्हे सार्वजननिक ,उपयोगिता की भूमि को किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार प्राप्त नही था। यह ग्राम की भूमि पर किसी भी प्रकार कोई अधिकार नही रखते थे।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त अंकित आदेश कृत्रिम ,जाली, असत्य, अधिकार विहीन एवं कूट रचित है। समिति अपने विशलेषण में पूर्णतः निसन्देह फर्जी पाकर शून्य मानती है। जैसा कि सक्षम न्यायालय के द्वारा आदेशो मे की अवधारित किया गया है कि खतौनी मे किये गये इन्दराजो को विधि संगत होना चाहिये यदि इन्द्रराज लेखपाल द्वारा गलत किया गया या जालसाजी की गयी है या आदेश विधि संगत नही है कि ऐसा इन्द्राज विश्वसनीय नही हो सकता है । तिलकधारी बनाम

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद संख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

रामजी ने 1960 एंव ए0जे0 103 श्रीमति सोनवती बनाम श्री राम,ए0आई0आर0 1968 एस0सी0 100 ,विश्वविजय बनाम फखरूल हसन ,ए0आई0आर0 1976 एस0सी0 1485)

उक्त के अतिरिक्त ग्राम स्तर पर उ0प्र0 जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत राजस्व अभिलेखो का निर्माण किस फसली वर्ष से प्रारम्भ हुआ एवं नियमानुसार कृषको और राज्य के बीच स्थित मध्यवर्तियो के अधिकार आगम और स्वत्व निर्धारित कर खतौनी मे निर्माण के समय उनकी स्थिति क्या रही इसका उल्लेख जॉच रिपोर्ट मे करना समीचीन है।

वर्ष 1358 एवं 1359 फसली की खतोनियो के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह खतोनिया उ0प्र0 भू0लेख नियमावली के अध्याय 8 के नियम 121 के प्रपत्र प–11 के पैरा 124 के कम मे बनी है जो कि निम्न प्रारूप पर है–

क0सं0	किसान का नाम उसके पिता का नाम और उसका निवास स्थान	खेती करने की अवधि	खसरे की संख्या	क्षेत्रफल बन्दोस्बस्ती बीघो मे या एकड में	लगान		विशेष विवरण
					नकदी	जिन्सी लगान का नकद मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
	उन क्षेत्रो के लिये जिनमे 1950ई0का उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नही है						

तथा 1360,1361 एवं 1362 फसली वर्षो की खतौनियो के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह खतौनिया उ0प्र0 भू0लेख नियमावली अध्याय 8 के नियम 1क 121 मे प्रपत्र–11 के प्रारूप पर पैरा 124 के कम मे बनी है जो निम्न है–

खाता खतौनी सं0	खातेदार का नाम पिता का नाम और निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल बंदोबस्ती बीघो या एकड में	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिर्वतन सम्बन्धी आज्ञाये यदि कोई हो उनकी संख्या तथा दिनांक और आज्ञा देने वाले अधिकारी का नाम	आज्ञा का सारांश जो रजिस्ट्रार कानूनगो या पंचायती अदालत द्वारा साक्षीकृत है	टिप्पणी

इस प्रपत्र पर खतौनी के उन क्षेत्रो के लिये बननी थी जिनमे 1950 ई0 में उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमिव्यवस्था अधिनियम लागू था। ग्राम मे 1359 फ0 मे उ0प्र0जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नही था खतौनिया उ0प्र0 भूलेख नियमावाली के पैरा 124 मे दी गयी खेवट खाते के अंन्तर्गत भूमियो के कम मे दी गयी व्यवस्था के तहत जिमन 1 से लेकर 15 तक बनी है खतौनी के भाग अव्वल 1 नाम मालिकान कुंवर चन्द्रभान सिंह साहब खेवट नम्बर (1) के साथ जिमन (1)सीर

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट नगीना (बिजनौर)

मालिकान लगायत जिमन 13 तक की जोत नदारद अंकित है । लेखपाल तत्कालीन द्वारा खतौनी पर अंकित रक्षित प्रपत्र प–15 पर भी जो नदारद अंकित है तथा जिमन–14 आराजी काबिल जिरायत मे जगल झाडीदार और जिमन–15 मे नदी अंकित है। जुलाई 1952 से जून 1953 तक यानी 1360फ0 खतोनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसका निर्माण उ0प्र0 भू0लेख नियमावली के पैरा क–124 के तहत निर्मित है ग्राम की भूमि व्यवस्था को श्रेणीगत कर नियमानुसार ग्राम की भूमियो को जिमन 1 से 6 तक अंकित किया गया है ताकि खतौनी का प्रारूप नियम/पैरा क–121 मे परिभाषित पक–11 के तहत है।
उपरोक्त विश्लेषण एवं अभिलेखो से स्पष्ट है कि ग्राम में उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भू0व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू हो चुका था। 1360फ0 (जुलाई 1952–जून 1953 तक) की खतौनी का निर्माण निहित होने के दिनांक 01 जुलाई 1952 से नये प्रारूप प्रपत्र पक –11 पर प–11 के स्थान पर हुआ था। समिति अपनी जॉच से यह पाती है एवं मानती है कि 1360फ0 के प्रारम्भ एक जुलाई 1952 से ही ग्राम में जमींदारी विनाश अधिनियम लागू हो चुका था। दिनांक 01 जुलाई 1952 से ही सभी आस्थान राज्य में निहित हो गये थे। उपलब्ध ग्राम के राजस्व अभिलेखो के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतौनी मे जिमनवार अंकन निम्नवत है– 1360 फसली खतौनी के पहले पेज पर ग्राम का नाम मुर्तजाबाद परगना बढापुर तहसील नगीनाजिला बिजनौर फार्म 1 साल 1360 फसली के लिये लिया गया हस्ताक्षर अ0 समद लेखपाल अंकित है। फार्म प–क11 की पेशानी यानि उ0प्र0 ज0वि0 और भू0व्य0 अधि0लागू क्षेत्र हेतु निर्मित प्रथम खतोनी के तहत अंकन कर तैयार की गयी है। इस खतौनी मे जिमन लगायत नम्बर 4 नदारद अंकित है। स्पष्ट है कि ग्राम मे किसी प्रकार का कोई काश्तकार खतौनी निर्माण के समय नही था तथा 1360फसली के प्रारम्भ मे काश्त की कोई भूमि नही थी।फसली 1360 मे जिमन–5 के मद नम्बर 3 व 2 मे झाड़ियो का जंगल काबिल जरात जंगलझाडीदार के नाम कुल 5 गाटो में रकबा 709 बीघा 11 बिस्वा भूमि अंकित है तथा जिमन–6 मद 1 में नदी के नाम 6 गाटे क्षेत्रफल 149 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज है। यह भूमिया जमींदारी विनाश के पूर्व 1359फ0 की खतोनी मे प्रपत्र–11 पर जिमन–14 व 15 में दर्ज थी। उ0प्र0ज0वि0भू0व्यवस्था अधिनियम की धारा 5 (5क) कि यह क्षेत्र धारा 1(2,3) से आच्छादित नही था। यहॉ निहित उपरोक्त प्रपत्रो के अकन से अभिलेखीय प्रमाणक यह सिद्व करते है कि उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं0भूमि व्यवस्था अधिनियम क्षेत्र में समय से लागू हुआ । मध्यवर्तियो के स्वत्व का अर्जन नियमानुसार हुआ और ग्राम मे आबादी न होने के कारण काश्त किसी प्रकार की न होने कारण उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,के प्राविधान ग्राम की भूमि पर लागू नही हुए तत्कालीन लेखपाल ने 1360फसली की खतौनी नियत प्रारूप पर जो उ0प्र0ज0 व्यवस्था लागू शुदा क्षेत्रो के लिये बनाने पर था और जमन–14 जंगलझाडीदार अंकन के कुल 5 गाटे क्षेत्रफल 709 बीघा 11 बिस्वा को अधिनियम की धारा 117 के प्राविधान के तहत ग्राम के गैर आबाद क्षेत्र की यह भूमि जो किसी खातेदार के खाते मे दर्ज नही थी बल्कि जंगलझाडीदार के रूप मे दर्ज थी। खतौनी 1360फ0 मे जिमन–5 मे अंकन इसी प्रकार 1359फसली की जिमन–15 मे दर्ज नदी के रूप मे 6 गाटे क्षेत्रफल 149 बीघा 19 बिस्वा थी को 1360फ0 को नियमानुसार जिमन–6 मे दर्ज किया गया । 01जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक की निर्मित उ0प्र0जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की पहली खतौनी में ग्राम मुर्तजाबाद की कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा सम्पत्ति के तौर पर श्रेणी 5,6 मे जंगलझाडीदार व नदी के रूप में दर्ज हुई। राजस्व अभिलेखो 1360फ0 खतोनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1360फसली जून 1951 से 1952 तक की परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञाओ के स्तम्भो मे किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नही है वर्तमान मे राजस्व अभिलेखागार मे रक्षित ग्राम के अभिलेखो मे 1361 फसली की खतोनी उपलब्ध नही है। 1360फसली 1 जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक मे एक प्रविष्टि 1361फसली (1जुलाई से जून 1954) की निम्न प्रकार पायी गयी। बाहुकम श्री हाकिम

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

पृष्ठ संख्या :

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

परगना साहब नगीना तारीख 29.9.1953 आराजी नम्बरी जैल मौजा मुर्तजाबादपर श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदेराज सिह जात राजपूत निवासी हाल बिजनोर का बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जावे। इस अमलदरादमद के नीचे गाटा संख्या 1 लेकर 11 तक के सभी नम्बरान अंकित है तथा कुल रकबा 859 बीघा 10 बिस्वा अभिलिखित है।

उपरोक्त प्रविष्टियो मे से स्पष्ट है कि उपरोक्त खतौनी 1360फसली एवं 1361 फसली के लिये मान्य थी क्योकि उपरोक्त दोनो प्रविष्टियां 1361 फ0 वर्ष की है और 1360 फसली की खतौनी मे दर्ज है। 1361 फसली की उपरोक्त प्रविष्टिया 1360 फसली की खतौनी मे की गयी इसकी पूर्ण सम्भावना है कि 1360 फसली की निर्मित खतौनी ही 1361 फसली मे मान्य थी। वर्ष 1360 फसली मे अंकित दिनांक 29.9.1953 की प्रविष्टियो की जॉच समिति निम्न कारणो से फर्जी काल्पनिक जाली एवं असत्य पाती है।

1–दिनांक 29.9.1953 की प्रविष्टि खतौनी पर पटवारी ने कब अंकित की है यह अंकन न होना ।

2–जब से खतोनी का निर्माण हुआ तब से 1360फ0 यानी 30.6.1953 तक राजस्व अभिलेखो मे ग्राम की कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि सदैव जंगल,नदी के रूप मे दर्ज रहना।

4–उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर 1360 फसली तक कभी भी जोत काश्त या किसी प्रकार के भी काश्तकारो का ना पाया जाना।

5–1359 फसली तक नाम मालिकान मे कुंवर चन्द्रभान सिंह खेवट नम्बर 01 जिमन 1सीर मालिकान लगायत जिमन 13 इलाके जोत नदारद अंकित है कि यानि किसी भी प्रकार की कोई जोत नही थी केवल जिमन 14 एवं 15 मे जंगल एव नदी के रूप में दर्ज 859 बीघा 10 बिस्वा सार्वजनक उपभोग की भूमि थी। स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रचलित चौदह प्रकार की जोतदारी व्यवस्था ग्राम मे नही थी जमींदारी विनाश अधिनियम के लागू होने के बाद चौदह प्रकार की जोतदारी व्यवस्था चार प्रकार की जोत व्यवस्था 1360फ0 की निर्मित पहली खतौनी मे नदारद अंकित है। 1360 फसली की खतौनी मे जिमन 5 मे जंगल झाडीदार एवं जिमन 6 मे नदी के रूप मे भूमि नियमानुसार दर्ज हुई। 1360 फ0 एक जुलाई 1952 से 30 जून 1953 तक की समाप्ति तक 859 बीघा 10 बिस्वा उक्त भूमि श्रेणी 5 एवं 6 मे जंगल झाडी व नदी के नाम दर्ज है। दिनांक 29.9.1953 यानी 1361 फसली वर्ष का कथित आदेश 1360 फ0 के विशेष विवरण मे दर्ज है जिससे समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा बीघा भूमि एक व्यक्ति कुंवरचन्द्रभान सिंह पुत्र पुत्र उदेराज सिंह जात राजपूत निवासी हाल बिजनोर के नाम अंकित कर दी गयी । जमींदार को बगैर काश्त की भूमि पर उ0प्र0 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 एवं 132 से आच्छादित भूमि पर भूमिधर के रूप मे अंकित अनियमित एवं अवैद्यानिक रूप से किया गया ।

7–उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 6 (8) में जंगल की स्थिति स्पष्ट कर लिखा है कि वह विस्तृत भू भाग जो मुख्य रूप से वृक्षो एवं झाडियो से आच्छादित हो वह एवं धारा 6(10) सभी जल प्रणालिया यानि नदी आदि तथा सार्वजनिक रास्तो की भूमिया पहले राज्य सरकार मे निहित हुई एवं राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 117 के अधीन ग्राम सभा मे निहित कर दिया।

8–ग्राम की समस्त भूमि यानी जंगलझाडीदार एवं नदी से सम्बंधित कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोगिता की भूमियो के रूप मे थीं उ0प्र0 ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 से आच्छादित होने के कारण इन भूमिया पर भूमिधर अधिकार उत्पन्न नही होते है। 9–धारा 195 से 198 तक की दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त भूमि न काश्त के लिये उठायी जा सकती थी और न ही उसका आवंटन किया जा सकता था। सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि जो ग्राम समाज सतत दर्ज चली आ रही भूमि का आवंटन का अधिकार भी परगनाधिकारी को नही था।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

vaad.up.nic.in/Judgement/Print_Advetise_Details.aspx?cno=T202213160402958&... 1/1

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

10–धारा 196 मे दी गयी व्यवस्था के तहत भी यह मध्यवर्ती के सीरदार के रूप में उठायी भी नही जा सकती थी।
11–परगनाधिकारी को मध्यवर्ती ग्राम सभा का मालिकान हक को आवंटन की विधा मे 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर जंगल नदी की सतत दर्ज चली आ रही भूमि पर ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम मे नही दिया गया है।
12–1360फ0 वर्ष तक सतत रूप से जंगल झाडीदार नदी के रूप दर्ज भूमि जिस पर कभी भी कोई काश्तकार मालिकान या व्यक्ति किसी रूप मे काबिज नही रहा कभी भी मालिकाना अंकित होने के नाते जब कि मालिकान के सभी अधिकार आगम जमींदारी समाप्ति पर सरकार मे निहित हो गये।
13–ग्राम की सम्पूर्ण भूमि जिमन 14 जिमन 15 थी बाद मे 1360फ0 मे जिमन–5 एवं जिमन 6 मे परिवर्तित हुई ग्राम की भूमियो पर कोई लगान की देयता नही थी। जोत या काश्त के रूप में भूमि पर जमींदार का कभी वैद्य एवं अवैध कब्जा नही था। ग्राम की सम्पूर्ण भूमि पर जमीदार का कब्जा कभी न होने के कारण ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 129 (ख) से भी आच्छादित आदेश नही है। इस अमलदरामद में वाद संख्या का भी उल्लेख नही है।
14–मूलतः 1360 फसली की खतौनी मे जमींदारी विनाश एंवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने तथा नियत प्रपत्र पक–11 पर खतौनी निर्माण के एक वर्ष तीन माह बाद दिनांक 29.9.1953 को 1361 फसली वर्ष का आदेश 1360 फसली की खतोनी मे अंकित किया गया। इस प्रकार उक्त अंकन जमींदारी विनाश के बाद का है। उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 130 मे भूमिधर थी वैद्याानिक स्थिति का उल्लेख किया गया है–
क–ऐसे व्यक्ति जो आस्थानो के हस्तगत किये जाने के फलस्वरूप धारा 18 के अधीन भूमिधर हुए।
ख–ऐसे व्यक्ति जो उ0प्र0जमीदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के निर्देशो के अधीन या अनुसार भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर ले। धारा 18 के अधीन कोई भी व्यक्ति भूमिधर नही बना । स्वतः भूमिधर काश्तकारो एवं अन्य काश्तकारो की स्थिति जिमन 1 लगायत 4 नदारद 1360 फ0 मे स्पष्ट लिखी है। अधिनियम की किसी भी धारा मे यह अंकन नही है कि जो भूमि जिमन 14 जंगल जिमन 15 नदी की जमींदारी विनाश के पूर्व सदैव दर्ज रही हो और उसको सही मानकर जमींदारी विनाश के बाद जिमन 5 जंगल एवं जिमन 6 नदी बाद जिमन–5 जंगल एवं जिमन–6 नदी की भूमि के रूप मे ग्राम सभा सम्पत्ति के रूप मे धारा 117 के तहत दर्ज हुई हो,उस पर कोई हाकिम परगना किसी व्यक्ति को भूमिधर अंकित नही कर सकते है। भूमि पर कभी भी कोई काश्त नही हुई सदैव भूमि सार्वजनिक उपयोगिता की रही, धारा 132 की भूमि पर किसी व्यक्ति को भूमिधर के अधिकार उत्पन्न नही होगें। स्पष्ट है कि धारा 130 से उक्त अंकन पूर्णतः बाधित है ।
15–जमींदारी उन्मूलन के पूर्व प्रत्येक ग्राम के लिये दो अधिकार अभिलेख हाते थे खेवट और खतौनी 1359फ0 की खतौनी मे भाग अव्वल नाम मालिकान श्री कुंवरचन्द्रभान सिंह साहब खेवट नम्बर 1 जिमन 1 सीर मालिकान लगायत जिमन 13 इलाके जोत 570 बीघा 4 बिस्वा श्री कुंवरचन्द्रभान सिह के नाम थी। यह उसके जमींदार थे 1360 फसली के खतोनी के अवलोकन से स्पष्ट है खेवट महाल नम्बर 1 पर दर्ज जमींदार जो कि उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 32 यानी खेवट अधिकार अभिलेख से सम्बंधित है पर नियमानुसार प्रतिकर निर्धारित कर खेवट एंव जमीदारी समाप्त की गयी एवं उ0प्र0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1901 की धारा 32 मे वर्णित अधिकार अभिलेख यानी खतौनी अवशेष बची जिसमे जिमन–5 मे जंगल एवं जिमन–6 मे नदी नियमानुसार दर्ज हुई।
16–1359फ0 वर्ष की खतौनी के अंकन से स्पष्ट कि खेवटं मे मालिकाना हक यानी बतौर जमींदार कुंवर चन्द्रभान का नाम अंकित है। किन्तु 1359 फ0 तक के ग्राम मे कभी भी जोत की भूमि नही थी सभी भूमिया जिमन–14एवं 15 की थी। खेवट

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

320

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मध्यवर्ती जमींदार/मालिकान से सम्बंधित थी नियमानुसार जमींदारी विनाश के बाद प्रतिकर निर्धारित कर इसके समाप्त कर दिया गया और जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार के नाम का अकंन समाप्त हो गया तथा खतौनी जिसमे कौन जोतदार यानी काश्तकार किस हैसियत मे है जमींदारी विनाश के बाद यही अधिकर अभिलेख रखा जाता हैं का निर्माण 1360फ0 मे हुआ। ग्राम मे कभी भी काई काश्तकार किसी भी प्रकार का न होने के कारण पूर्व की जिमन 14 जंगल की भूमि जिमन–5 जंगल मे दर्ज हुई एवं जिमन–15 नदी की भूमि जिमन–6 नदी मे दर्ज हुई। जमींदारी विनाश के बाद ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के विधानो के विरूद्व पुनः ग्राम की सार्वजनिक उपभोग की सम्पूर्ण भूमि पर उसी जमींदार का नाम अकित कर दिया गया जो कि एक काल्पनिक ,असत्य एवं अनियमित प्रविष्टि है।

17–यू0पी0लैण्ड रेवन्यू रिकार्ड एक्ट की धारा 1901 द्वारा जमींदार को कोई सीरदारी से सम्बंधित अधिकार प्रदत्त नही थे।स्पष्ट है कि श्री कुंवरचन्द्रभान सिंह को श्रेणी–14 एवं श्रेणी–15 की उक्त भूमि के सीरदार अधिकार कभी प्राप्त नही थे। जैसा कि उ0प्र0 काश्कारी अधिनियम 1939 की धारा 8 से भी स्पष्ट है।

18–अधिसूचना संख्या 365/1–क ग(ज)68 दिनांक 05.12.1968 उ0प्र0 गजट मे 14 दिसम्बर 1968 को प्रकाशित हुई जिस पर कलेक्टर परगनाधिकारी को कुछ कार्यो के करने के तहत कलेक्टर की शक्तियाा प्राप्त है। ग्राम मे उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद उक्त अधिसूचना के पूर्व किसी आदेश का अंकन बगैर कलेक्टर के आदेश के नही हो सकता था। जैसा कि उ0प्र0ज0वि0अधि0से भी स्पष्ट किया गया है उ0प्र0रा0अधिनियम 1901 की धारा 33 मे खतोनी (वार्षिक रजिस्टर) के अभिलेख के लिये उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1सन 1951 से स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि वार्षिक रजिस्टर मे कोई भी परिवर्तन संव्यवहार कलेक्टर के आदेश के बिना अभिलिखित नही किया जायेगा।

19–भूमिधरी अधिकार काश्तकारी अधिकार का उच्च प्रकार है और भूमिधर की परिस्थिति केवल काश्तकार के रूप में है ग्राम मे सार्वजनिक उपभोग जंगल ,नदी पर कभी भी किसी प्रकार को काश्त एवं काश्तकारो का वर्णन 1362 फ0 की खतौनी के पूर्व के राजस्व अभिलेखो मे नही मिलता है। फसली 1360–61 फ0 की खतौनी पर रक्षित अभिलेख प्रपत्र–15 के अवलोकन से स्पष्ट है जिससे सभी प्रकार काश्तजोत नदारद अंकित है । ऐसी स्थिति में 1361 फ0 वर्ष की खतौनी की सभी मे नदी जंगल की भूमि को भूमिधरी अंकित करना एक कल्पना के आधार पर मिथ्या एवं फर्जी अंकन का कृत्य है।

20–ज0वि0अधि0 के पूर्व की भूमि विधि मे दी गयी चौदह किस्म की काश्तकारियो मे कोई भी काश्तकारी ग्राम की भूमि पर कभी नही रही और जमीमंदारी विनाश के बाद 1360 फ0 मे मे भी निर्मित चार जोतदारो/काश्तकारो मे कोई भी ग्राम मे काश्तकार नही था। विशुद्व रूप से ग्राम की समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में जंगल एवं नदी के रूप मे दर्ज थी जिस पर भूमिधरी अधिकारी मिलने का कोई भी प्राविधान नही है। इस भौमिक सम्पत्ति का पर्यवेक्षण प्रबंध संरक्षण और नियंतत्रण का भार केवल ग्रामसभा को था। अंकित कथित आदेश में ग्राम सभा की कोई भूमिका परिलक्षित नही होती है।

21–खतौनी की परिभाषा उ0प्र0 भूमिलेख नियमावली के अध्याय 8 के पैरा क–121 के अभिलखित है इसमे लिखा है कि खतौनी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 32 (5)एवं 32 के अनुसार यह उन व्यक्तियो की एक पंजी है जो किसी महाल की या ग्राम सभा की भूमि पर खेती करते हो या अन्य प्रकार से काबिज या अध्यासीन हो। ग्राम मे 1360 फसली तक समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कोई व्यक्ति इस प्रकार नही था। प्रपत्र–15 1360 फ0 से स्पष्ट है कि 15 मौरूसी काश्तकार जिनमे विशेष अधिकार प्राप्त मौरूसी काश्तकार गैर दखलीकार काश्तकार दूसरे काश्तकार व नीरामाती लगाने वाले काश्तकार तथा बागदार आदि सभी

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

प्रकार के समस्त काश्तकार नदारद अंकित है भूमि जिमन–14, एवं 15 से जिमन 5 एवं 6 में अंकित हुई है कोई काश्तकार नही कोई जोत क्षेत्र नही है कोई लगान नही है। इसके बावजूद लेखपाल ने समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा पर जमींदारी विनाश के बाद भी जमींदार का नाम मनघडन्त एवं कूट रचित तरीके से सार्वजनिक उपभोग की धारा 132 की भूमि पर अंकित किया गया यह अंकन लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी का नही है स्वत्व की घोषणा की श्रेणी का नही है प्रशासनिक रूप से सक्षम अधिकारी घोषित नही है क्यो कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इसके अवलोकित नही किया गया । समिति जॉच में इसे काल्पनिक जाली अनियमित मिथ्या एंव फर्जी पाती है। श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदेयराज सिंह सा0 हाल बिजनौर अंकित है और इसमे सभी जिमन–5 जंगल के 5 गाटे क्षेत्रफल 709 बीघा 11 बिस्वा और नदी के 6 गाटा रकबा 149 बीघा 19 बिस्वा इनके नाम दर्ज कर दिये गये। इस प्रकार 1362 फसली की खतोनी में सार्वजनिक उपभोग की समस्त धारा 132 की भूमि 11 गाटो की कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि जमींदारी विनाश के बाद मध्यवर्ती उसी जमींदार के नाम अंकित कर दी गयी है और खतौनी में अव्वल जिमन एक लिखकर उसकी विशेषता असामियान जेरे काश्तभूमिधर अंकित है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि जिन क्षेत्रो में ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू हुआ वहॉ की खतौनिया प्रपत्र पक 11 पर उ0प्र0 भूलेख नियमावली के पैरा क–124 में अंकित खातो (जोतो) की व्यवस्था के कम में रक्षित हुई। असामियान जेरे काश्तभूमिधर अंकन की व्यवस्था जिमन के तहत इसमे परिभाषित नही है। सम्पूर्ण भूमि पर किसी व्यक्ति के नाम का अंकन उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले **घोषणात्मक** वाद में भूमि की प्रकिया में आदेश के तहत ही आ सकता है। किन्तु सार्वजनिक उपभोग धारा 132 की भूमि पर **प्रशासनिक प्रकृति** के आदेश के तहत 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर करने के अधिकार किसी अधिकारी को ज0वि0एवं0 भूमि **व्यवस्था अधिनियम** या अन्य किसी भी व्यवस्थाओ में नही दिये गये है। अंकित आदेश उक्त के तहत मनगघड़न्त काल्पनिक एवं **मिथ्या समिति** जॉच मे पाती है।

22–मध्यवर्ती कुंवरचन्द्रभान सिंह को 1360फ0 का उक्त ग्राम की समस्त भूमि में से इनके कब्जे में न **कोई सीर थी** न कोई खुदकाश्त थी और न ही मध्यवर्ती के रूप में कोई भूमि नही थी। इसलिये जमींदारी विनाश के बाद इनका **नाम 1360 फ0** निर्मित खतौनी के मूल खातो में अंकित नियमानुसार नही हुआ। इनका नाम खेवट में दर्ज जमींदार के रूप में था **जिसका** निराकरण उ0प्र0ज0वि0व्य0 अधिनियम की धारा 32 के तहत कर खेवट समाप्त कर इनकी जमींदारी समाप्त कर दी गयी। पुनः जमींदार का नाम जमींदारी समाप्ति के बाद में राजस्व के लिये निर्मित खतौनी मे सार्वजनिक उपभोग की ग्राम सभा की भूमि पर प्रशासनिक रूप से लिखकर करना एक अनियमित एवं स्वेच्छाधारी कूट रचित कृत्य है।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

23–उक्त प्रशासनिक आदेश उ0प्र0 भू0राजस्व अधिनियम 19 की धारा 33 ,35 ,39 ,40 **41 या 54 के** अन्तर्गत पारित नही है। प्रशासनिक तरीके से राजस्व अभिलेख मे लेखपाल ने कूट रचित प्रविष्टि की हैं। जमींदारी **विनाश के बाद** जमींदार का नाम बगैर अधिकार स्वत्व या दायित्व या तत्समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत बनाये गये **किसी भूमि नियम** के अन्तर्गत खेवट से हटाकर सार्वजनिक उपभोग की धारा 132 की समस्त भूमि पर अंकित करना स्वेच्छाचारिता **है। लैड** रिकार्ड मैनुअल के परिच्छेद 166 के अनुसार 1360फसली के प्रपत्र प–15 जो कि अभिलेखागार स्तर पर उपलब्ध **है। अवलोकन** से स्पष्ट है कि ग्राम में जिसमे भूमिधरो की जोत उन व्यक्तियो की जो जोधारा 137 एक्ट नम्बर 1.सन **1951 के प्रतिबंधात्मक** खण्ड से सम्बंधित थे। सीरदारो की जोत, असामियो की जोत, उन व्यक्तियो की जो भूमि पर **बिना स्वत्व के** काबिज है प्रथम भाग में अंकित है, आसामियो जो उन व्यक्तियो की भूमि पर बिना स्वत्व के काबिज है और **जिनका नाम खतौनीयो** के भाग एक में अंकित है, भू स्वामियो की सीर, खुदकाश्त,ठेकेदार के बंधक ग्राही की जोत,भूमि पर **बिना स्वत्व काबिज** व्यक्तियो की जोत, मतहतदारो से

322

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट नगीना (बिजनौर)

मालिकाना की जोत, शरहमुअग्न, साकिकतुल मिलकियत काश्तकार, और ऐसे काश्तकार की जो काबिज काश्त 1333 फसली में 12 वर्ष से कम रूप में खतोनी में लगातार दर्ज। सार्वजनिक उपयोग की 859 बीघा 10 बिस्वा बीघा भूमि पर जमीदार के नाम का अंकन यू0पी0काश्तकारी अधिनियम उपयोग 1939 के अध्याय –3 के धारा 21 में परिभाषित समस्त असामियान के कम का नही है तथा उ0प्र0 ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 21,187,–क और 210(ग) के कम का भी अंकन नही है स्पष्ट है कि जिमन–1 में जो नाम देकर अकित किया गया वह भी किसी नियम या व्यवस्था के तहत नही है जिमन 1 श्रेणी का शीर्षक समिति फर्जी एवं कूट रचित जॉच में पाती है।

उक्त के साथ 1362 फ0 खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक उपयोग की सम्पूर्ण भूमि असामियान रूपी प्रथम हैसियत मानकर जिमन 1 में कुंवर चन्द्रभान सिह जमीदार का नाम दर्ज हुआ। जमींदार का नाम सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर बतौर असामियान दर्ज हुआ। असामियान को उ0प्र0ज0वि0अधिनियम की धारा 153 उसके स्वत्व के अंतरण से प्रतिबंधित करती है जब कि उसके उपरन्त यह भूमि विभिन्न प्रकार से विभिन्न व्यक्तियो को अंतरित हुयी है।

तात्कालीन में उपजिलाधिकारी नगीना की आख्या से स्पष्ट है कि तहसील स्तर पर ग्राम का आर–6 रजिस्टर तहसील कार्यालय में उपलब्ध नही है। नायब तहसीलदार के कथित उक्त वादो की पत्रावलियां भी रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय तहसील नगीना और अभिलेखागार बिजनौर में उपलब्ध नही है। उपरोक्त विशलेषण से समिति का मानना है कि खतौनी में 1360फ0 में मूल रूप से निर्मित खतौनी में जो जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के लागू होने के बाद सबसे पहले बनी उसमे ग्राम मुर्तजाबाद की समस्त भूमि कुल 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि के रूप मे जिमन–5 एवं 6 में कमशः जंगल झाडीदार एवं नदी के रूप में दर्ज हुई। 1361फ0 में लेखपाल द्वारा लिखित प्रविष्टि पर जमींदारी विनाश के बाद भी उसी जमींदार का नाम स्वयं की कल्पना के आधार पर मनघड़न्त,अनियमित, स्वेच्छाधारी, फर्जी कूट–रचित प्रशासनिक आदेश के रूप में अंकित किया गया। 1360फसली वर्ष की खतौनी में 1361फसली वर्ष में अंकित फर्जी या छलसाधित प्रविष्टि से ही आगे की खतौनिया बनी एवं अवैध रूप से लोगो के नाम का अंकन हैं। 1360फ0 की नवीन खतौनी के निर्माण के समय ही ग्राम की समस्त 859 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो कि 1359 फसली तक जिमन–14 एवं जिमन–15 की थी पर किसी प्रकार का भी हक विवाद नही था जैसा कि 1360फसली के प्रपत्र–15 के अवलोकन से स्पष्ट है। लेखपाल द्वारा फर्जी प्रविष्टि अंकन कर तर्क–वितर्क एवं अनावश्यक जॉच की स्थिति पैदा की। किसी भी तत्कालीन प्रचलित नियमो अधिनियमो की विधिक व्यवस्था या न्यायिक प्रकिया के अनुरूप इस प्रविष्टि का अंकन नही किया गया है। लेखपाल द्वारा अंकित प्रशासनिक तरीके से इस प्रविष्टि को फर्जी होने के कारण इस पर आधारित बाद के वर्षो के सभी आदेश स्वतः फर्जी कम के हो जाते है।

मा0उच्चतम न्यायालय मे सिविल अपील संख्या 1132(सी)/2011 विशेष अनुज्ञा याचिकासंख्या सी 3109/2011 परिवर्तित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या (सी)19869/2010 जगपाल सिह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं अपील (सी)4787/2011,हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 25.07.2001 एवं रिट याचिका संख्या 6472(एम/बी)/2012 ओमप्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में मा0उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 के अनुपालन में प्रदेश के ग्राम सभाओ के तालाब, पोखर, चारागाह आदि की जमीन पर अवैध कब्जे/अतिकमण हटाने के सम्बन्ध मे विस्तृत आदेश /दिशा निर्देश पारित किये गये है।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद संख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम सभा मे निहित भूमि के सापेक्ष फर्जी व कूट रचित आदेश के आधार पर हुए अतिक्रमण को हटाये जाने से पूर्व उक्त फर्जी आदेशो के कम में दर्ज विभिन्न व्यक्तियो के नाम निरस्त कर भूमि को उसकी मूल श्रेणी यथा जंगलझाडीदार, नदी में नियमानुसार दर्ज किया जाना आवश्यक है।

उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 में दी गयी व्यवस्था के तहत ग्राम की फर्जी प्रविष्टि के प्रभाव का कियावयन स्थगित कर धारा 38 (5) में पक्षो को आपत्ति का अवसर प्रदान कर उपजिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी (न्यायिक) नगीना द्वारा प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाना उचित होगा।

उक्त जॉच आख्या के अनुसार उक्त प्रकरण में उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–1 संख्या 1165/एक–1–2020–रा0–1 लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 के क्रम में ग्राम शंकरपुर मुर्तजावाद व हल्लोवाली **परगना बढापुर** तहसील नगीना जिला बिजनौर की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित भूमि को फर्जी तरीके से व्यक्ति लोगो के नाम दर्ज कराकर खुर्द बुर्द करने की जॉच हेतु गठित समिति की जॉच आख्या निम्नवत् हैः–

उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1165/एक–1–2020–रा–1 दिनांक 20.10.2020 (सलंग्नक–1) के द्वारा ग्राम तेलीपाडा, जहानाबाद व राजपुर कोट, तहतसील नगीना आदि जिला बिजनौर की जंगल, नदी व रास्तों आदि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित भूमि को फर्जी तरीके से व्यक्तिगत लोगो के नाम दर्ज कराकर क्रय विक्रय के माध्यम से खुर्द–बुर्द करने की जॉच हेतु चकबन्दी आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में जिलधिकारी बिजनौर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बिजनौर संयुक्त संचालक चकबन्दी व जिला वन अधिकारी, बिजनौर की चार सदस्यीय समिति गठित कर प्रकरण की जॉच कर जॉच आख्या शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। शासन के अनुवर्ती कार्यालय ज्ञाप संख्या 390/एम–1–2021–रा0–1 दिनांक 01.06.2021 (सलंग्नक–2) के द्वारा श्री तरूण कुमार मिश्र, संयुक्त संचालक चकबन्दी के स्थान पर श्री ब्रजेश कुमार शुक्ल, संयुक्त संचालक चकबनदी को तथा तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को संख्या 624/2021, किशन चन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.08.2021 (संलग्नक–3) के द्वारा भी जॉच समिति को अपनी जॉच आख्या 03 माह में सम्पन्न करने के लिए निर्देशित किया गया।

2– शासन के निर्देश के कम में समिति द्वारा दिनांक 23.12.2020 को जनपद बिजनौर का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान ग्राम शंकरपुर मुर्तजाबाद व हल्लोवाली एवं अन्य ग्रामों के भौमिक अभिलेखों का अवलोकन एवं विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। ज्ञात हुआ कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बिजनौर की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय समिति गठित की गयी है। अतः उक्त तीनों ग्रामों के सबंध में जनपद स्तरीय जॉच समिति की जांच आख्याओं की प्रतियॉ उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। अपर जिलाधिकारी के पत्र संख्या 637/सात–भूलेख, डी0एल0आर0सी0 दिनांक 02.03.2021 के द्वारा 05 सदस्यीय समिति की ग्रामतेलीपाडा, शंकरपुर, मुर्तजाबाद, हल्लोवाली, राजपुर कोट, चक्पतपुर चकला, मदपुरी, कादरगंज व सुलेमाशिकोपुर कुल 09 ग्राम की संयुक्त जॉच आख्याए चकबन्दी आयुक्त उ0प्र0 को प्रेषित की गयी जो पत्रावली पर उपलब्ध है। दिनांक 15.09.2021 एवं 16.09.2021 की जॉच समिति की लखनऊ में आहूत बैठक में जॉच में स्पष्ट हुए तथ्यों के दृष्टिगत जॉच समिति के सदस्य श्री अवधेश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बिजनारैर के स्थानान्तरण हो जाने के दुष्टिगत चकबन्दी आयुक्त के पत्रांक 9/कैम्प/डिस्पैच अनुभाग/2021 दिनांक 01.10.2021 (सलंक्नक–4) के द्यद्वारा जनपद बिजनौर में कार्यभार ग्रहण करने वाले नये अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अथवा किसी अद्यन्य अपर जिलाधिकारी को जॉच

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

vaad.up.nic.in/Judgement/Print_Advetise_Details.aspx?...

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

समिति के सदस्य के रूप में नामित करते हुए दिनांक 05.10.2021 को चकबन्दी निदेशालय, लखनऊ में आहूत बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने के लिये जिलाधिकारी बिजनौर से अनुरोध किया गया। दिनांक 05.10.2021 को अपर जिलाधिकारी एवं जिला वन अधिकारी के उपस्थित न होने पर दिनांक 08.10.2021 नियत की गयी, जिस पर जॉच समिति के सभी सदस्य एवं अध्यक्ष उपस्थित हुए।

3- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय जांच समिति की जांच आख्या के ग्रामवार मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

ग्राम मुर्तजाबाद- जनपद स्तरीय उक्त जांच आख्या के अनुसार ग्राम मुर्तजाबाद परगना बढापुर तहसील नगीना जनपद बिजनौर की सन् 1358 फसली की खतौनी में कुल 11 गाटे है, जिनका कुल क्षेत्र 859 बीघा, 10 बिस्वा अंकित है। 05 गाटे, जिनका कुल क्षेत्रफल 709 बीघा, 11 बिस्वा है, जिमन 14 में जंगल के नाम एवं 06 गाटे जिनका कुल क्षेत्रफल 149 बीघा 19 बिस्वा है, जिमन 15 में नदी के नाम अंकित है। 1359 फसली की खतौनी पर जंगल के 05 गाटों जिनका क्षेत्रफल 709 बीघा 11 बिस्वा है, पर जंगलात ऑफीसर के आदेश दिनांक 28.05.1952 की अमलदरामद अंकित है जिसके द्वारा कुंवर चन्द्रभान सिंह को काश्त करने की अनुमति की अमलदरामद है। फसली 1360 खतौनी के जिमन 05 व 06 में अंकित झाडदार जंगल व नदी के सभी 11 गाटों पर हाकिम परगना साहब नगीना के आदेश दिनांक 29.05.1953 की अमलदरामद का अंकन है, जिसके द्वारा कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह जात राजपूत निवासी हाल बिजनौर को बतौर भूमिधर दर्ज किया गया है। 1362 फसली की खतौनी में सभी 11 गाटे कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह के नाम श्रेणी 01 में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कर दिये गये। तत्पश्चात् उक्त सभी गाटे विभिन्न प्राइवेट व्यक्तियों के नाम विक्रय पत्रों के आधार पर दर्ज किये गये है।

शासन स्तरीय जॉच निष्कर्ष एवं संस्तुतिः-

(1) उक्त तीनों ग्रामों के 1359 फसली के पूर्व के भौमिक अभिलेखों तथा 1359 फसली की नॉन जेड-ए की खतौनी के अनुसार ग्राम शंकरपुर की 570-4-0 बीघा, ग्राम मुर्तजाबाद की 859-10-0 बीघा व ग्राम हल्लोवाली की 897-16-0 बीघा भूमि जिमन 14 एवं 15 में खेतटदार राजा हरीशचन्द्र राज सिंह के मोहाल में दर्ज थी।

उक्त खेवटदार इन तीनों ग्रामों की भूमि के लियें जमींदार (मध्यवर्ती) थे, किन्तु उनके द्वारा दिनांक 01.07.1952 के पूर्व इन तीनों ग्रामों की सम्पूर्ण या उसके किसी भाग का किसी प्रकार से कोई प्रबंधन नहीं किया जाना स्पष्ट होता है।

तीनों ग्रामों के जमींदारी उन्मूलन के पूर्व कबे प्रपत्र प-15 से इनकी समस्त भूमि पर खेती न होने की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पश्ट है कि इस ग्राम की समस्त भूमि उक्त जमींदार (मध्यवर्ती) की सीर, खुदकाश्त, सायर या बागभूमि नहीं थी।

(2) दिनांक 01.07.1952 को जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम एक्ट संख्या 01/1950 के प्रभावी होने पर इसकी धारा-4 के उपबंधों के अधीन निर्गत अधिसूचना से राज्य की समस्त भूमि राज्य सरकार में निहित हो गयीद्य।

इसी अधिनियम की धार-6 के अन्तर्गत जमींदारी (मध्यवर्तियों) के समस्त अधिकारी हक और हित समाद्यप्त हो गये। तत्पष्चात भूमि पर कृशि करने वाले भू-धारकों के साथ उनकी धृत भूमि उनके साथ व्यवस्थित करते हुए सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि उक्त अधिनियम की धारा-117 (1) के अन्तर्गत ग्राम सीाा में प्रबंधन हेतु निहित की गयी हैद्य।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

जमींदारी उन्मूलन हो जाने के कारण तत्समय बनाए जाने वाले भौमिक अभिलेख क्रमषः खेवट, नॉन जेड0ए0 खतौनरी (प्रपत्र–प–11) तथा खसरा (प–3) समाप्त हो गये और उनके स्थान पर जमींदारी उन्मूलन क्षेत्र की खतौनी (प्रपत्र–प क–11) और खसरा (प क–3) व्यवस्थित किये गये।

इस प्रकार इन ग्रामों से दिनांक 01.07.1952 को उपर्युक्त प्राविधानों के अन्तर्गत जमींदारी प्रभा उन्मूलित होकर इन ग्रामों की समस्त (570–04–0 + 859–10–0 + 897–16–0 2327–10–0) बीघा भूमि जंगल–झाडीदार, नदी व रास्ता के रूप में सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि पाते हुए 1360 फसली की खतौनी के भाग–2 में ग्राम सभा के खतो में क्रमशः श्रेणी–5 एवं श्रेणी–6 में अंकित किया गया है।

इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि इन ग्रामों में कोई कृषि कार्य हो रहा होता या जमींदार (मध्यवर्ती) द्वारा कोई प्रबन्ध किया गया होता अथवा इस पर खुदकाश्त, सीरदार, सायर, बागदार आदि के रूप में किसी का आध्यासन रहा होता तो ऐसे भू–धारक का नाम 1360 फसली की खतौनी के भाग–1 में आ जाता, किन्तु खतौनी के भाग–1 में किसी काश्तकार का नाम अंकित नहीं है।

इसके पश्चात् 1362 फसली की खतौनी में कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदे राज सिंह का नाम जिमनद्य–1 क आसामियान जेरे काश्त भूमिधर मद–1, जिन्होनें दस गुना जमा कर दिया हो, के अन्तर्गत अंकित है, जिसमें भौमिक अधिकार का वर्श 1362 फसली दर्शाया गया है। अभिलेखों से स्पष्ट है कि कुंवर चन्द्रभान सिंह का नाम परगनाधिकारी, नगीना के आदेश दिनांक 29.09.1953 के फलस्वरूप अंकित हुआ है।

(3)– 1359 फसली की खतौनी में "बाहुकम 28.05.1952 जंगलात अफीसर साहब ने कुंवर चन्द्रभान सिंह का जंगली के नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी" विषयक अमलदरामद है।

इस सबंध में जांच समिति द्वारा जनपद स्तरीय जांच आख्या का परीक्षण करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन के उपरान्त यह पाया गया है कि ग्राम शंकरपुर की 471–2–0 बीघा, मुर्तजाबाद की 709–11–0 बीघा व हल्लोवाली की 857–11–0 बीघा भूमि श्रेणी–14 में जंगल झाडीदार के रूप में दर्ज है, किन्तु यह वन विभाग (जंगल विभाग) की नहीं रही है क्योंकि जिला वन अधिकारी, बिजनौर पत्र संख्या 419/25–14 दिनांक 18.08.2020 के अनुसार इन तीनों ग्रामों की कोई भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के फलस्वरूप वन विभाग को हस्तान्तरित नहीं की गयी है। वन बन्दोवस्त अधिकारी के आदेश सं0– 1639 दिनांक 20.02.1975 द्वारा ग्राम हल्लोवाली में 12.11 है0 तथा मुर्तजाबाद में 19.81 है0 भूमि वन विभाग की गयी ।

जिला वन अधिकारी के अनुसार वन विभाग की भूमि पर किसी को काश्तकारी अथवा अन्यथा उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वन विभाग का कोई अधिकारी सक्षम नहीं था। इसके अतिरिक्त जंगल विभाग के अधिकारी, न्यायालय या राजस्व विभाग के अधिकारी की श्रेणी में नहीं आते। अतः उनके किसी आदेश की अमलदरामद खतौनी पर किया जाना सर्वथा नियम विरूद्ध है। उपर्युक्त आधारों पर अपर जिलाधिकारी की समिति ने उक्त अमलदरामद को अवैध/कूटरचित होना कहा है।

जमींदारी विनाश अधिनियम–1950 की धारा–8 में दिनांक 08.08.1946 के पूर्व के समस्त संविदाओं को और इसी अधिनियम की धारा–24 में इस अधिनियम के प्राविधानों को निष्फल करने हेतु या प्रत्येक संविदा एवं अनुबन्ध को शून्य घोषित किया गया है। अतः तथाकथित काश्त करने की अनुमति शून्य प्रभावी है।

संयुक्त प्रान्त प्राइवेट वन अधिनियम, 1948 की धारा–7 पर समिति द्वारा विचारापरान्त पाया गया कि जमींदार (मध्यवर्ती) द्वारा जंगलात आफीसर से काश्त की अनुमति नहीं मांगी गयी है। उक्त जमींदार (मध्यवर्ती) द्वारा किसी भू–भाग का

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

किसी प्रकार से किसी के पक्ष में कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। उक्त भूमि कुंवर चन्द्रभान सिंह की खुदकाश्त, सीर, सायर, बागदार या मौरूसी आदि किसी भी रूप में दर्ज नहीं है। वे न तो जमींदार (मध्यवर्ती) है और न किसी श्रेणी के भू–स्वामी। अतः कुंवर चन्द्रभान सिंह के पक्ष में जंगलात अधिकारी द्वारा दी गयी तथा कथित की अनुमति उक्त धारा–7 की परिधि में नहीं आती है और इसका कोई लाभ उक्त व्यक्तियों को नहीं मिल सकता।

उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रश्नगत अमलदरामद क्षेत्राधिकार रहित, नियम विरूद्व एवं छलसाधित होता स्पष्ट होती है।

(4)– जांच समिति द्वारा ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद व हल्लोवाली की 1360 फसली की खतौनी पर दिनांकरहित निम्न आशय की अमलदरामद अंकित होना पाया गया है कि "वाहुकम श्री हाकिम परगना साहब नगीना ता0 29.09.1953 आराजी नम्बरी जैल श्री कुंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदे राज सिंह, जात राजपूत निवासी हाल बिजनौर को बतौर भूमिधर दर्ज कागजात पटवारी किया जाए। समिति ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया कि दिनांक रहित इस अमलदारामद में परगना अधिकारी के न्यायलय के किसी वाद संख्या, शीर्षक, धारा का कोई उल्लेख नहीं है। इसी खतौनी के भाग–2 में समस्त भूमि ग्राम सभा के खाते में श्रेणी–5 एवं 6 में दर्ज होने से स्पष्ट है कि यह सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि थी और स्पष्ट रूप से जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम् की धारा–132 से आच्छादित थी। इस प्रकार इस भूमि पर किसी भी व्यक्ति को भौमिक अधिकार दिया जाना विधि–विरूद्व था।

यह तथ्य है कि कुंवर चन्द्र भान सिंह को तथाकथित काश्त करने की अनुमति केवल जंगल–झाडीदार भूमि पर दिया गया था, किन्तु श्रेणी 6(2) में दर्ज ग्राम शंकरपुर में 99–2–0 बीघा, मुर्तजाबाद में 149–19–0 बीघा व हल्लोवाली में 39–4–0 बीघा नदी की भूमि औक्र ग्राम हल्लोवाली में 1–1–0 बीघा रास्ता के रूप में दर्ज भूमि पर कुंवर चन्द्रभान सिंह को तथाकथित काश्त की अनुमति न होते हुए भी उन्हें भौमिक अधिकार दिया जाना पूर्णतया विधि विरूद्व है।

यह भी विचारणीय तथ्य है कि यदि कुंवर चन्द्रभान सिंह को तथाकथित काश्त करने के फलस्वरूप जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–18 के अन्तर्गत भूमिधर माना गया होता तो ऐसी भूमि उनकी सीर, खुदकाश्त, सायर या बागभूमि के रूप में 1360 फसली की खतौनी के भाग–1 में उनका नाम दर्ज होना चाहिए था। उपर्युक्त छलसाधित अमलदरामदों के फलस्वरूप उनका नाम 1362 फसली की खतौनी के भाग–1 में आया है। अतः स्पष्ट है कि उन्हें जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–18 का कोई लाभ नहीं दिया गया है।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

जनपद स्तरीय समिति की आख्या में भी उक्त अमलदरामद को कूदरचित एवं छलसाधित बताया गया है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों तथा साक्ष्यों पर सम्यक विचारोपरान्त जांच समिति प्रश्नगत अमलदरामद को अवैधानिक एवं छलसाधित पाती है।

(5)– उपर्युक्त समस्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि ग्राम शंकरपुर की 570–4–0 बीघा, मुर्तजाबाद की 859–10–0 बीघा व हल्लोवाली की 897–16–0 बीघा भूमि जो जमींदारी उन्मूलन (01.07.1952 के फलस्वरूप) राज्य सरकार में निहित एवं ग्रामसभा की प्रबन्धाधीन भूमि है। इस पर जमींदार (मध्यवर्ती) एवं तत्समय के राजस्वकर्मियों की दुरभिसंधि से कुंवर चन्द्रभान सिंह के नाम अवैधानिक रूप से अंकित किया गया औरउ तत्पश्चात उनके द्वारा विक्रय पत्रों के माध्यम से तीनों ग्रामों की जंगल–झाडीदार की 2038–4–0 बीघा भूमि वर्तमान में प्राईवेट कृषकों के नाम में अंकित है। इसी प्रकार इन ग्रामों में नदी खाते की 288–5–0 बीघा भूमि और रास्ते की 1–1–0 बीघा भूमि भी प्राईवेट कृषकों के

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

नाम अवैध रूप से अंकित हो गयी हैद्य। इस प्रकार उक्त ग्राम में 2327–10–0 बीघा भूमि जो राज्य सरकार एवं ग्राम सभा से संबन्धित थी, को उक्त अवैध अमलदरामदों के फलस्वरूप व्यक्तिगत कृषकों के नाम अंकित करते हुए खुर्द–बुर्द की गयी है और तदनुसार ग्रामसभा और राज्य सरकार को अर्थिक क्षति पहुँचाई गयी है।

(6)– सम्पत्ति क्रय–विक्रय के माध्यम से उक्त तीनों ग्रामों की ग्रामसभा भूमि खुर्द–बुर्द होकर प्राइवेट काश्तकारों के नाम दर्ज है, जिसका मूल आधार उपर्युक्त दोनों अमलदरामदें हैं, जो कि नियम विरूद्व एवं छलसाधित पायी गयी है। अतः जनपद स्तर पर विधिक परामर्श प्राप्त करते हुए राजस्व संहिता की धारा–38(5) के अन्तर्गत छलसाधित प्रविष्टियों को निरस्त करने अथवा धारा–146 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना एवं अनधिकृत काबिज व्यक्तियों की नियमानुसार बेदखली के उपरान्त उनसे राज्य सरकार एवं ग्राम सभा को हुई क्षति की वसूली किया जाना भी समीची होगा।

(7)– ग्राम शंकरपुर, मुर्तजाबाद एवं हल्लोवाली के भौमिक अभिलेखों में दिनांक 28.05.1952 तथा दिनांक 29.09.1953 की अवैधानिक तथा छलसाधित अमलदरामदों एवं भौमिक अभिलेखों में दिनांक 28.05.1952 के अवैधानिक एवं छलसाधित अमलदरामद से राज्य सरकार एवं ग्राम सभा की भूमि को क्षति पंहुचाने तथा लाभान्वित होने के लिये हितबद्व पक्ष के रूप में तत्कालीन जमींदार (मध्यवर्ती) तथाकथित काश्त की अनुमति प्राप्तकर्ता तथा राजस्व कर्मियों के विरूद्व विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही भी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(8)– तीनो ग्रामों की कुल 2327–10–0 बीघा भूमि को अवैधानिक रूप से खुर्द–बुर्द करने विषयक प्रकरण राज्य सरकार एवं ग्रावसभा भूमि की आर्थिक क्षति से संबंधित गम्भीर प्रकरण है। अतः इस जॉच आख्या मे वर्णित तथ्यों एवं संस्तुतियों के सम्बन्ध मे शासन स्तर पर न्याय विभाग का परामर्श लेते हुए यथोचित कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल (एन0जी0टी0) नई दिल्ली मे प्रार्थना पत्र दिया था, जिससे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल नई दिल्ली मे ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 133 /2020 किशनचन्द बनाम स्टेट ऑफ यू0पी दर्ज हुआ है। माननीय नेशनल ग्रनी ट्रिबुनल (एन0जी0टी0) नई दिल्ली की पांच सदस्यी पूर्ण पीठ द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं0 133/2020 किशनचन्द बनाम स्टेट ऑफ यू0पी मे अंतिम आदेश/ निर्णय 08–06–2021 को पारित किया कि सार्वजनिक सम्पत्तियों को सुरक्षित एवं वन भूमि को पूर्वास्थिति मे विधि संगत नियमो से किया जाये। दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओ मे आपराधिक वाद दर्ज कराये जायें।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

प्रस्तुत नामिका अधिवक्ता की ओर से जबाब आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार नगीना की आख्या दिनांक 28.04.2022 स्वीकार होने योग्य है सलंग्न राजस्व अभिलेखों व उंच्चाधिकारियों की जॉच आख्यानुसार प्रश्नगत सम्पति सार्वजनिक उपयोग धारा–77 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत आती है प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में त्रुटि पूर्ण प्रविष्टि है जो प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वजो द्वारा राज्य सरकार को हानि पहुँचाने व अनुचित लाभ उठाने के उदेश्य से छल कपट कर प्रविष्टि कराई गई है विवादित आराजी जो प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में कूट रचित त्रुटि पूर्ण प्रविष्टि है को मूल स्वरूप जो कि 1359 फसली के आधार पर जंगल, नदी, रास्ता, जगंल झाडीदार आदि में दर्ज थी। पूर्व स्थिति अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज की जानी अति आवश्यक है।

आपत्ति मिनजानिब प्रतिवादीगणः– प्रतिवादीगण को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया जिनमें से प्रतिवादी धवल चौधरी, प्रमिला चौधरी, रेखा चौधरी, एकता चौधरी, वीर सिंह, भानु प्रताप, सफिया, तसव्वुर, परवेज खान, राम सिंह, तीरथ सिंह, जसवीर सिंह, लसकर सिंह, राकेश प्रसाद, मेहरवान सिंह, करण सिंह, कृष्ण, उत्कर्ष , विपलव तोमर, उमाकान्त, मनोज कुमार,

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

कमलकान्त, रमाकान्त, राकेश जोशी, वीरेन्द्र प्रसाद गौड, सरोज ध्यारी, ऋषिबल्लभ, भगवती प्रसाद, विधावती, भूपाल सिंह बिष्ट, पुष्पेन्द्र धामा, उजला देवी, चण्डी प्रसाद, रामनारायण, मनमोहन सिंह, जितेन्द्र, धमेन्द्र, राजमोहन सिंह, सोहन सिंह, बीरेन्द्र सिंह, प्रशान्त, विमला देवी, (सिद्वार्थ, रीसू) नाबालिग पुत्र स्व0 मोहन सिंह जरिए वलीमाता देवी देवी, शशि प्रभा नेगी, सूर्यमणि, अरिविन्द पन्त विनोद पन्त, दिनेश पन्त, मुकेश पद्यन्त, गुणानन्द, सुनीता शर्मा, शंकर सिंह रावत,रणधीर सिंह नेगी, पार्वती नेगी, महेन्द्र सिंह रावत, रूपलाल थापा, अवनेन्द्र सिंह, दुष्यन्त, सुरजी देवी, वतन पंवार, प्रिया, कृपाल सिंह, धनवीर सिंह, कैलाश सिंह, मीरा रानी, अमिता सिंघल, शोभारानी, अनिल कुमार, शिवदयाल, विष्णु कुमार, रंजीत सिंह, राजीव सिंह, अवनीश कुमार नेगी, बीना बिष्ट, नूरजॅहा, सिकन्दर हुसैन, बुद्वि सिंह नेगी, पुरूषोत्तम दत्त, हरीशचन्द, वजीर अहमद, इन्द्रजीत, बूद व बदैसियत, मुख्तारे आम राजेश कुमार, मोहनलाल की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी शेष प्रतिवादीगण पर तामीला प्रर्याप्त है उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सक्षेप में आपत्तिकर्ता गण की आपत्ति इस प्रकार है।

1– यह कि आपत्तिकर्ता द्वारा सशपथ आपतित प्रस्तुत करते हुयें पोषणीयता के बिन्दु पर यह कहा कि राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा जारी विज्ञप्ति जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार में निहित की गयी हो जैसा कि धारा 5 यू0पी0जैड0ए0एक्ट0 में आवश्यक है प्रार्थना पत्र सरकार उ0प्र0 के साथ सलंग्न न होने कारण प्रश्नगत कार्यवाही विधि एवं नियम विरूद्व होने के कारण पोषणीय नहीं है।

2– यह कि राज्य सरकार उ0प्र0 का विहित रीति से प्रकाशित साधारणया विशेष आदेश जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत की प्रबन्धन हेतु सौपी गयी हो जैसा कि यू0पी0आर0सी0 की धारा 59 में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र सरकार उ0प्र0 के साथ सलंग्न एवं नियम विरूद्व होने के कारण को पोषणीय नहीं है।

3– यह कि प्रश्नगत भूमि पर 70 वर्षो से भी अधिक से हर प्रकार का कब्जा व दखल व मालकाना हक पूर्व व वर्तमान खातेदारों का सरकार की पूर्ण जानकारी में रहा है और वर्तमान में भी है कही कोई त्रुटि नहीं हुई है। सारे आदेश जो प्रश्नगत भूमि पर स्वामित्व के विषय में राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित किये गये है वे सारे आदेश विधिक है। इन आदेशों को कभी भी कानूनी रूप से चुनौती किसी के द्वारा आज तक नहीं दी गयी है बिना चुनौती दिये, विधि सम्मत आदेशों को संशोधन किया जाना कानून के विरूद्व है सारे तथ्यों से यह बात भी सिद्व है कि मालिकाना हक की सारी प्रविष्टिया नियमानुसार व दीर्घ कालीन है, जिन्हें सरकारी कार्यवाही धारा 38 (1) यू0पी0आर0सी0 के अन्तर्गत निरस्त किया जाना कानूनन सम्भव नहीं है। इस कारण भी नोटिस व कार्यवाही उपरोक्त अविधिक होने के कारण हर प्रकार से निरस्त होने योग्य है।

4– यह कि आपत्ति कर्ता गण ने नोटिस व जॉच टीम की आख्या दिनांकित 15.10.2020 को गलत व विधि विरूद्व बताया तथा नोटिस निरस्त करने की प्रार्थना की तथा अपने नाम विभिन्न प्रकारों से कब्जा होना बताया।

मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया गया। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि मौजा मुर्तजाबाद परगना बढापुर तहसील नगीना जिला बिजनौर की आराजी में खातेदारो के नाम बैनामे द्वारा दर्ज अभिलेख हुए है। विवादित आराजी 65–70 वर्षो से श्रेणी–1 क संक्रमणीय भूमिधर है, लेकिन मौजा मुर्तजाबाद परगना बढापुर तहसील नगीना जिला बिजनौर के गाटा संख्या क्रमशः प्रश्नगत प्रकरण में जॉचोपरान्त श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि का ब्यौरा निम्नवत है:–

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

329

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद संख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट नगीना (बिजनौर)

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत
1	1	जंगल	6	2	नदी
2	3	जंगल	7	4	नदी
3	7	जंगल .	8	5	नदी
4	9	जंगल	9	6	नदी
5	11	जंगल	10	8	नदी
			11	10	नदी

कुल गाटे :– 11
कुल क्षेत्रफल :– 859 बीघा 10 बिस्वा

उक्त भूमि 1359 फसली के बाद 1360 में जो पहली खतौनी जमींदारी उन्मूलन के बाद बनी उसमें उपरोक्त आराजी सार्वजनिक उपयोग की आराजी धारा 132 उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम तथा वर्तमान में धारा 77 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत योग्य आराजी है जिस पर किसी भी प्रकार किसी भी स्तर पर किसी के भी आदेश द्वारा भूमिधरी उत्पन्न नहीं हो सकती।

उक्त भूमि नामांतरण बही प्रविष्टि दिनांकित 29–09–1953 के अमलदरामद का अकंन है। जिसके द्वारा चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा उदयराज सिंह जाति राजपूत निवासी हाल बिजनौर को बतौर भूमिधर दर्ज किया गया है। 1362 फसली की खतौनी में सभी 11 गाटे कुंवर चन्दर भान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह के नाम श्रेणी 01 में सक्रमणीय भूमिधर दर्ज कर दिये गये। तत्पश्चात् उक्त सभी गाटे प्राइवेट व्यक्तियों के नाम विक्रय पत्र के आधार दर्ज किये गये है। तथा खतौनी मे संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होने के कारण विक्रय हुयी तथा विभिन्न व्यक्तियो के नाम वर्तमान मे उक्त भूमि के सापेक्ष अभिलिखित है। विभिन्न नामांतरण न्यायालयो द्वारा उक्त नम्बरान के कय–विकय के आधार पर नामांतरण किये गये।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

उपरोक्त पत्रावली का पूर्ण अध्ययन करने व प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने व नामिका अधिवक्ता की बहस व प्रतिवादीगण की बहस सुनने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुचता हॅु कि संयुक्त टीम की जॉच आख्या दिनांकित 15.10.2020 व तहसीलदार नगीना की रिपोर्ट दिनांक 20.07. 2022 स्वीकार किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादीगण की आपत्ति बलहीन एवं निरस्त होने योग्य है तथा प्रतिवादीगण को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता।

उक्त भूमि को उनके नाम के सम्मुख अंकित मूल रूप से भूमि की कार्यवाही/पत्रावली का उल्लेख नही पाया गया उक्त समस्त प्रतिवादीगण के नाम समस्त प्रवष्टि प्रारम्भ से प्रतिवादीगण अथवा उनसे पहले उक्त नम्बरान में दिनांक 29.09.1953 से प्रथम प्रवष्टि से लेकर वर्तमान तक की प्रवष्टि कूट रचित मानी जाती है, जो निरस्त होकर मूल श्रेणी दर्ज झाडीदार जंगल, ... व नदी दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,ज़नपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद सख्या :-2958/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202213160402958
उ0प्र0सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि
अंतर्गत धारा:- 38(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट नगीना (बिजनौर)

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा संयुक्त टीम की जॉच आख्या दिनांकित 15.10.2020 व तहसीलदार नगीना की रिपोर्ट दिनांक 20.07.2022 स्वीकार की जाती है। अतः मौजा मुर्तजाबाद परगना बढापुर तहसील नगीना जिला बिजनौर के गाटा संख्या कमशः प्रश्नगत प्रकरण में जॉचोपरान्त श्रेणी 5 व श्रेणी 6 की भूमि का ब्यौरा निम्नवत है:-

क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत	क्र0सं0	खसरा संख्या	नौयत
1	1	जंगल	6	2	नदी
2	3	जंगल	7	4	नदी
3	7	जंगल	8	5	नदी
4	9	जंगल	9	6	नदी
5	11	जंगल	10	8	नदी
			11	10	नदी

कुल गाटे :- 11
कुल क्षेत्रफल :- **859 बीघा 10 बिस्वा**

पर दर्ज खातेदारो के **नाम** निरस्त करते **हुए** भूमि 1360 फसली के अनुसार पूर्व की **भॉति मूल** श्रेणी जंगल झाडदार, [illegible] व नदी दर्ज की जाती। **बाद** अमलदरामद आवश्यक कार्यवाही **पत्रावली** दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 27.08.22

27.8.22
(शैलेन्द्र कुमार)
उपजिलाधिकारी नगीना।

उक्त आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनॉकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक:- 27.08.22

27.8.22
(शैलेन्द्र कुमार)
उपजिलाधिकारी नगीना।

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी
नगीना

Abhishek Kumar
S.V. No. 2/2012
Nagina (Bijnor)

क्रमांक 1265
प्रार्थना-पत्र देने वाले का नाम मनीत
प्रार्थना-पत्र देने का दिनांक 15-9-22
प्रतिलिपि बनाने का दिनांक 15-9-22
प्रतिलिपि देने का दिनांक 15-9-22
प्रतिलिपि स्टाम्प शुल्क 13/- शब्दों की सं0 [illegible]
पाने वाले के ह0 ______ जॉचकर्ता के ह0

न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

अपील सं0– /2022

विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि

स्टे प्रार्थना पत्र

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त अपील में प्रार्थीगण ने विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.08.2022 के विरूद्ध माननीय न्यायालय उपरोक्त में अपील योजित की, जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है। प्रश्नगत आदेश की आड में विपक्षी के अधिनस्थ कर्मचारी प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। यदि विपक्षी अपने मकसद बेजा में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थीगण का उपरोक्त अपील योजित करने का उददेश्य ही विफल हो जायेगा और प्रार्थीगण को असीम हानि होगी, जिसकी भरपाई किसी भी रूप में सम्भव नहीं होगी। न्यायहित में अपील के निस्तारण तक विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश का क्रियान्वयन स्टे किया जाना अति आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि अपील के निस्तारण तक विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.08.2022 का क्रियान्वयन स्टे करने की कृपा करें।

आपकी महान अनुकम्पा होगी।

दिनांक– 21/9/22

अपीलार्थीगण

विरेन्द्र सिंह आदि

द्वारा

अपने अधिवक्ता

आर0 के0 गुप्ता
एडवोकेट

न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।

अपील सं0– /2022

विरेन्द्र सिंह आदि **बनाम** उ0प्र0 सरकार आदि

शपथपत्र मिनजानिब विरेन्द्र सिंह पुत्र सागर सिंह निवासी हल्लोवाली, तहसील नगीना, जिला बिजनौर।

शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता है–

1– यह कि शपथकर्ता उपरोक्त नाम व पते का निवासी है तथा अपील उपरोक्त में अपीलार्थी है।

2– यह कि शपथकर्ता ने विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध अपील योजित की है।

3– यह कि शपथकर्ता स्वंय तथा अन्य अपीलार्थीगण की ओर से अपना शपथपत्र प्रस्तुत कर रहा है।

4– यह कि शपथकर्ता ने माननीय न्यायालय में योजित समस्त कथनों को पढकर समझ लिया है।

5– यह कि अपील के आधारों के पैरा नम्बरान 1 लगायत 19 के कथनों में जो लिखा है उन्हे मैंने समझ लिया है।

6– यह कि अपील के साथ स्टे प्रार्थना पत्र दिया गया है।

7– यह कि शपथकर्ता द्वारा योजित अपील में स्टे प्रार्थना पत्र को सुना जाना अति आवश्यक है तथा उस पर अपील के निस्तारण तक विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश का क्रियान्वयन स्टे किया जाना अति आवश्यक है।

8– यह कि यदि उक्त अपील में विद्वान अवर न्यायाल के प्रश्नगत आदेश का क्रियान्वयन स्टे नहीं किया जाता है तो विपक्षी के कर्मचारी उसकी आड में अपीलकर्तागण को नुकसासन पहुंचाने में प्रयासरत होगें।

9– यह कि शपथपत्र का पैरा सं0–1 ता 8 मेरे निजी ज्ञान में सब सच व सही है कुछ छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

शपथकर्ता

शपथकर्ता

Annexure-8

न्यायालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा वाद संख्या–1794/2022, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या–सी 202213000001794, अन्तर्गत धारा – 38(4), अधिनियम :– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006, ग्राम मुर्तजाबाद, तहसील नगीना, जिला बिजनौर, विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि, नियत दिनांक 01–05–2024 में फर्द–अहकाम पर पारित आदेश दिनांक 29–09–2022 की छाया सत्य प्रतिलिपि।

संलग्नक – (उपरोक्तानुसार एक पेज मात्र)

आदेश पत्रक

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल :मुरादाबाद
वाद संख्या :-1794/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-C202213000001794
विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 38(4), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है। दर्ज की जाये। अवर न्यायालय का अभिलेख मंगाया जाये।

प्रश्नगत आदेश के पृष्ठ संख्या-16 पर जाँच के निष्कर्ष में उल्लेख है कि 1359 फ0 के पूर्व भौमिक अभिलेखों में तथा 1359 फ0 की नॉन जैड0ए0 की खतौनी में ग्राम शंकरपुर की 570-4-0 बीघा, ग्राम मुर्तजाबाद की 859-10-0 बीघा व ग्राम हल्लोवाली की 897-16-0 में खेबटदार राजा हरिश्चन्द्र राज सिंह के मोहाल में दर्ज थी। उक्त खेवटदार इन तीनों ग्रामों की भूमि के लिए जमींदार थे। दिनंाक 01-07-1952 को जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम प्रभावी हो जाने पर भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। आदेश में आगे उल्लेख है कि 1359 फ0 की खतौनी में "बाहुकम 28-05-1952 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्द्रभान सिंह का जंगली नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी" का अमल-दरामद है। इसके पश्चात 1362 फ0 की खतौनी में कुँवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह का नाम जिमन-1 के आसामियान जेरे काश्त भिूमधर मद-1, जिन्होंने दस गुना जमा कर दिया हो, के अन्तर्गत अंकित है, जिसमें भौमिक अधिकार का वर्ष 1362 फ0 दर्शाया गया है। अभिलेखों से स्पष्ट है कि कुंवर चन्द्रभान सिंह का नाम परगनाधिकारी नगीना के आदेश दिनंाक 29-09-1953 के फलस्वरूप अंकित हुआ है। जाँच समिति की आख्या के अनुसार उक्त 3 ग्रामों की भूमि जंगल झाड़ीदार के रूप में दर्ज अवश्य रही किन्तु इसको वन विभाग को हस्तान्तरित करने की कोई अधिसूचना शासन की नहीं है। वन बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश दिनंाक 20-02-1975 द्वारा ग्राम हल्लोवाली में 12.11 है0 तथा मुर्तजाबाद में 19.81 है0 भूमि वन विभाग की गई। आदेश के निष्कर्ष में उल्लेख है कि उक्त भूमि नामान्तरण प्रविष्टि 29-09-1953 का अमल दरामद अंकन है, जिसके द्वारा चन्द्रभान सिंह को बतौर भूमधिर दर्ज किया गया है। 1362 फ0 की खतौनी में सभी 11 गाटें कुंवर चन्द्रभान सिंह के नाम श्रेणी-01 में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। तत्पश्चात प्राइवेट व्यक्तियों के नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये गये तथा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हैं। यद्यपि 29-09-1953 से वर्तमान तक की प्रविष्टि को कूट रचित मानते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण का कहना है कि इस प्रकरण से सम्बन्धित वाद उ0प्र0 सरकार बनाम दिवाकर सहकारी कृषि समिति में मा0 न्यायालय राजस्व परिषद से दिनंाक 05-01-2022 को खातेदारों के हक में निर्णय हुआ है, जिसका कोई उल्लेख उप जिलाधिकारी के प्रश्नगत आदेश में नहीं है।

उक्त से स्पष्ट है कि दिनंाक 29-09-1953 से वर्तमान तक चली आ रही अभिलेखीय प्रविष्टि और संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होने के बाद धारा 38 (1) राजस्व संहिता की सरसरी कार्यवाही में अभिलिखित खातेदारों के नाम निरस्त करने के आदेश को न्यायहित में स्थगित किया जाना तथा अगले आदेशों तक यथास्थिति बनाये रखना उचित होगा।

अतः अवर न्यायालय के आदेश दिनंाक 27-08-2022 का क्रियान्वयन नियत दिनंाक 05-12-2022 तक स्थगित किया जाता है। मौके पर यथास्थिति बनाये रखी जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनंाक 05-12-2022 को पेश हो।

पृष्ठ संख्या :

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
आयुक्त
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

29-09-2022

छाया सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
पेशकार
न्यायालय आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

न्यायालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा वाद संख्या–1794/2022, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या–सी 202213000001794, अन्तर्गत धारा – 38(4), अधिनियम :– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006, ग्राम मुर्तजाबाद, तहसील नगीना, जिला बिजनौर, विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि, नियत दिनांक 01–05–2024 में फर्द–अहकाम पर पारित आदेश दिनांक 05–12–2022, 28–12–2022, 08–02–2023, 01–03–2023, 29–03–2023 एवं 17–05–2023 की छाया सत्य प्रतिलिपि।

संलग्नक – (उपरोक्तानुसार एक पेज मात्र)

प्रतिलिपि विभाग कार्यालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद

प्रतिलिपि विभाग कार्यालय उप... मुरादाबाद

आदेश पत्रक

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद संख्या :-1794/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-C202213000001794
विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 38(4), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

09.12.22	पत्रावली प्रस्तुत। L.C.R. प्राप्त। न्यायहित में इस न्यायालय प्रदत्त स्टे पर यथास्थिति बनाये रखे जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 29.09.22 नियत दिनांक 28.12.22 तक बढाया जाता है। पत्रावली दिनांक 28.12.22 को वास्ते बहस पेश हो।	(R) बहस 28.12.22
28/12/22	पत्रावली प्रस्तुत। विद्वान अधिवक्तागण कार्य से विरत रहे। न्यायहित में इस न्यायालय प्रदत्त स्टे यथास्थिति बनाये रखे जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 29.09.22 नियत दिनांक 08.2.23 तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली दि 08-02-23 को वास्ते बहस पेश हो।	बहस 08.02.23
08/02/23	पत्रावली प्रस्तुत। विद्वान अधिवक्तागण कार्य से विरत रहे। न्यायहित में इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त यथास्थिति आदेश दि. 29.9.22 नियत दि. 1-3-23 तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली दि. 1.3.23 को वास्ते बहस पेश हो।	बहस 1-3-23
01/03/23	P.O. महोदय अन्य आवश्यक कार्य में व्यस्त रहे। पत्रावली दिनांक 29.3.23 को वास्ते बहस पेश हो।	बहस 29.3.23
29/03/23	पी० ओ० महोदय अन्य आवश्यक कार्य से मुख्यालय से बाहर है। विद्वान अधिवक्तागण कार्य से विरत रहे। पत्रावली दिनांक 17.5.23 को वास्ते बहस पेश हो।	बहस 17.5.23
17/05/23	पत्रावली प्रस्तुत। विद्वान अधिवक्तागण कार्य से विरत रहे। पत्रावली दिनांक 05.07.23 को वास्ते बहस पेश हो। न्यायहित में इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दि. 29.9.22 नियत दिनांक 5.7.23 तक बढ़ाया जाता है।	बहस 05.7.23

छाया सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
पेशकार
न्यायालय आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

न्यायालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा वाद संख्या–1794/2022, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या–सी 202213000001794, अन्तर्गत धारा – 38(4), अधिनियम :– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006, ग्राम मुर्तजाबाद, तहसील नगीना, जिला बिजनौर, विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि, नियत दिनांक 01–05–2024 में फर्द–अहकाम पर पारित आदेश दिनांक 05–07–2023, 21–08–2023, 20–09–2023 एवं 30–10–2023 की छाया सत्य प्रतिलिपि।

संलग्नक – (उपरोक्तानुसार एक पेज मात्र)

प्रतिलिपि विभाग कार्यालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

आदेश पत्रक

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद संख्या :-1794/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-C202213000001794
विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 38(4), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

2425/1933
15/07/2023

05.07.23 — पत्रावली प्रस्तुत। न्यायहित में इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दि० 29.9.22 नियत दिनांक 21.8.23 तक बढ़ाया जाता है। समयाभाव के कारण पत्रावली दिनांक 21.8.23 को वास्ते बहस पेश हो। — बहस 21-8-23

21.08.23 — पत्रावली प्रस्तुत। विद्वान अधिवक्तागण कार्य से विरत रहे। न्यायहित में इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दि० 29.9.22 नियत दिनांक 20-9-23 तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली दिनांक 20-9-23 को वास्ते बहस पेश हो। — बहस 20-9-23

20.09.23 — पत्रावली प्रस्तुत। न्यायहित में इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दिनांक 29.09.22 नियत दिनांक 30.10.23 तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली दिनांक 30.10.23 को वास्ते बहस पेश हो। — बहस 30.10.23

30.10.23 — पत्रावली प्रस्तुत। पी० ओ० महोदय अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 11.12.23 को वास्ते बहस पेश हो। — बहस 11.12.23

1245/1.90
12.04.2024

पृष्ठ संख्या :

नाम श्री मोहित चन्द्र धामी
प्रा० पत्र की सं०/दिनांक 1245/1.90/12.4.24
12.4.2024
12.4.2024
12.4.2024
शुल्क का मूल्य 52/-

छाया सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
12/04/24
पेशकार
न्यायालय आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

न्यायालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा वाद संख्या–1794 / 2022, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या–सी 202213000001794, अन्तर्गत धारा – 38(4), अधिनियम :– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006, ग्राम मुर्तजाबाद, तहसील नगीना, जिला बिजनौर, विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि, नियत दिनांक 01–05–2024 में फर्द–अहकाम पर पारित आदेश दिनांक 11–12–2023, 15–01–2024, 19–02–2024 एवं 27–03–2024 की छाया सत्य प्रतिलिपि।

संलग्नक – (उपरोक्तानुसार एक पेज मात्र)

प्रतिलिपि लिपिक कार्यालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद

आदेश पत्रक

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :बिजनौर,तहसील :नगीना
वाद संख्या :-1794/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-C202213000001794
विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 38(4), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

11.12.23	पत्रावली प्रस्तुत। पी॰ओ॰ महोदय अन्य शासकीय कार्य से व्यस्त रहे। पत्रावली दिनांक 15.01.24 को वास्ते बहस पेश हो।	बहस 15.01.24
15.01.24	पत्रावली प्रस्तुत। न्यायहित में इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दिनाँक 29.09.22 नियत दिनाँक 19.02.24 तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली दिनाँक 19.02.24 को वास्ते बहस पेश हो।	बहस 19.02.24
19.02.24	पत्रावली प्रस्तुत। विद्वान अधिवक्तागण कार्य से विरत रहे। पी॰ओ॰ महोदय अन्य शासकीय कार्य से व्यस्त रहे। पत्रावली दिनांक 27.03.24 को वास्ते बहस पेश हो।	बहस 27.03.24
27.03.24	पत्रावली प्रस्तुत। न्यायहित में इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 29.09.22 नियत दिनांक 01.05.24 तक बढ़ाया जाता है। समयाभाव होने के कारण पत्रावली दिनांक 01.05.24 को वास्ते बहस पेश हो।	बहस 01.05.24

1245/10 9.
12-04-2024

...का नाम श्री मोहम्मद ... पृष्ठ संख्या :
...पत्र की सं०/दिनांक 1245/1-9-/ 12-4-24
... दिनांक 12-4-2-24
... 12-4-2024
... 12-4-2024
प्रतिलिपिक...
... कर्ता...
... संख्या ... 3...
... मूल्य 52/-

छाया सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
12.04.24
पेशकार
न्यायालय आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

कार्यालय आयुक्त मुरादाबाद मंडल
प्रतिलिपि विभाग
* मुरादाबाद *

प्रिंट निकाले

वाद का सारांश

341

Annexure-9

मण्डल: - मुरादाबाद **न्यायालय:** - आयुक्त

वाद सं०:	1794/2022	**कंप्यूटरीकृत वाद सं०:**	C202213000001794
वादी / प्रतिवादी के नाम एवम पता:	विरेन्द्र सिंह आदि , हल्लोवाली तहसील नगीना **बनाम** उ0प्र0 सरकार आदि , मुर्तजाबाद तह0 नगीना	**वाद की स्थिति:**	बहस
वाद प्रकृति:	मूल वाद	**दाखिल करने का दिनांक:**	29-Sep-2022
अगला सुनवाई दिनांक:	01-May-2024	**अधिनियम, धारा:**	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , 38(4)
गाँव और परगने का नाम:	**गाँव:-** , **परगने का नाम:-** बढापुर		

वादग्रस्त भूमि का विवरण

क्र सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खतौनी खाता संख्या	गाटा संख्या	गाटा यूनिक कोड	क्षेत्रफल
1	बिजनौर	नगीना	बढापुर	मुर्तजापुर	00077	1	112600-0001-000012	0.4080

आर्डर शीट का विवरण

क्र सं0	पिछली सुनवाई तिथि	पिछली नियत कार्यवाही	अगली सुनवाई तिथि	अगली नियत कार्यवाही
1	----	----	05/12/2022	प्रतीक्षा अवर न्यायालय पत्रावली

	05/12/2022	प्रतीक्षा अवर न्यायालय पत्रावली	28/12/2022	बहस
3	28/12/2022	बहस	08/02/2023	बहस
4	08/02/2023	बहस	01/03/2023	बहस
5	01/03/2023	बहस	29/03/2023	बहस
6	29/03/2023	बहस	17/05/2023	बहस
7	17/05/2023	बहस	05/07/2023	बहस
8	05/07/2023	बहस	21/08/2023	बहस
9	21/08/2023	बहस	20/09/2023	बहस
10	20/09/2023	बहस	30/10/2023	बहस
11	30/10/2023	बहस	11/12/2023	बहस
12	11/12/2023	बहस	15/01/2024	बहस
13	15/01/2024	बहस	19/02/2024	बहस
14	19/02/2024	बहस	27/03/2024	बहस
15	27/03/2024	बहस	01/05/2024	बहस

Disclaimer : उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।

Annexure-10

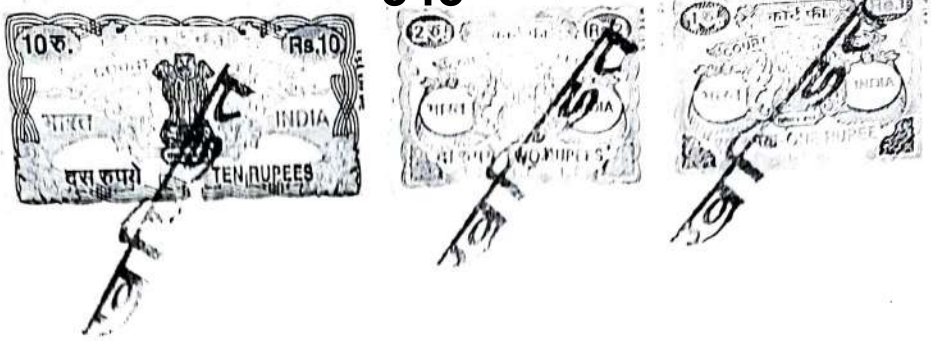

न्यायालय आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा वाद संख्या–1794/2022, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या–सी 202213000001794, अन्तर्गत धारा – 38(4), अधिनियम :– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006, ग्राम मुर्तजाबाद, तहसील नगीना, जिला बिजनौर, विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि, नियत दिनांक 01–05–2024 में फर्द–अहकाम पर पारित आदेश दिनांक 29–09–2022 की छाया सत्य प्रतिलिपि।

संलग्नक – (उपरोक्तानुसार एक पेज मात्र)

आदेश पत्रक

न्यायालय : आयुक्त
मण्डल :मुरादाबाद
वाद संख्या :-1794/2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-C202213000001794
विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि
अंतर्गत धारा:- 38(4), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है। दर्ज की जाये। अवर न्यायालय का अभिलेख मंगाया जाये।

प्रश्नगत आदेश के पृष्ठ संख्या-16 पर जाँच के निष्कर्ष में उल्लेख है कि 1359 फ0 के पूर्व भौमिक अभिलेखों में तथा 1359 फ0 की नॉन जेड0ए0 की खतौनी में ग्राम शंकरपुर की 570-4-0 बीघा, ग्राम मुर्तजाबाद की 859-10-0 बीघा व ग्राम हल्लोवाली की 897-16-0 में खेबटदार राजा हरिश्चन्द्र राज सिंह के मोहाल में दर्ज थी। उक्त खेवटदार इन तीनों ग्रामों की भूमि के लिए जमींदार थे। दिनांक 01-07-1952 को जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम प्रभावी हो जाने पर भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। आदेश में आगे उल्लेख है कि 1359 फ0 की खतौनी में "बाहुकम 28-05-1952 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्द्रभान सिंह का जंगली नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी" का अमल-दरामद है। इसके पश्चात 1362 फ0 की खतौनी में कुँवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह का नाम जिमन-1 के आसामियान जेरे काश्त भूमधर मद-1, जिन्होंने दस गुना जमा कर दिया हो, के अन्तर्गत अंकित है, जिसमें भौमिक अधिकार का वर्ष 1362 फ0 दर्शाया गया है। अभिलेखों से स्पष्ट है कि कुंवर चन्द्रभान सिंह का नाम परगनाधिकारी नगीना के आदेश दिनांक 29-09-1953 के फलस्वरूप अंकित हुआ है। जाँच समिति की आख्या के अनुसार उक्त 3 ग्रामों की भूमि जंगल झाड़ीदार के रूप में दर्ज अवश्य रही किन्तु इसको वन विभाग को हस्तान्तरित करने की कोई अधिसूचना शासन की नहीं है। वन बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 20-02-1975 द्वारा ग्राम हल्लोवाली में 12.11 है0 तथा मुर्तजाबाद में 19.81 है0 भूमि वन विभाग की गई। आदेश के निष्कर्ष में उल्लेख है कि उक्त भूमि नामान्तरण प्रविष्टि 29-09-1953 का अमल दरामद अंकन है, जिसके द्वारा चन्द्रभान सिंह को बतौर भूमधिर दर्ज किया गया है। 1362 फ0 की खतौनी में सभी 11 गाटें कुंवर चन्द्रभान सिंह के नाम श्रेणी-01 में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। तत्पश्चात प्राइवेट व्यक्तियों के नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये गये तथा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हैं। यद्यपि 29-09-1953 से वर्तमान तक की प्रविष्टि को कूट रचित मानते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण का कहना है कि इस प्रकरण से सम्बन्धित वाद उ0प्र0 सरकार बनाम दिवाकर सहकारी कृषि समिति में मा0 न्यायालय राजस्व परिषद से दिनांक 05-01-2022 को खातेदारों के हक में निर्णय हुआ है, जिसका कोई उल्लेख उप जिलाधिकारी के प्रश्नगत आदेश में नहीं है।

उक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 29-09-1953 से वर्तमान तक चली आ रही अभिलेखीय प्रविष्टि और संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होने के बाद धारा 38 (1) राजस्व संहिता की सरसरी कार्यवाही में अभिलिखित खातेदारों के नाम निरस्त करने के आदेश को न्यायहित में स्थगित किया जाना तथा अगले आदेशों तक यथास्थिति बनाये रखना उचित होगा।

अतः अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 27-08-2022 का क्रियान्वयन नियत दिनांक 05-12-2022 तक स्थगित किया जाता है। मौके पर यथास्थिति बनाये रखी जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 05-12-2022 को पेश हो।

पृष्ठ संख्या :

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
आयुक्त
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

29-09-2022

छाया सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
पेशकार
न्यायालय आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

दिनांक 6/10-2022

आ 388 / पेशकार

स्थगन प्रार्थना पत्र पर श्री आर0के0 गुप्ता एडवोकेट द्वारा अपील संख्या सी202213000001794 विरेन्द्र सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि अन्तर्गत धारा 38(4) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 में न्यायालय उपजिलाधिकारी नगीना जिला बिनजौर द्वारा धारा 38(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत वाद संख्या–टी20221316040(2956) उ0प्र0 सरकार बनाम इन्द्रजीत आदि में पारित आदेश दिनांक 27–08–2022 स्थित भूमि ग्राम मुर्तजाबाद परगना बढापुर तहसील नगीना जिला बिजनौर के क्रियान्वयन स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना की गई कि–

प्रार्थना

प्रार्थना है कि अपील के निस्तारण तक विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 27–08–2022 का क्रियान्वयन स्टे करने की कृपा करें।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है–

29–09–2022

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है। दर्ज की जाये। अवर न्यायालय का अभिलेख मंगाया जाये।

प्रश्नगत आदेश के पृष्ठ संख्या-16 पर जाँच के निष्कर्ष में उल्लेख है कि 1359 फ0 के पूर्व भौमिक अभिलेखों में तथा 1359 फ0 की नॉन जैड0ए0 की खतौनी में ग्राम शंकरपुर की 570-4-0 बीघा, ग्राम मुर्तजाबाद की 859-10-0 बीघा व ग्राम हल्लोवाली की 897-16-0 में खेवटदार राजा हरिश्चन्द्र राज सिंह के मोहाल में दर्ज थी। उक्त खेवटदार इन तीनों ग्रामों की भूमि के लिए जमींदार थे। दिनांक 01-07-1952 को जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम प्रभावी हो जाने पर भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। आदेश में आगे उल्लेख है कि 1359 फ0 की खतौनी में "बाहुकम 28-05-1952 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्द्रभान सिंह का जंगली नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी" का अमल-दरामद है। इसके पश्चात 1362 फ0 की खतौनी में कुँवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह का नाम जिमन-1 के आसामियान जेरे काश्त भूमिधर मद-1, जिन्होंने दस गुना जमा कर दिया हो, के अन्तर्गत अंकित है, जिसमें भौमिक अधिकार का वर्ष 1362 फ0 दर्शाया गया है। अभिलेखों से स्पष्ट है कि कुंवर चन्द्रभान सिंह का नाम परगनाधिकारी नगीना के आदेश दिनांक 29-09-1953 के फलस्वरूप अंकित हुआ है। जाँच समिति की आख्या के अनुसार उक्त 3 ग्रामों की भूमि जंगल झाड़ीदार के रूप में दर्ज अवश्य रही किन्तु इसको वन विभाग को हस्तान्तरित करने की कोई अधिसूचना शासन की नहीं है। वन बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 20-02-1975 द्वारा ग्राम हल्लोवाली में 12.11 है0 तथा मुर्तजाबाद में 19.81 है0 भूमि वन विभाग की गई। आदेश के निष्कर्ष में उल्लेख है कि उक्त भूमि नामान्तरण

प्रविष्टि 29-09-1953 का अमल दरामद अंक 3 जिसके द्वारा चन्द्रभान सिंह को बतौर भूमधिर दर्ज किया गया है। 1362 फ0 की खतौनी में सभी 11 गाटें कुंवर चन्द्रभान सिंह के नाम श्रेणी-01 में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। तत्पश्चात प्राइवेट व्यक्तियों के नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये गये तथा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हैं। यद्यपि 29-09-1953 से वर्तमान तक की प्रविष्टि को कूट रचित मानते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण का कहना है कि इस प्रकरण से सम्बन्धित वाद उ0प्र0 सरकार बनाम दिवाकर सहकारी कृषि समिति में मा0 न्यायालय राजस्व परिषद से दिनांक 05-01-2022 को खातेदारों के हक में निर्णय हुआ है, जिसका कोई उल्लेख उप जिलाधिकारी के प्रश्नगत आदेश में नहीं है।

उक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 29-09-1953 से वर्तमान तक चली आ रही अभिलेखीय प्रविष्टि और संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होने के बाद धारा 38 (1) राजस्व संहिता की सरसरी कार्यवाही में अभिलिखित खातेदारों के नाम निरस्त करने के आदेश को न्यायहित में स्थगित किया जाना तथा अगले आदेशों तक यथास्थिति बनाये रखना उचित होगा।

अतः अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 27-08-2022 का क्रियान्वयन नियत दिनांक 05-12-2022 तक स्थगित किया जाता है। मौके पर यथास्थिति बनाये रखी जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 05-12-2022 को पेश हो।

ह0/-
(आन्जनेय कुमार सिंह)
आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद
29-09-2022

प्रतिलिपि:
1- जिलाधिकारी, बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

पेशकार
न्यायालय मण्डलायुक्त

न्यायालय आयुक्त गुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

संख्या 340/पेशकार दिनांक 06/10-2-22

स्थगन प्रार्थना पत्र पर श्री आर0के0 गुप्ता एडवोकेट द्वारा अपील संख्या सी20221300000178B जोगेन्द्र सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार आदि अन्तर्गत धारा 38(4) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 में न्यायालय उपजिलाधिकारी नगीना जिला बिनजौर द्वारा धारा 38(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत वाद संख्या–टी202213160401607 उ0प्र0 सरकार बनाम कमलेश रानी आदि में पारित आदेश दिनांक 23–08–2022 स्थित भूमि ग्राम हल्लोवाली परगना बढापुर तहसील नगीना जिला बिजनौर के क्रियान्वयन स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना की गई कि–

प्रार्थना

प्रार्थना है कि अपील के निस्तारण तक विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 23–08–2022 का क्रियान्वयन स्टे करने की कृपा करें।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है–

29–09–2022

आदेश

पत्रावली पेश हुई। अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया। अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है। दर्ज की जाये। अवर न्यायालय का अभिलेख मंगाया जाये।

प्रश्नगत आदेश के पृष्ठ संख्या-16 पर जाॅंच के निष्कर्ष में उल्लेख है कि 1359 फ0 के पूर्व भौमिक अभिलेखों में तथा 1359 फ0 की नाॅन जैड0ए0 की खतौनी में ग्राम शंकरपुर की 570-4-0 बीघा, ग्राम मुर्तजाबाद की 859-10-0 बीघा व ग्राम हल्लोवाली की 897-16-0 में खेबटदार राजा हरिश्चन्द्र राज सिंह के मोहाल में दर्ज थी। उक्त खेवटदार इन तीनों ग्रामों की भूमि के लिए जमींदार थे। दिनांक 01-07-1952 को जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम प्रभावी हो जाने पर भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। आदेश में आगे उल्लेख है कि 1359 फ0 की खतौनी में ''बाहुकम 28-05-1952 जंगलात आफिसर साहब ने कुंवर चन्द्रभान सिंह का जंगली नम्बरान पर काश्त करने की इजाजत दी'' का अमल-दरामद है। इसके पश्चात 1362 फ0 की खतौनी में कुॅंवर चन्द्रभान सिंह पुत्र राजा ऊदेराज सिंह का नाम जिमन-1 के आसामियान जेरे काश्त भूमिधर मद-1, जिन्होंने दस गुना जमा कर दिया हो, के अन्तर्गत अंकित है, जिसमें भौमिक अधिकार का वर्ष 1362 फ0 दर्शाया गया है। अभिलेखों से स्पष्ट है कि कुंवर चन्द्रभान सिंह का नाम परगनाधिकारी नगीना के आदेश दिनांक 29-09-1953 के फलस्वरूप अंकित हुआ है। जाॅंच समिति की आख्या के अनुसार उक्त 3 ग्रामों की भूमि जंगल झाड़ीदार के रूप में दर्ज अवश्य रही किन्तु इसको वन विभाग को हस्तान्तरित करने की कोई अधिसूचना शासन की नहीं है। वन बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 20-02-1975 द्वारा ग्राम हल्लोवाली में 12.11 है0 तथा मुर्तजाबाद में 19.81 है0 भूमि वन विभाग को की गई। आदेश के निष्कर्ष में उल्लेख है कि उक्त भूमि नामान्तरण

प्रविष्टि 29-09-1953 का अमल दरामद अंकन है, जिसके द्वारा चन्द्रभान सिंह को बतौर भूमधिर दर्ज किया गया है। 1362 फ0 की खतौनी में सभी 11 गाटें कुंवर चन्द्रभान सिंह के नाम श्रेणी-01 में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। तत्पश्चात प्राइवेट व्यक्तियों के नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये गये तथा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हैं। यद्यपि 29-09-1953 से वर्तमान तक की प्रविष्टि को कूट रचित मानते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण का कहना है कि इस प्रकरण से सम्बन्धित वाद उ0प्र0 सरकार बनाम दिवाकर सहकारी कृषि समिति में मा0 न्यायालय राजस्व परिषद से दिनांक 05-01-2022 को खातेदारों के हक में निर्णय हुआ है, जिसका कोई उल्लेख उप जिलाधिकारी के प्रश्नगत आदेश में नहीं है।

उक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 29-09-1953 से वर्तमान तक चली आ रही अभिलेखीय प्रविष्टि और संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होने के बाद धारा 38 (1) राजस्व संहिता की सरसरी कार्यवाही में अभिलिखित खातेदारों के नाम निरस्त करने के आदेश को न्यायहित में स्थगित किया जाना तथा अगले आदेशों तक यथास्थिति बनाये रखना उचित होगा।

अतः अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 23-08-2022 का क्रियान्वयन नियत दिनांक 05-12-2022 तक स्थगित किया जाता है। मौके पर यथास्थिति बनाये रखी जाये। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 05-12-2022 को पेश हो।

ह0/–
(आन्जनेय कुमार सिंह)
आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद
29–09–2022

प्रतिलिपिः
1– जिलाधिकारी, बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

पेशकार
न्यायालय मण्डलायुक्त